Page No.1

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक २] तृतीय विधान सभा के द्वितीय सत्र, १९६२ का प्रथम दिवस [संख्या १

बुधवार, दिनांक १० अक्टूबर, १९६२

विधान सभा की बैठक म० पू० ११ बज कर ४ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[गृह, सार्वजनिक निर्माण, चिकित्सा, सिंचाई, विधि, वन, कृषि, यातायात, समाज-कल्याण, विद्युत्, एवं पशु-पालन-विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ।

प्रश्न संख्या १

श्री गोविन्दसहाय ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या २

श्री रावतराम ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ३

श्री अमरसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री रामकिशन ।

पुलिस विभाग द्वारा इनाम

४. श्री रामकिशन (वैर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सही है कि पुलिस विभाग द्वारा हाल ही में थाना मुंढोता जिला जयपुर के श्री शिवनाथराम तथा थाना चौमू के श्री गंगाराम को इनाम दिया है ?

(२) यदि हां, तो क्या और किस सिलसिले में ?

(३) क्या ग्राम जनूथर, जिला भरतपुर के भी किन्हीं व्यक्तियों को ऐसा इनाम दिया गया है ?

(४) यदि हां, तो क्या और किस सिलसिले में ?

उप-मंत्री, गृह (श्रीभीमसिंह):- (१) जी हां ।

(श्री भीमसिंह)

(२) श्री शिवनाथराम को ६००) रुपये के मूल्य की एक १२ बोर और श्री गंगाराम को ७००) रुपये नकद तथा एक १२ बोर बन्दूक इनाम दी गई। आनन्दसिंह आदि डाकुओं के समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में ये इनामें दी गई।

(३) जी हां। ग्राम जनूथर, जिला भरतपुर के व्यक्तियों को भी इनाम दिया गया था।

(४) ग्राम जनूथर के १४ व्यक्तियों को इनाम दिया गया था। इन लोगों ने दिनांक ४/५-८-६२ को उनके गांव के श्री छीतरराम के घर को लूटते हुये १२ डाकुओं का मुकाबला किया और स्वयं की जान खतरे में डाल कर तीन डकैतों को पकड़ लिया। इस संबन्ध में सात व्यक्तियों को एक एक देशी बन्दूक व सात व्यक्तियों को बीस बीस रुपया इनाम दिया गया था।

श्री रामकिशन : जैसा आपने फरमाया कि इन लोगों ने डाकुओं को पकड़ने और मारने में स्वयं की जान खतरे में डाली, उनको आपने २०), २०) रुपये इनाम के दिये और दूसरे लोगों को आपने क्या दिया ?

श्री भीमसिंह : दूसरे लोगों ने मदद की थी उनको भी दिया।

श्री रामकिशन : आपने बताया कि उनको इनाम दिया, जिन्होंने डाकुओं को मारा और पकड़ा भी। जिन्होंने डाकुओं को मारा और पकड़ा उनको आपने इनाम दिया। क्या सरकार की इनाम देने की यही नीति है ? दूसरे लोगों ने सहायता दी उनको आपने २०), २०) रु० इनाम और १०) रु० की देशी बन्दूकें दीं; आप स्पष्टीकरण करने की कृपा करें।

श्री भीमसिंह : आपका मतलब यह है कि यह डिफरेन्स क्यों है ? इसके लिये ऐसी बात है कि अचलसिंह गिरोह के आदमी थे, उनके खिलाफ संगीन जुर्म थे और उनको पकड़ने के लिये काफी तादाद में इनाम की रकम रखी हुई थी। उस इनाम की रकम में से उनको बंटवाड़ा मिला और यह केस भरतपुर का था इस पर कोई इनाम नहीं निकला था और जो डाकुओं की संख्या थी वह ऐसे संगीन डाकू नहीं थे, छोटे-बड़े डाकू थे। इस लिये इस हिसाब से रुपयों को बांटा गया।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल (बयाना): क्या आपको यह पता है कि रामस्वरूप वगैरह वे व्यक्ति हैं जो यू० पी०, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पंजाब के इलाकों में तानाशाही मचाते रहे हैं ?

श्री भीमसिंह: वैसे तो यह अलग प्रश्न है।

श्री रामकिशन : आपने यह कैसे मान लिया कि वे साधारण डकैत थे ? हो सकता है कि आपके विभाग की रिपोर्ट गलत रही हो। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब में इनके खिलाफ जो रिपोर्ट्स हैं उनको देखें तो आपको मालूम होगा। उन्होंने कामां आदि में बहुत सी डकैतियां डाली हैं।

श्री भीमसिंह : डकैत कितनी अहमियत रखते हैं, यह तो पुलिस की रिपोर्ट से पता लगता है और उसी पर उनकी अहमियत असर रखती है।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : क्या आपने यह मालूम किया था कि इन डाकुओं के खिलाफ कितने कितने केसेज कहां कहां रजिस्टर्ड हैं ?

श्री भीमसिंह : अगर आप डिटेल ..

श्री अध्यक्ष : क्या ऐसा भी हो सकता है कि कई डाकुओं पर आपने कोई मूल्यांकन नहीं किया हो और उनके लिये आप प्रोत्साहन देने के लिये इनाम बढ़ा सकते हैं ?

गृह मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : जहां तक इन डाकुओं का संबन्ध है हमने कोई इनाम घोषित नहीं किया था । इनके खिलाफ छोटी मोटी डकैतियों की रिपोर्ट है । हमने कोई इनाम डिक्लेयर नहीं किया था। मगर जब गांववालों ने बहादुरी से काम किया तो उनको प्रोत्साहन देने के लिये २०), २०) रु० इनाम दिये । इसके बाद उनके खिलाफ कार्यवाही हो रही है। अब प्रश्न यह रह जाता है कि इनाम कम दिया गया या ज्यादा दिया गया, इस सिलसिले में इतना ही कहना उचित होगा कि गांव वालों को इनाम दिया गया उससे संतोष है ।

श्री रामकिशन : मैंने उनका असंतोष प्रकट किया है ।

श्री मथुरादास माथुर: मेरे से वे मिल चुके हैं । मैंने अपने हाथ से उनको इनाम दिया है ।

श्री रामकिशन : मैं उनसे ५ दफे मिला हूं, आप तो एक ही दफे उनसे मिले होंगे ।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट ।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : एक प्रश्न और है।

क्या सरकार को मालूम है कि इनको पहले १०, १० साल की सजा हो चुकी है ।

श्री अध्यक्ष : किसी कारण से जो इनाम रखा गया हो वह कम रखा गया हो तो क्या जो वीरता पूर्वक मदद करते हैं उनके लिये इनाम की रकम घटाई-बढ़ाई जा सकती है ?

श्री भीमसिंह : घटाई-बढ़ाई जा सकती है ।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट ।

प्रश्न संख्या ५

श्री रावतराम ।

(अनुपस्थित)

श्री नत्थीसिंह ।

नदवई से कुम्हेर तक सड़क

६. **श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) :** क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या भरतपुर जिले में नदवई से कुम्हेर तक सड़क बनाने की कोई योजना है ?

(२) यदि हां, तो यह सड़क कब तक बन जायेगी ?

उप - मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नंदवाना) : (१) जी हां ।

(२) आशा है तृतीय योजना-काल के तृतीय या चतुर्थ वर्ष में प्रारम्भ होकर चतुर्थ योजना के प्रारम्भ के वर्षों में ।

श्री अध्यक्ष : निश्चित उत्तर दे दिया है।

श्री नत्थीसिंह : तृतीय पंचवर्षीय योजना के टैन्टेटिव प्रोग्राम बनाये हुए हैं, क्या उसके आधार पर मन्त्री महोदय ने यह बात कही है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : जी हां।

श्री नत्थीसिंह : क्या इनको सदन के पटल पर रखने और जनता में प्रसारण के हेतु रखने की कृपा करेंगे ताकि जनता इसमें अपने सुझाव दे सके ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना: सुझाव तो पहले ही मांग लिये थे, अब सुझावों की कोई आवश्यकता नहीं है।

एक माननीय सदस्य : क्या यह सही है कि यह सड़क द्वितीय पंच वर्षीय योजना में निहित थी ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : जी नहीं।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरवलाल 'काला-बादल'।

अकलेरा शफ़ाखाने में जच्चाखाना

७. **श्री भैरवलाल कालाबादल** (अकलेरा-सु०) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या अकलेरा, जिला झालावाड़, शफ़ाखाने में जच्चाखाना खोले जाने हेतु जनता ने ५ हजार रुपया जमा कर रखे हैं ? यदि हां, तो जच्चाखाना खोलने में देरी क्यों हो रही है ?

(२) क्या सरकार को यह जानकारी है कि यह क्षेत्र हर तरह से पिछड़ा हुआ है और हर वर्ष सैकड़ों महिलाएं जच्चाखाना न होने से मर जाती हैं ?

उप - मंत्री, स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (१) जी नहीं।

(२) सरकार को ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : आपके विभाग को बार बार लिखा गया है। पंचायतें बार बार प्रस्ताव पास करती हैं। महीने में एक बार प्रस्ताव पास करके आपके पास भेजती हैं ; फिर भी जच्चाखाना नहीं खोला जाता है और फिर आप कहती हैं कि आपको जानकारी नहीं है।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : विकास अधिकारी का पत्र आया था। विशेष जानकारी के लिये लिखा गया है। सूचना प्राप्त होने पर उचित कार्यवाही की जायेगी।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : पंचायतों ने सूचना दे दी है। इतनी दफ़ा प्रस्ताव पास किये हैं। कितनी बार लिखा है, रकम जमा है। मैंने यह भी पूछा है कि रकम कब जमा हुई थी; तो यह बतायें कि रकम कब जमा हुई थी ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जी नहीं, यह मालूम नहीं है।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : तो फिर क्या मालूम है आपको ?

Page No.5

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बरकतुल्लाखां) : मैडिकल डिपार्टमेंट के अकाउन्ट में रकम जमा नहीं कराई है।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : कितनी रकम कब से जमा है, यह मालूम नहीं। जच्चाखाना न होने से सैकड़ों औरतें हर वर्ष मर जाती हैं, यह भी आपको मालूम नहीं, तो फिर आपको क्या मालूम है ?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट; श्री बालचन्द डागा।

ऊठड़ा बांध का रूपनगढ़ क्षेत्र पर प्रभाव

८. **श्री बालचन्द डागा** (किशनगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सही है कि ऊठड़ा बांध के बन जाने से रूपनगढ़ क्षेत्र के अधिकांश गांवों का पानी सूख गया है और उस क्षेत्र के काश्तकारों को कृषि में हानि हो रही है ?

(२) यदि हां, तो क्या सरकार ने उस क्षेत्र के काश्तकारों की कठिनाई को हल करने की कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी):

(१) जी नहीं।

(२) जी नहीं। गांवों में पानी की कमी, बरसात की कमी के कारण हुई है।

श्री रामकिशन (वैर) : सुनाई नहीं देता अब तो अभ्यास हो गया होगा मंत्री महोदय को बोलने का।

(उप-मंत्री महोदय ने उत्तर पुनः पढ़कर सुनाया)

श्री बालचन्द डागा : इस बांध का कार्य कब शुरू हुआ था ?

सिंचाई मंत्री (श्री भीखाभाई) : यह काम दो साल हुए पूरा हो चुका है, तीन साल पहले प्रारम्भ हुआ था। ऐसी दशा में कब आरम्भ हुआ, इसके पूछने की आवश्यकता नहीं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): क्या सरकार ने जांच की है कि इस बांध के बन जाने से रूपनगढ़ क्षेत्र के कुओं का पानी सूख गया है या नहीं ?

श्री भीखाभाई : जांच की है। आम तौर पर बांध बनाये जाते हैं तो पानी परकोलेट होता है। वहां सीपेज रहता है। तो यह ख्याल गलत है कि बांध बनने से पानी सूख गया है। बांध के नीचे बहुत से नाले हैं। एक माननीय सदस्य के कहने के अनुसार एक छोटा बांध और बनाये जाने के हेतु सर्वे कराया जा रहा है। उससे संभव है कि यह कठिनाई पूरी की जा सके। बांध बनाया इससे भी नीचे पानी का फ्लो है और नीचे नाले भी हैं।

श्री भैरोंसिंह : बांध बनाने के बाद कुओं में पानी की कमी आई या नहीं, इस बात की जांच कराई या नहीं ?

श्री भीखाभाई : यह सर्वे कराने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ दूसरा छोटा कुआ बनाये जाने की मांग है, जिसके लिये सर्वे का आॅर्डर भी दे दिया गया है। इससे भी साबित है कि पानी बांध से नहीं सूखा है।

श्री भैरोंसिंह : आपने अभी राय दी कि कुओं में पानी कम नहीं हुआ है। पर अब तक का अनुभव बताता है कि ठीक नहीं है।

श्री भीखाभाई : मैं इन्कार नहीं कर रहा हूं। यह अर्ज कर रहा हूं कि नीचे बहुत से नाले हैं जिनसे कुओं में पानी पहुंच सकता है। जैसा कि आम बांधों से होता है, यह डेम बंधा है इससे परकोलेशन, सीपेज होता है। इसलिये यह कहना कि इस बांध के बनने से कुओं में सीपेज बन्द हो गया है, यह गलत है।

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न मान्यता का नहीं है, वस्तुस्थिति का है। कुओं में पानी कम होने की जानकारी सरकार को है कि नहीं; केवल इतना ही उत्तर 'हां' या 'ना' में दें।

श्री भीखाभाई : मैंने इस बात की सर्वे नहीं कराई है कि कितना पानी है।

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न बहुत गम्भीर है, इस बांध के लिये ही नहीं और बांधों के लिये भी। एक बांध बनता है तो उसके नीचे के कुएं अगर सूख जाते हैं तो सरकार को इस सम्बन्ध में निश्चित नीति बनानी होगी। सर्वे कराइये कि दो-चार साल से असर हुआ है कि नहीं और खास तौर से इस हालत में जब कि नीचे और एक छोटा बांध बनवाने की सर्वे करवा रहे हैं।

श्री भीखाभाई : भविष्य में इस प्रकार की सर्वे के आदेश दे देंगे।

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): मैं समझता हूं, इसकी भी जांच की जानी चाहिये कि इस बांध के बनाने से कुओं की सिचाई में कितना फर्क पड़ा है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री अब्दुलजब्बार।

देवगढ़ में प्रथम श्रेणी के न्यायालय की मांग

९. **श्री अब्दुलजब्बार** (निम्बाहेड़ा) : क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सत्य है कि देवगढ़ की जनता प्रथम श्रेणी के न्यायालय की स्थापना की मांग कर रही है ?

(२) क्या जनता की मांग और आबादी को ध्यान में रखते हुए वहां पर प्रथम क्लास मजिस्ट्रेट की अदालत की स्थापना की जाएगी? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उप-मंत्री, न्याय (श्री परसराम मदेरणा):

(१) देवगढ़ की जनता की ओर से देवगढ़ में प्रथम श्रेणी का न्यायालय स्थापित किये जाने की कोई मांग सरकार से नहीं की गई है। अलबत्ता नगरपालिका की ओर से एक पत्र इस सम्बन्ध में आया है।

(२) देवगढ़ तहसील में पहले न तो असिस्टेन्ट कलेक्टर की अदालत थी और न सिविल कोर्ट ही था। इस स्थिति को देखते हुए सरकार वहां पर नई अदालत स्थापित करना आवश्यक अथवा उचित नहीं समझती।

श्री अब्दुलजब्बार : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कोशिश करेंगे कि देवगढ़ और भीम की आबादी कितनी २ है ?

श्री परसराम मदेरणा : देवगढ़ की ४७,७२७ है और भीम की ६६,६२७ है।

श्री अब्दुलजब्बार : मेरा मतलब केवल देवगढ़ से है, देवगढ़ तहसील से नहीं।

श्री परसराम मदेरणा : हमारे पास तहसीलों की आबादी है, उसी के आधार पर कोर्ट्स स्थापित किये हैं। भीम की आबादी ज्यादा है, वहां पहले ही कोर्ट था।

श्री अब्दुलजब्बार : यहां आबादी का ख्याल रखा जाता है या डिस्टेन्स का ?

श्री परसराम मदेरणा : आबादी और मुकदमों की संख्या-दोनों का ख्याल रखा जाता है।

श्री अब्दुलजब्बार : ९ हजार की आबादी देवगढ़ की है और भीम की कम है तो फिर देवगढ़ को क्यों टाला जाता है ?

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम): ऐसा क्यों नहीं कर दिया जाता कि १५ दिन देवगढ़ में रहे और १५ दिन भीम में रहे ?

श्री परसराम मदेरणा: ऐसी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। दोनों तहसीलों के मिला कर केसेज़ की संख्या ३३५ है, जबकि पांच सौ से ६ सौ के बीच में केसेज़ की संख्या होनी चाहिये। दोनों तहसीलों के कम केसेज हैं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : उसे अलग करने का नहीं कहा। १५ दिन देवगढ़ में और १५ दिन भीम में रहे तो लोगों को दिक्कत न हो। लोगों को ३० मील दूर जाना पड़ता है मामूली केसेज़ के लिये।

श्री परसराम मदेरणा : केसेज बहुत कम हैं। १५ दिन देवगढ़ में और १५ दिन भीम में रखें तो ठीक नहीं होगा।

प्रश्न संख्या १०

श्री अध्यक्ष : श्री अमरसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री नत्थीसिंह।

सड़क के फाटक के बन्द रहने से असुविधा

११. **श्री नत्थीसिंह** (भरतपुर) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि घना केवला देव भरतपुर में होकर जाने वाली सड़क का फाटक जो शहर को जानेवाली सड़क पर खुलता है रात्रि के १० बजे से सुबह के ४ बजे तक बन्द रहता है ? यदि हां, तो क्या इस प्रकार की कोई आज्ञा सरकार ने जारी की है और यदि की है, तो कब ? यदि नहीं तो फाटक क्यों बन्द रखा जाता है ?

(२) क्या सरकार को यह मालूम है कि टीकैता, अधापुर, दारापुर आदि गांवों के किसानों की गाड़ियां आने का मार्ग केवल उसी सड़क पर होकर है ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त व्यवस्था को बदलने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, वन (श्री निरंजननाथ आचार्य): (१) जी हां। घना केवलादेव में होकर जाने वाली सड़क का फाटक रात्रि के १० बजे से सुबह ५ बजे तक बन्द रहता है। यह आज्ञा वन संरक्षक, पूर्वी वृत्त, ने ६-४-६० को जारी की। रात्रि के समय वन-उपज तथा वन-जीव संरक्षण हेतु फाटक बन्द किया जाता है ताकि कोई व्यक्ति वन-उपज चोरी से न ले जा सके व वन-जीवों का अवैधानिक आखेट का निर्यात न कर सके।

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

यदि कोई वाहन रात्रि के १० बजे से सुबह ५ बजे के बीच में आवे तो फाटक खोल दिया जाता है।

(२) यातायात के लिये कोई रुकावट नहीं है। अथापुर, दारापुर आदि गांवों के किसानों की बैल गाड़ियों के आने की सूचना प्राप्त होने पर दरवाजा खोल दिया जाता है।

श्री नत्थीसिंह : क्या यह सही है कि फाटक पर गार्ड रहता है और जब फाटक पर गार्ड रहता है तो यह खतरा किस प्रकार महसूस करते हैं कि चोरी करके वन-सम्पदा या कोई चीज लेजा सकता है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : ऐसी व्यवस्था थी। वहां पर रजिस्टर भी रहता है। कोई गाड़ी आती है तो उसकी सुविधा के लिए फाटक खोल दिया जाता है।

श्री नत्थीसिंह : मंत्री महोदय को गलत इन्फोर्मेशन है। फाटक नहीं खोला जाता है। आपने यह आॅर्डर कब जारी किया था ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने पहले ही अपने जवाब में बताया था कि ६-४-६० को।

श्री नत्थीसिंह : क्या यह सुविधा थी ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : आने-जाने की असुविधा थी, इसलिए सुविधानुसार सुविधा के लिए यह आज्ञा निकाली गई और सुविधानुसार वापिस ली गई।

श्री नत्थीसिंह : क्या यह जानकारी की गई थी कि कितने ऐसे केसेज़ हुए हैं जिनमें वन से लकड़ी आदि चोरी गये हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : जब से वन उपज और अवैधानिक आखेट के कारण वन जीवों को नष्ट करने की स्थिति पैदा हुई तो इस पर रुकावट जनता की सुविधा के लिए की गई।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): वैधानिक आंकड़े होने चाहिये, आंकड़े कहीं अवैधानिक नहीं हुआ करते हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपने सुना नहीं। मैंने अवैधानिक आखेट कहा था, वन-जीवों को जो अवैधानिक तरीके से मार कर लेजाते हैं उनकी रुकावट के लिए।

श्री रामकिशन (वैर) : रजिस्टर में इतने कितने केसेज़ आज तक आये कि उन्होंने फाटक खोलने की प्रार्थना की और फाटक खोल दिया गया ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपने पूरा समझा नहीं। शिकायत का प्रश्न नहीं है। ज्योंही गाड़ी आयी तो वहां रहने वाला व्यक्ति उसको सुविधा देने के लिए पट फाटक खोल देता है और उसके रजिस्टर पर दस्तखत नम्रतापूर्वक ले लिये जाते हैं।

श्री रामकिशन : वही तो चाहा जाता है कि कितने आदमी आये और उनको इस प्रकार से सुविधा दी गई।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह सीधा सा प्रश्न है। आपको मैं बता दूंगा।

श्री नत्थीसिंह : क्या मंत्री महोदय इसकी जांच कराने के लिए तैयार हैं कि जो उत्तर दिया है वह कितना सही है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : जांच का प्रश्न पैदा नहीं होता है। माननीय सदस्य को जानकारी नहीं है तो मैं देख लूंगा कि भविष्य में कोई दिक्कत न हो।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या माननीय मंत्री को मालूम है कि एक व्यक्ति को समुद्र के किनारे लहरें गिनने के लिए बैठा दिया था लेकिन उसने तो जहाजों का आना-जाना ही बन्द कर दिया था ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह तो एक किम्वदन्ती है और प्रथा के अनुसार है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : क्या फाटक बन्द होने से कोई सुधार हुआ है?

श्री निरंजननाथ आचार्य : उसमें बड़ा सुधार हुआ है; यदा-कदा गड़बड़ियां कर जाते थे जिसमें सुधार ही हुआ है।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

चाइल्ड वेलफेयर सेन्टर, राजलदेसर

१२. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार को राजलदेसर में चाइल्ड वेलफेयर सेन्टर खोलने के बारे में कोई प्रार्थना-पत्र मिला है ? यदि हां, तो उसे खोलने के सम्बन्ध में अब तक सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

उप-मंत्री, स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभामिश्रा) : जी हां। राजलदेसर में प्रसूतिगृह खोलने का मामला अभी तक सरकार के विचाराधीन है।

श्री मुरलीधर व्यास : कब से विचाराधीन है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : काफ़ी समय हो गया है।

श्री मुरलीधर व्यास : अब निर्णय कब हो जायेगा ?

श्री अध्यक्ष : काफी समय लगेगा।

एक माननीय सदस्य : चौथी योजना तक।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या यह सही है कि वहां के लोगों ने काफी धन देने का वादा किया है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जी हां।

श्री मुरलीधर व्यास : तो फिर खोलने में क्या दिक्कत है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : विचार किया जायेगा।

श्री मुरलीधर व्यास : पैसे का क्या उपयोग होगा; जब लोग दे देते हैं तो आप खोलते नहीं ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बरकतुल्लाखां) : लोगों ने वादा किया है कि रुपया देंगे। उनका रुपया देना ही काफी नहीं होता है; और भी दूसरी चीजें देखनी पड़ती हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : यह सारा सोचने के लिए कितना समय लगेगा ? कोई निर्णय तो पहले दे दीजिये कि इतना समय लगेगा। आखिर सरकार कुछ न कुछ विचार तो करती ही होगी ?

श्री बरकतुल्लाखां : मैं समझता हूं कि तीन-चार महीने में कोई डेफीनिट निर्णय दे दिया जावेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन।

सड़क निर्माण

१३. **श्री रामकिशन (वैर) :** क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

फतहपुर सीकरी-हिन्डौन सड़क निर्माण का कितना कार्य पूरा हो चुका है, कितना शेष है और कब तक पूरा हो जायेगा ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : यह सड़क २७ मील बनी हुई है, १६ मील में काम चालू है जो इस साल या अगले साल तक पूरा हो जावेगा। बाकी १॥ मील इसी योजना काल में पूरी कर दी जावेगी।

श्री रामकिशन : यह काम किस साल से आरम्भ हुआ ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : दो-तीन साल से चल रहा है।

श्री रामकिशन : आप ठीक साल बताइये कि कब से यह चल रहा है ? दो-तीन साल कहने से काम नहीं चलता। सन् तो कुछ होगा ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : सन् तो मेरे पास नहीं है। करीब दो-तीन साल से चल रहा है।

श्री रामकिशन : सन् की जानकारी नहीं है तो यह कैसे मान लिया जाय कि दो-तीन साल से यह काम चल रहा है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : मेरी जानकारी के आधार पर कह रहा हूं।

श्री रामकिशन : आपकी जानकारी का आधार क्या है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : जानकारी आती है उसी आधार पर कह रहा हूं।

श्री रामकिशन : जानकारी आने का क्या सवाल है ? सदन को सही सूचना देनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय ने बताया कि तीन साल से चल रहा है। आपने पूछा कि किस सन् में चालू हुआ तो उन्होंने उत्तर दिया कि मुझे मालूम नहीं है। यह ठीक उत्तर है, गलत कहां है ?

श्री रामकिशन : उन्होंने कहा कि दो-तीन साल से चल रहा है।

श्री अध्यक्ष : इस पर उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम है सन् के लिए और दो-तीन साल से काम चल रहा है। यह ठीक तो है। इससे पहले भी चल रहा हो।

श्री रामकिशन : कब पूरा हो जावेगा ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : इसी योजना-काल में।

श्री मुकुटबिहारीलाल (बयाना) : यह काम प्रथम पंचवर्षीय योजना से शुरू हुआ और अब तक चल रहा है। आपको इस

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

बारे में जानकारी नहीं होगी। मैं यह करा देता हूं। फतहपुर वगैरह यू. पी. में हैं और वहां की सरकार ने पांच साल पहले ही पूरी कर दी थी अपने हिस्से की, जब कि हमारे यहां काम ही नहीं हुआ था।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : यू.पी. ने भी तीन मील का ही काम किया है और १।। मील का अभी तक बाकी है।

श्री रामकिशन : उनकी सीमा ही ४।। मील की है, १६ मील का कहां तक हो गया ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : रूपवास तक काम हुआ है।

श्री रामकिशन : वह तो स्टेट के वक्त में ही पूरी हो गई थी। राजस्थान सरकार ने कितना कराया है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : रुद्रावल से रूपवास १६ मील का काम चला है। फतहपुर सिटी ६ मील है। ४।। मील राजस्थान का भाग है और यू. पी. का भी ४।। मील का भाग है। ३ मील राजस्थान सरकार ने और यू. पी. सरकार ने, दोनों ने बना दिया है और दोनों का १।।-१।। मील बाकी है।

श्री रामकिशन : रुद्रावल से रूपवास का सवाल नहीं है। क्या सूचना दे रहे हैं; यह रूपवास होकर कहां जाती है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : रूपवास होकर जावेगी।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : रूपवास होकर नहीं जावेगी। आप जानकारी कर लीजिये। रुद्रावल और रूपवास का फासला ७-८ मील का है।

श्री रामकिशन : किसी दूसरे प्रश्न का तो उत्तर माननीय मंत्री महोदय नहीं दे रहे हैं ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : इसी प्रश्न का दे रहा हूं।

श्री रामकिशन : आप फिर अच्छी तरह से देखिये कि रूपवास होकर जावेगी ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : मैंने जो कहा है वह ठीक ही कहा है।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुनाथ बिश्नोई।

सोइल कन्ज़र्वेशन स्कीम

१४. श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) सोइल कन्जर्वेशन स्कीम राजस्थान में कितने जिलों में लागू की गई हैं ?

(२) सोइल कन्जर्वेशन स्कीम लागू करने के क्या क्या आधार हैं ?

(३) क्या इस स्कीम को लागू करने के पूर्व राजस्थान के तमाम जिलों में इस समस्या के समाधान के लिये कोई विस्तृत सर्वे किया गया था ? अगर हां, तो कब ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(४) उपरोक्त स्कीम को जिला जालौर में लागू न करने के क्या क्या कारण हैं ? क्या अब सरकार निकट भविष्य में इस स्कीम को इस जिले में लागू करने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, कृषि (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (१) १५ जिलों में।

(२) सोइल कन्जर्वेशन बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर यह योजना लागू की जाती है। बोर्ड अपनी सिफारिश करते समय उन क्षेत्रों का विशेष ध्यान रखता है जहां पर वर्षा अधिक होती है तथा जहां भूमि कटाव की समस्या विशेष है और जहां काश्तकार लोग इस काम को करने के लिए तैयार हैं। इसके अतिरिक्त उपलब्ध धनराशि व स्टाफ को भी दृष्टि में रखा जाता है।

(३) जी नहीं। समस्या की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए यह योजना भाग (१) में वर्णित मुख्य मुद्दों के आधार पर लागू कर दी गई थी। साथ में सर्वेक्षण कार्यक्रम भी चालू है।

(४) एक साल पूर्व जिला परिषद् एवं जिला कृषि अधिकारी ने इस जिले को प्रोग्राम में सम्मिलित करने का प्रस्ताव भेजा था, किन्तु प्रस्ताव आने से बहुत पहले ही इन १५ जिलों का चयन हो चुका था; अतः प्रस्ताव के आधार पर क्षेत्र की जांच करवाई जा रही है, फिर इस पर विचार किया जावेगा।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : यह निश्चित रूप से बताने का कष्ट करें कि कब तक इस जिले में लागू कर दी जायगी स्कीम ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : सर्वेक्षण कार्य पूरा होने के बाद विचार किया जायेगा।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): राजस्थान के जिन पन्द्रह जिलों में योजना लागू की गई है उनके नाम बतायें ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : जोधपुर, नागोर, गंगानगर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, अजमेर, सिरोही, पाली और...... ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या १५।

भरतपुर जिले में छात्र-वृत्तियां

१५. श्री रामकिशन, (वैर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) गत वर्ष भरतपुर जिले में अनुसूचित जातियों के कितने छात्रों को छात्र-वृत्तियां दी गईं ?

(२) क्या यह सत्य है कि छात्रों के प्रार्थना-पत्र होते हुये भी उन्हें छात्रवृत्ति नहीं दी गई और इस मद में स्वीकृत रकम लैप्स हो गई थी ?

(३) यदि हां, तो ऐसा क्यों हुआ है ?

उप-मंत्री, समाज कल्याण (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न शिक्षा मंत्रीजी को ट्रान्सफर हो चुका है, इसलिये वे अपनी टर्न पर इसका जबाब देंगे।

श्री रामकिशन : क्या साहब ?

श्री अध्यक्ष : शिक्षा मंत्री अपने दिन पर जवाब देंगे।

(विराम)

श्री अब्दुलजब्बार।

उदयपुर-निम्बाहेड़ा की बसें

१६. श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) उदयपुर से निम्बाहेड़ा कितनी बसें चलती हैं ?

(२) साल में कितने महीने ये बसें बंद रहती हैं और इनके बन्द रहने का क्या कारण है तथा क्या इससे रोड टैक्स की आय में सरकार को नुकसान नहीं पहुंचता ?

उप-मंत्री, यातायात (श्री भीमसिंह) : (१) इस मार्ग पर ११ परमिट दिये हुए हैं।

(२) वर्षा ऋतु में रास्ता मोटरेबल न होने से मांगलवाड़ से निम्बाहेड़ा तक जो केवल २० मील है बसें बन्द रहती हैं । इस समय ११ गाड़ियों में से केवल एक गाड़ी बस सं० आर. जे. वाई. १०९५ उदयपुर से मांगलवाड़ (४० मील तक) नियमित रूप से चल रही है । बाकी १० गाड़ियों में से ६ गाड़ियों ने ३०-६-६२ को अपने रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट आर. टी. ओ. ऑफिस में जमा करा दिये हैं । यदि ये सर्टीफिकेट जमा न होते तो सरकार को उक्त ६ गाड़ियों पर रोड टैक्स का २,४५०.१२ का नुकसान न होता। बाकी ४ गाड़ियों के मालिकों को जिन्होंने न तो रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट जमा कराये हैं और न नियमित रूप से गाड़ियां चला रहे हैं शो-कॉज़ नोटिस दिये जा चुके हैं । इन गाड़ियों का रोड टैक्स जमा हो चुका है ।

श्री अब्दुलजब्बार : अगर बारिश में ये बराबर चलतीं तो रोड टैक्स कम जमा हुआ है वह पूरा होता या न होता ?

श्री भीमसिंह : आगे के २० मील में जितना दलदल हो जाता है उसमें गाड़ियां नहीं चल सकतीं । इसलिये मजबूरन बन्द करना पड़ता है ।

श्री अब्दुलजब्बार : क्या इससे रेवेन्यू लॉस नहीं है ? अगर मोटर चलती तो रेवेन्यू का फायदा होता ? अगर मोटर नहीं चलती हैं तो नुकसान होता है, यह मानते हैं या नहीं ?

श्री भीमसिंह : लॉस तो बेशक होता है, लेकिन मोटर चलानेवाले नहीं चलाना चाहते और उस हालत में अन्डर रूल्स रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट जमा कराने का अधिकार है। वह जमा करा देते हैं तो कुदरतन टैक्स जमा नहीं कराना होता है ।

श्री अब्दुलजब्बार : सरकार यह मानती है कि रेवेन्यू लॉस हो रहा है । सड़क टूटने से और रास्ता खराब होने से लॉस हो रहा है, तो क्या सरकार विचार रखती है कि सड़क बनाई जाये और रेवेन्यू में जो लॉस हो रहा है उसको रोका जाये ?

श्री भीमसिंह : यह पृथक प्रश्न है, सड़क कब तक बनेगी, सरकार कब तक बनायेगी ? यह पी. डब्ल्यू. डी. मंत्री बतायेंगे ।

श्री अब्दुलजब्बार : सवाल यह है कि जब रेन्वेयू का लॉस होता है और जब इकोनौमी-कट की बात हो रही है तो क्या सरकार यह सोचती है कि इस लॉस को बचाया जाय या न बचाया जाय ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई ।

चीतलवाना प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में डॉक्टर की व्यवस्था

१७. **श्री रघुनाथ बिश्नोई** (सांचोर): क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) चीतलवाना प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में कितने समय से डॉक्टर की जगह खाली है ? वह जगह भविष्य में कब तक खाली रहेगी ?

(२) क्या सरकार उक्त केन्द्र में शीघ्र ही डॉक्टर भेजने की व्यवस्था करेगी ?

(३) उक्त केन्द्र में कुल कितने कर्मचारियों की जगह खाली है और वे कब तक भरी जा सकेंगी ?

उप-मंत्री, स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा):

(१) डाक्टर की जगह खाली नहीं है।

(२) प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

(३) सात कर्मचारियों की जगह खाली है। ये शीघ्र ही भरी जाएंगी ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : क्या मंत्राणीजी बताने का कष्ट करेंगी कि चीतलवाना में पिछले एक साल से कोई डॉक्टर नहीं है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जैसा इस प्रश्न के उत्तर में बताया गया, वहां डॉक्टर है ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : जिस डॉक्टर का वहां पोस्टिंग हो गया है उसका वहां न पहुंचने का क्या कारण है ? वह वहां क्यों नहीं जाता ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बरकतुल्लाखां) : डॉक्टर माथुर वहां पहुंच गये हैं ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : ये कब तक पहुंच जायेंगे ?

गृह मंत्री (श्री मथरादास माथुर): पहुंच गये ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : मैं बताना चाहता हूं कि परसों तक नहीं पहुंचे हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : रास्ते में क्रोस हो गया होगा ।

श्री बरकतुल्लाखां : मैं पता लगा कर बता दूंगा ।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): शाम तक सही सलामत पहुंच जायेंगे ।

(उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री अध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत ।

जयपुर शहर में प्रदर्शनी भवन

१८. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत** (भीम) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि जयपुर शहर में स्थायी प्रदर्शनी भवन बनाने की सरकार की योजना है ?

(२) यदि हां, तो यह भवन कहां और कब तक बनाया जावेगा ?

Page No.15

गृह मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : (१) तृतीय पंचवर्षीय योजना में स्थायी प्रदर्शनी भवन बनाने की योजना है। किन्तु, योजना का जो कोर प्लान बना है उसमें स्थायी प्रदर्शनी को प्रायोरिटी में नहीं रखा जा सका है।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : आपने बताया कि कोर प्लान में नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर : कोर प्लान में नहीं रखा जा सका है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह समझा जाय कि कोर प्लान में यह आइटम नहीं है तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में नहीं होगा ?

श्री मथुरादास माथुर : पहले कोर प्लान कम्प्लीट होगा, उसके बाद में यह होगा।

श्री भैरोंसिंह : शब्द बोल दीजिये, यह कम्प्लीट हो जायगा या नहीं? रिमेनिंग पोर्शन है कोर प्लान के, वे तीसरी पंचवर्षीय योजना में होंगे ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : इसका मतलब यह है कि प्रायोरिटी उसको दी जायगी। उसका मतलब यह नहीं है कि बाकी स्कीम को पूरा नहीं किया जा सकेगा। इसका निर्णय किया गया है और दूसरी योजनायें हैं वे साधन-उपलब्धि पर निर्भर करेंगी।

श्री भैरोंसिंह : कोर प्लान के अन्दर इस आइटम को न रखने की क्या वजूहात थीं? इसे प्रिफरेन्स न देकर दूसरे आइटम को क्यों शुमार किया है ?

श्री मथुरादास माथुर : "एग्ज़ीबीशन" हैड के मातहत हमारे यहां पर छः आइटम्स थे, एग्ज़ीबीशन हैड के नीचे—मोबाइल, एग्ज़ीबीशन यूनिट, फील्ड यूनिट, परमानेन्ट एग्ज़ीबीशन, जयपुर, प्रोडक्शन यूनिट एण्ड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। इसके अन्दर फील्ड यूनिट को बहुत जरूरी समझा गया, प्रोडक्शन यूनिट को बहुत जरूरी समझा गया, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को बहुत जरूरी समझा गया। प्रोडक्शन यूनिट नहीं होगी तो एग्ज़ीबिट्स नहीं बन सकेंगे और एग्ज़ीबिट्स नहीं होंगे तो एग्ज़ीबीशन नहीं कर सकेंगे, नुमाइश नहीं कर सकेंगे। इसलिए एग्ज़ीबीशन यूनिट जरूरी है और एग्ज़ीबीशन यूनिट के साथ ही फील्ड यूनिट, क्योंकि गांव के अन्दर प्रदर्शनी होती है, भी रखना जरूरी है। प्रदर्शनी पंचायत समिति के मार्फत करते रहें। इसलिए इनको प्रायोरिटी दी गई है और कोर प्लान में रखा गया है। उसके बाद साधन उपलब्ध होने पर परमानेन्ट एग्ज़ीबीशन जयपुर को ले लिया जायगा।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार ने यह पोइन्ट कन्सीडरेशन में नहीं रखा है कि यहां प्रदर्शनी भवन न होने के कारण जो हर साल प्रदर्शनी की जाती है उसमें खर्चा होता है, अगर प्रदर्शनी भवन बन जाय तो बार बार खर्चा न होगा ?

श्री मथुरादास माथुर : परमानेन्ट एग्ज़ीबीशन और जो एग्ज़ीबीशन हम करते हैं, उसमें अन्तर है। परमानेन्ट एग्ज़ीबीशन बनाने पर भी जो हम एग्ज़ीबीशन करते हैं वह बहुत बड़ी होती है। परमानेन्ट एग्ज़ीबीशन का मतलब यह है कि राजस्थान की चीजों को परमानेन्टली एक बिल्डिंग में एग्ज़िबिट किया जाय यानी दूसरी प्रकार से एक म्यूज़ियम की

Page No.16

(श्री मथुरादास माथुर)

तरह बन जायगी। इसलिए वह कोर प्लान में न रख कर नॉन कोर में रखा है। जब साधन होंगे तो जरूर करेंगे, प्लान में ड्रोप नहीं करेंगे। अगर साधन होंगे तो आपके सहयोग से जरूर करेंगे।

श्री भैरोंसिंह : कोर प्लान तय करने के पहले प्लान का फेज प्रोग्राम बन गया था, उस तीसरी पंचवर्षीय योजना के फेज प्रोग्राम में प्रदर्शनी भवन बनाने का निर्णय सरकार ने नहीं लिया था ?

श्री मथुरादास माथुर : मैं निवेदन करूंगा कि जो प्लान बनाया था, उसमें जो फेज प्रोग्राम था वही था। अब सरकार ने प्रायोरिटी फिक्स की है रिसोर्सेज़ को देखते हुए। उसके अन्दर हमने फील्ड यूनिट, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, प्रोडक्शन यूनिट—इन तीनों को प्रायोरिटी दी है। चौथी में परमानेन्ट एग्ज़ीबीशन की बात रखी है। साधन होंगे तो तीसरी साल में बन सकता है, चौथी में बन सकता है या प्लान के एण्ड में बन सकता है।

श्री भैरोंसिंह : परमानेन्ट एग्ज़ीबीशन में कुल कितना खर्चा होनेवाला था ?

श्री मथुरादास माथुर : इसमें करीब कुल एग्ज़ीबीशन के लिये . . ,

श्री भैरोंसिंह : परमानेन्ट एग्ज़ीबीशन के लिए ?

श्री मथुरादास माथुर : मैं बता रहा हूं। एग्ज़ीबीशन के लिए ११.६० था। इसके लिए मैं नोटिस चाहूंगा। मैं समझता हूं कि यह अबाउट ४ लाख था, परमानेन्ट एग्ज़ीबीशन के लिए। मैं वापिस देख कर बता दूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत।

रावतसर-सरदारशहर सड़क

१९. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि रावतसर से सरदारशहर की सड़क द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में पूरी हो जाने को थी ?

(२) यदि हां, तो अब वह कब तक बन कर पूर्ण हो जावेगी ?

उप-मंत्री सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) जी नहीं।

(२) आशा है कि इसी तृतीय पंचवर्षीय योजना में काम पूरा हो जावेगा।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : तीसरी पंचवर्षीय योजना तो चल ही रही है।

प्रश्न संख्या २०

श्री अध्यक्ष : श्री कृष्णकुमार गोयल।

(अनुपस्थित)

बसों की व्यवस्था

२१. श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा-सु) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या मनोहरथाना-चाचोरा मार्ग पर जनता के आवागमन की सुविधा के लिये बसों की व्यवस्था है ?

(श्री भैरवलाल 'कालाबादल')

(२) क्या उस रूट पर पिछले ५ वर्षों से जनता बसेज़ चालू करने की मांग करती रही है ? यदि हां, तो सरकार को मांग पूरी करने में क्या कठिनाई है ?

उप-मंत्री, यातायात (श्री भीमसिंह):
१. जी नहीं।
२. जी हां। दो प्रार्थना-पत्र मनोहर-थाना--चाचोरा पर बस चालू कराने के लिए प्राप्त हुए थे। तारीख ६-५-५८ को मोटर व्हीकल सब-इन्सपेक्टर, झालावाड़ को उक्त रूट की सर्वे करने को कहा गया था। चूंकि उक्त रूट राजस्थान व मध्य प्रदेश के बीच जोइन्ट रूट है इस वजह से मोटर व्हीकल सब-इन्सपेक्टर, झालावाड़ की सर्वे रिपोर्ट नहीं आ सकी। ए० आर० टी० ओ०, कोटा व ट्रान्सपोर्ट कमीशन, मध्यप्रदेश ने इस सम्बन्ध में एक जोइन्ट सर्वे रिपोर्ट तारीख ३१-८-६२ को तैयार की है। उसमें यह सिफारिश की गई है कि अकलेरा-मनोहर थाना रूट को बीनगंज, जो मध्य-प्रदेश में है, तक बढ़ाया जाय, जिसमें चाचोरा भी शामिल हो जायगा और जनता को आवागमन की सुविधा मिल सकेगी। यह रूट कुल ४५ मील लम्बा है, जिसमें ३४ मील राजस्थान व ११ मील मध्यप्रदेश का आता है। जोइन्ट सर्वे रिपोर्ट आज ही प्राप्त हुई है, इस पर एस० टी० ए० में विचार किया जायगा।

डॉक्टरों की कमी

२२. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत** (भीम) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि राज्य में डॉक्टरों की काफी कमी है ?

(२) यदि हां, तो यह कमी कितनी है और कब तक पूरी कर दी जायेगी ?

उप-मंत्री, स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (१) जी हां।

(२) दो सौ डॉक्टरों की जगह इकोनोमी-कट में सरेन्डर करने के बाद वर्तमान समय में लगभग ३०० डॉक्टरों की कमी है। इस कमी को पूरा करने हेतु दो नये कॉलेज खोले जा चुके हैं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या इस संख्या में लेडी डॉक्टर्स भी शामिल हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या सरकार ऐसी परिस्थिति में जब कि डॉक्टर्स की इतनी आवश्यकता है तो राज्य से बाहर के लोगों को रिक्रूट करने की व्यवस्था पर विचार करेगी ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बरकतुल्लाखां) : राज्य सरकार बहुत कोशिश कर रही है कि दूसरे राज्यों से डॉक्टर्स रिक्रूट किये जायं। इसलिये हमने १६७ डॉक्टर्स की नियुक्ति की थी, लेकिन उनमें से ७२ डॉक्टर्स ही यहां आये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): क्या वे लोग इसलिये चले गये कि उनको जो सुविधा यहां मिलनी चाहिये थी वह नहीं मिली ?

Page No.18

श्री बरकतुल्लाखां : जो सुविधा यहां के डॉक्टर्स को मिलती है वही सुविधा उनको दी गई।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : दो मेडिकल कॉलेज खोलने के बाद भी जब डॉक्टर्स की कमी है तो क्या तीसरी कॉलेज खोलने की भी आप व्यवस्था कर रहे हैं ?

श्री बरकतुल्लाखां : तीसरी कॉलेज, चौथी कॉलेज भी खोलेंगे। अब जो स्टूडेन्ट्स हमारे इन कॉलेजों में भर्ती हो रहे हैं उनसे बोन्ड्स लिखाया जा रहा है कि वे पांच साल तक राजस्थान के अन्दर सर्विस करेंगे।

श्री कुमारानन्द (ब्यावर) : क्या मैडिकल कॉलेज आप अजमेर में भी खोल रहे हैं ?

श्री बरकतुल्लाखां : अभी तक तय नहीं हुआ है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): दो ही जगह कॉलेज खोलने का है उदयपुर या जोधपुर।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस तरह से तो आप पांच साल तक भी डॉक्टर्स की कमी को पूरा नहीं कर सकेंगे ?

मुख्यमंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए बता दूं कि सिवाय बंगाल के सारे हिन्दुस्तान के अन्दर डॉक्टर्स की कमी है।

श्री रामकिशन (वैर) : यह आप किस आधार पर कह रहे हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : ऑल इन्डिया मैन पॉवर स्टडी के आधार पर।

श्री रामकिशन : स्वास्थ्य विभाग ने जो रिपोर्ट निकाली है उसके अन्दर यह लिखा है कि उत्तर प्रदेश में डॉक्टर्स बेकार हैं।

श्री बरकतुल्लाखां : जो माननीय सदस्य यह जानकारी दे रहे हैं उनसे मेरा निवेदन यह है कि उत्तर प्रदेश के जितने भी डॉक्टर्स की वे भर्ती कराना चाहें मैं भर्ती करने के लिये तैयार हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपके भर्ती करने से होता क्या है ? उनको तनख्वाह तो आप दिला नहीं सकते। अध्यक्ष महोदय, मेरे पास ऐसे ऐसे डॉक्टर्स की लिस्ट है जिनको सात-सात महीनों से तनख्वाह नहीं मिली है। उसके अलावा पंजाब में जहां ५५०)रु० से डॉक्टर्स की पे शुरू होती है यहां २५०)रु० से हम शुरू करते हैं। आप जिनको भर्ती कर रहे हैं उनको भी सात-सात महीनों से तनख्वाह नहीं दे सकते, तो कौन आपकी सर्विस में आना चाहेगा ? मुफ्त में तो कोई डॉक्टर मिलनेवाला नहीं। आप भी छः महीने बगैर तनख्वाह लेकर काम तो करिये !

श्री बरकतुल्लाखां : पिछले छः महीनों के अन्दर करीब २०० डॉक्टर्स को तनख्वाह मिल चुकी है, केवल २०, २५ के मामले पेन्डिंग हैं, जो पब्लिक सर्विस कमीशन से एप्रूव होने हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन से एप्रूव होते ही उनको तनख्वाह मिल जायगी।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल (बयाना): डॉक्टरों को तनख्वाह नहीं मिलने

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

के कारण भरतपुर वगैरह से कई डॉक्टर्स इस्तीफा देकर चले गये और उन्होंने इस्तीफा देने के कारणों का उल्लेख करते हुए यह भी लिखा है कि हम नये आदमी हैं, हमें तनख्वाह मिले हुए छः, सात महीने हो गये, बगैर तनख्वाह के हम अपने बाल-बच्चों का गुजर-बसर नहीं कर सकते, इसलिये हम अपने पद से इस्तीफा देते हैं। उसके बाद भी आज तक उनके वेतन का भुगतान नहीं हुआ।

श्री बरकतुल्लाखां : जिनका अपोइंटमेंट पब्लिक सर्विस कमीशन से एप्रूव नहीं हुआ है उनको तनख्वाह देने में देरी हुई है, लेकिन इस तरह के भी दस केसेज़ से ज्यादा नहीं हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या सरकार डॉक्टर्स की कमी को देखते हुए इस प्रकार की व्यवस्था करने की सोच रही है कि पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जहां तक कन्फर्मेशन का सवाल है उस कन्डीशन को इन डॉक्टर्स के केस में वेव कर दिया जाय और उनको परमानेंट समझा जाय ?

श्री बरकतुल्लाखां : जो सुझाव आप दे रहे हैं उस बारे में पहले से ही हम पब्लिक सर्विस कमीशन से बातचीत कर रहे हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : क्या यह सही है कि जहां तक मेडिकल कॉलेज में स्टूडेन्ट्स की भर्ती का सवाल है डॉक्टर्स की कमी के बावजूद भी सीट्स खाली पड़ी हुई हैं और स्टूडेन्ट्स को भर्ती नहीं किया जा रहा है ?

श्री बरकतुल्लाखां : जितनी भी मेडिकल कॉलेजेज़ में सीट्स थी वे सारी भर दी गई हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मिनिस्टर महोदय का जवाब बिल्कुल गलत है। बीकानेर मेडिकल कॉलेज के अन्दर चार सीटें खाली पड़ी हैं। वहां किसी भी स्टूडेन्ट को दाखिला नहीं दिया गया।

श्री अध्यक्ष : दाखिला तो दिया होगा, लेकिन स्टूडेन्ट्स आये नहीं होंगे।

श्री मानिकचन्द सुराणा : अभी तक वहां पर चार सीटें खाली हैं, उसके लिये कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

श्री बरकतुल्लाखां : जिस वक्त एडमीशन होता है उस वक्त ऐसा होता है कि कई स्टूडेन्ट्स दो-तीन जगहों के लिये फॉर्म भर देते हैं। जब उनको दूसरी जगह एडमीशन मिल जाता है तो वे दूसरी जगह चले जाते हैं। इस तरह से कुछ सीटें खाली रह जाती हैं। इस तरह की जगह हो सकती हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मेरा निवेदन यह है कि बीसियों स्टूडेन्ट्स वहां भर्ती होने के लिये लालायित हैं, जब कि वहां चार सीटें वेकेन्ट हैं। अगर ये सीटें खाली हैं तो जो छात्र प्रवेश चाहते हैं उनको प्रवेश दिया जाय।

श्री बरकतुल्लाखां : जो ऐलोजिबल होंगे, जिनकी मार्क्स शीट ऐसी होगी जिसके मुताबिक प्रवेश पा सकेंगे तो उनको दिया जायगा। सीटें खाली रखने का सवाल ही नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : राजस्थान के डॉक्टरों के ग्रेड दूसरी स्टेट्स के मुकाबले कम हैं। इसलिये वहां के डॉक्टर्स यहां नहीं आना चाहते। ऐसी हालत में यहां डॉक्टरों की ग्रेड को रिवाइज़ करने के लिये सरकार विचार करेगी ताकि दूसरी स्टेट्स के डॉक्टर्स भी यहां आ सकें ?

श्री अध्यक्ष : यहां डॉक्टरों के ग्रेड काफी स्टेट्स से अच्छे हैं, कुछेक स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर हमारे से अधिक वेतन मिलता है।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : क्या यह सही है कि राजस्थान में जो डॉक्टर्स पढ़े हैं उनको हिन्दुस्तान की दूसरी स्टेट्स में सर्विस नहीं मिलती ?

श्री बरकतुल्लाखां : काबलियत से इसका मतलब नहीं।

श्री मोतीलाल चौधरी : मेरा यह निवेदन है कि ऑल इंडिया मेडिकल बोर्ड द्वारा हमारे डॉक्टरों को मान्यता नहीं है, इसलिये यहां के डॉक्टर्स को दूसरी स्टेट्स में नहीं लिया जाता।

श्री बरकतुल्लाखां : अगर यही होता तो सारे डॉक्टर्स हमारे यहां ही रह जाते।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा-सु०) : जब हमारे यहां डॉक्टर्स की कमी है तो ऐसी हालत में जो डॉक्टर्स रिटायर होने वाले हैं, उनकी आयु की सीमा बढ़ाकर उनको ज्यादा दिन तक कार्य करने दिया जाय; क्या इस पर आप विचार करेंगे ?

श्री मोतीलाल चौधरी : मेरा निवेदन है कि क्या हमारे यहां मेडिकल कॉलेज से निकले हुए डॉक्टर्स को दूसरी स्टेट्स में सर्विस में लिया नहीं जाता क्योंकि यहां से क्वालिफाइड डॉक्टर्स को कम क्वालिफाइड मानते हैं ? क्या मेडिकल बोर्ड ने हमारे यहां के डॉक्टर्स को क्वालिफाइड किया है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या डॉक्टरों की कमी को देखते हुए प्राइवेट जो डॉक्टर हैं और जो योग्य हैं उनकी एज (age) वेव करके उनको सर्विस में लेने का सरकार विचार करेगी ?

श्री बरकतुल्लाखां : ५५ साल के बाद भी...

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं यह नहीं पूछ रहा हूं, मैं तो प्राइवेट प्रेक्टीश्नर्स के बारे में पूछ रहा हूं कि जो सर्विस में नहीं है सरकार की सर्विस में आना चाहें, उनकी एज वेव करके क्या सरकार लेने का विचार करेगी ?

श्री बरकतुल्लाखां : एलीजिबल होंगे तो लिये जा सकते हैं।

श्री मोतीलाल चौधरी : क्या इंडियन मेडिकल बोर्ड ने यहां पढ़े हुए डॉक्टरों को रिकोग्नाइज किया है और अगर किया है तो कब किया ?

I want a particular reply.

श्री बरकतुल्लाखां : The question is altogether different and it is not related to that. I cann't have off-hand information about that; whether the doctors of this State are eligible or not for appointment in other States.

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन।

नल-कूप योजना

२३. श्री रामकिशन (वैर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या पानी के अभाववाले क्षेत्रों में सरकार ने नल-कूप लगाने की कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो सरकार वैर क्षेत्र में कहां कहां नल-कूप लगाने का इरादा रखती है ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्रीमती कमला बेनीवाल): सिंचाई के लिए ऐसी कोई योजना नहीं है ।

श्री रामकिशन : क्या आप यह महसूस करती हैं कि इस योजना पर विचार कर सकते हैं जहां सूखा क्षेत्र है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैंने कहा न कि इसके सम्बन्ध की कोई योजना नहीं है । जब विचार करेंगे तो कह देंगे कि यह योजना है ।

श्री रामकिशन : ऐसी योजना होती तो मैं ही पूछ लेता कि क्या इरादा रखती है, पर योजना ही के लिये तो मैं पूछ रहा हूं ।

श्रीमती कमला बेनीवाल : यह दूसरा प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

सड़क निर्माण के लिये धन राशि की स्वीकृति

२४. वैद्य श्री गोविन्दसहाय (गंगापुर): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

सवाईमाधोपुर जिले में सरकार ने प्रथम पंचवर्षीय तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सड़कों के काम में कितनी धनराशि स्वीकृत की थी ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : प्रथम योजना-काल में २७,३७,७५५) रु० तथा द्वितीय योजना-काल में ३४,१४,०००) रु० ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): इन योजनाओं में कितना रुपया पहली और कितना दूसरी योजना में खर्च हुआ है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : प्रथम योजना में २०॥ लाख और दूसरी में ४१ लाख खर्च हुआ है ।

सांचोर में पिछड़ी जाति के लिये कॉलोनी

२५. श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार पिछड़ी जाति के लोगों के लिये सांचोर में एक कॉलोनी बनवाने का विचार रखती है ? अगर हां, तो इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? अगर नहीं, तो क्यों तथा ऐसी कॉलोनी कब तक बन जावेगी ?

उप-मंत्री, समाज कल्याण (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : अभी तक पंचायत समिति द्वारा पिछड़ी जातियों के लिये कॉलोनी बनाने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मैं जानकारी के लिये बता देना चाहता हूं कि छः महीने पहले ऐसा प्रस्ताव बना कर भेज दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : एक नया और भिजवा दीजियेगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : पहला खो गया क्या ?

श्री अध्यक्ष : श्री मोहनलाल सारस्वत।

बिजली की दर

२६. **श्री मोहनलाल सारस्वत** (रतनगढ़) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) क्या सरकार की भाखरा से विद्युत् उपलब्ध होते ही बिजली की दर आधी करने की योजना थी ?

(२) यदि हां, तो रतनगढ़ व उसके आसपास के नगरों में जहां भाखरा की बिजली को आये वर्ष बीत चुके हैं अभी तक दर क्यों नहीं घटाई गई है तथा सरकार द्वारा भविष्य में कब तक इसे घटाने की सम्भावना है ?

उप-मंत्री, विद्युत् (श्री परसराम मदेरणा) : (१) जी नहीं।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : 'जी नहीं', तो क्या यह सही नहीं है कि सरकार की ऐसी घोषणा थी कि भाखरा से या चम्बल से बिजली मिलने के बाद रेट्स कम की जावेंगी ?

श्री परसराम मदेरणा : जी नहीं।

श्री मुरलीधर व्यास : सदन में, पब्लिक मीटिंगों में मिनिस्टर लोग कहते रहे हैं। फिर आज 'ना' देना, इसमें तो कोई तुक नहीं।

श्री परसराम मदेरणा : इस तरह की न योजना है और न घोषणा ही की गई थी, तो भी सरकार ने एक टैरिफ़ कमेटी बैठाई है। एक यूनिफार्म रेट के बारे में वह विचार कर रही है। उसकी रिपोर्ट आने के बाद सरकार उस पर निर्णय लेगी।

श्री मुरलीधर व्यास : सरकार ने, उसके मिनिस्टरों ने स्वयं ने, सदन में कहा है कि चूंकि नया काम है, खर्चा काफी इसमें कर चुके हैं इसलिये हमको ज्यादा रेट अभी तो लेनी है, आगे जाकर कम करेंगे; आप कहते हैं, ऐसा हुआ ही नहीं। इसका क्या मतलब ? आखिर भाखरा से बिजली मिलने के बाद भी रेट कम न हों तो कृषि और इन्डस्ट्री के लाभ की बात करने से क्या फायदा ?

विद्युत् मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : इसीलिये हमने एक टैरिफ कमेटी का निर्माण किया है।

(दो माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष : श्री मोहनलाल सारस्वत।

श्री मोहनलाल सारस्वत : रतनगढ़ में जब से बिजली आई है तब से छः आने के बजाय आठ आने यूनिट कर दिया गया है और पहले यह आश्वासन था

(श्री मोहनलाल सारस्वत)

कि काफी बिजली मिलेगी और रेटें कम होंगी भाखरा की बिजली आने के बाद, तो यह पहले विचार करके नहीं कहा गया था क्या ?

श्री हरिश्चन्द्र : जो टैरिफ निर्धारित हुआ है उसी के अनुसार लिया जा रहा है।

श्री मोहनलाल सारस्वत : तो क्या यह सही है कि जयपुर में दो आना रिबेट मिलता है और रतनगढ़ और बीकानेर में नहीं मिलता ? ऐसा भेदभाव क्यों किया जाता है ?

श्री हरिश्चन्द्र : मैं इसकी जानकारी करके आपको बता सकूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या यह सही है कि टैरिफ रिपोर्ट आने से पहले ही कोटा में रेटें कम कर दी गई है ?

श्री हरिश्चन्द्र : चम्बल की रेटों में तो वहां के टैरिफ की रेटें ही लगाई गई हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि चम्बल की बिजली आने से पहले जो रेटें थी वे बाद में कम कर दी गई ?

श्री हरिश्चन्द्र : जी हां।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): टैरिफ कमेटी की रिपोर्ट कब तक आ जावेगी भाखरा के सम्बन्ध में ?

श्री हरिश्चन्द्र : विद्युत् मण्डल से बात हो रही है। इसकी रिपोर्ट उनके पास जावेगी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : चूरू की इन्डस्ट्री को दो आना रिबेट अभी से चालू कर दिया गया है करीब पिछले एक वर्ष से, जब कि बीकानेर और रतनगढ़ को नहीं किया गया, बावजूद इस सम्बन्ध में सरकार से रिप्रेज़ेन्टेशन किये जाने के ?

श्री हरिश्चन्द्र : यह अलग प्रश्न है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इसके क्या कारण है ?

श्री हरिश्चन्द्र : जिस तरह का जेनरेशन होता है उस पर बिजली की रेटें निर्धारित होती हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा हो तो महंगी हो जावेगी, कम होगा तो सस्ती होगी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या चम्बल का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भाखरा से ज्यादा नहीं है ?

श्री हरिश्चन्द्र : इसी की जांच करने के लिये टैरिफ कमेटी मुकर्रर की गई है। इसी के बेसिस पर वह रेटों के बारे में रिकमन्डेशन करेगी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं समझता हूं कि जहां रेटें ज्यादा हैं वहां कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है और जहां कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है वहां रेटें ज्यादा हैं। क्या इस प्रकार की स्थिति नहीं है; due to cross multiplication ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री मोहनराज (बाली) : क्या राज्य सरकार चम्बल और भाखरा से जो बिजली मिलनेवाली है या दूसरे बिजलीघर जो हैं उन सबसे पैदा की जानेवाली बिजली की दरों में समानता या एकीकरण करने का विचार कर रही है, क्योंकि बिजली के उपभोक्ता चाहे उद्योगवाले हों, चाहे काश्तकार हों या दूसरे हों, वे हैं सभी राजस्थान की जनता ? इसलिये उस जनता को समान दर से बिजली देने का क्या सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव है ?

श्री हरिश्चन्द्र : दोनों विचारधाराएं चल रही हैं ; एक तो यह कि सारे राजस्थान में एक ही दर हो, दूसरी यह है कि उससे शायद इन्डस्ट्री को कोई धक्का लग सकता है, इसलिये अलग अलग जगह अलग अलग रेटें रखनी चाहियें । ये दोनों विचारधाराएं टैरिफ कमेटी के सामने हैं । उसकी रिपोर्ट आने पर उस पर सरकार विचार करके कोई निर्णय लेगी ।

श्री मोहनराज : दरें एक समान होने से उद्योगों को कोई धक्का लगेगा, यह कैसे हो सकता है ? आप इसके लिये, उनको प्रोत्साहन देने के लिये, उद्योगों को या कृषि को रिबेट दे सकते हैं, सब्सिडाइज कर सकते हैं । पर सारे राजस्थान में एक समान दरें होने से उद्योग को धक्का लगेगा, ऐसी सम्भावना नहीं मालूम होती ।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत ।

तालाब की मरम्मत

२७. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत** (भीम) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि देवगढ़ ताल के मोहकमसागर तालाब की पाल टूटफट हो रही है और उसकी दुरुस्ती के लिये तखमीना कभी का बनाया जा चुका है, लेकिन कार्य अभी तक शुरू नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी) : जी हां । तखमीने की जांच की जा रही है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : कितने दिनों तक जारी रहेगी यह जांच और यह किसके सुपुर्द की है ?

श्री दिनेशराय डांगी : सहायक अभियन्ता के द्वारा की जा रही है और क्योंकि वह जागीरदार की जमीन है इसलिये इसका रेफरेन्स कलेक्टर को दिया है । वहां का जवाब आने पर ही तखमीने का मालूम होगा ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह जांच कब से जारी है ?

सिंचाई मन्त्री (श्री भीखाभाई) : १५ सितम्बर को सहायक अभियन्ता से अधिशासी अभियन्ता के पास में एस्टीमेट पहुंचा है ।

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र ।

Page No.25

गांधीसागर बांध के बिजलीघर की बिजली का उपयोग

२८. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर): क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) गांधीसागर बांध बिजलीघर में इस समय कुल कितनी उत्पादन-क्षमता है और इस समय कितनी बिजली पैदा हो रही है ?

(२) क्या यह सही है कि राजस्थान का जितना भाग इस समय उपलब्ध बिजली में है उतनी बिजली राजस्थान उपभोग नहीं कर पा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

उप-मन्त्री, विद्युत (श्री परसराम मदेरणा): (१) (क) ६६,००० किलोवाट।

(ख) ४६,००० किलोवाट।

(२) ४६,००० किलोवाट में से गांधी-सागर कॉलोनी और विद्युत् उत्पादन केन्द्र की मांग को निकाल कर इस समय २०,००० किलोवाट राजस्थान के हिस्से में आता है। इसमें से लगभग १३,५०० किलोवाट का उपभोग किया जा रहा है। बाकी ६,५० किलोवाट इसलिये प्रयोग में नहीं लाया जा सका कि एक फैक्ट्री में, जिसमें कि अगस्त, १९६२ में बिजली लेनी थी, अभी तक उत्पादन शुरू नहीं हो सका। जनवरी, १९६३ के अन्त तक इस हिस्से का पूर्णतया प्रयोग हो जायगा जबकि इस फैक्ट्री में उत्पादन शुरू होने की आशा है। इस फैक्ट्री की मांग प्रथम पारी में ८,००० किलोवाट है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): उस फैक्ट्री का क्या नाम है ?

श्री परसराम मदेरणा : देहली क्लॉथ मिल्स, कोटा की फैक्ट्री है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि गांधी सागर में बिजली का उत्पादन हो रहा है; वहां दो जेनरेटिंग सेट्स लग रहे हैं।

विद्युत् मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र): तीन टर्बाइन हैं, दो चालू हैं और एक और लगाया जावेगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : दो और लगाने हैं, एक नहीं।

श्री हरिश्चन्द्र : इसके अलावा दो हैं, पर यह इसमें नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ये दो टर्बाइन लग जावेंगे तो उनका एडीशनल जेनरेशन कब तक हो जावेगा और उसका कन्ज़म्पशन की दृष्टि से क्या होगा ?

श्री हरिश्चन्द्र : यह हमारी निगाह में है।

श्री रामकिशन (वैर): क्या वह टर्बाइन आया हुआ पड़ा है ?

श्री हरिश्चन्द्र : सारा सामान आया पड़ा है इसका और इसका काम चालू है।

(१२.०० मध्याह्न)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो जो गांधीसागर बांध से जितनी बिजली है उसका सारा राजस्थान उपयोग नहीं कर पा रहा है, लेकिन इसके विपरीत इस प्रकार का वक्तव्य राजस्थान के मुख्य मन्त्री ने दिया था कि राजस्थान में चम्बल और गांधीसागर बांध से जितनी बिजली उपलब्ध हो उसका पूर्ण उपयोग राजस्थान कर रहा है, वह असत्य है ?

श्री हरिश्चन्द्र : सब हो जायेगा । इसमें कोई दिक्कत नहीं आयेगी । लास्ट टाइम जिस समय असेम्बली हुई थी और उस समय जो आंकड़े दिये गये थे उन आंकड़ों में और आज जो आंकड़े रखे हैं उनमें काफी अन्तर है और ६ महीने में, मैं समझता हूं कि हम यूटिलाइज़ कर लेंगे । अब प्राइवेट इन्डस्ट्रीज़ का धीरे धीरे डेवलपमेन्ट हो रहा है । एकदम तो २० हजार पर नहीं पहुंच सकते ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : टर्बाइन्स से जितनी बिजली प्रोड्यूस होती है उसमें से कितने परसेन्ट बिजली का यूटिलाइज़ेशन होता है ?

श्री हरिश्चन्द्र : २० में से १३ तो हो रहा है ।

श्री अध्यक्ष : श्री दिग्विजयसिंह ।

सारकावास बांध

२९. **श्री दिग्विजयसिंह** (उनियारा): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सही है कि तहसील देवली में एक लघु सिंचाई योजना में सारकावास नाम का बांध बांधा जा रहा है ? यदि हां, तो इस बांध का कार्य कब चालू हुआ और कितना कार्य पूरा हो गया है ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त बांध का एक सोसाइटी के नाम ठेका दिया गया है ? उस सोसाइटी का क्या नाम है ?

(३) क्या यह सही है कि इस बांध को बांधने से पूर्व टैक्निकल सेक्शन और सर्वे करवा लिया गया था ? यदि हां, तो कब और उसकी क्या रिपोर्ट है ? कृपया रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें ।

(४) क्या यह सही है कि इस बांध से एक भी बीघा जमीन पीवत नहीं होगी ? यदि हां, तो यह बांध क्यों बांधा गया ?

(५) क्या यह सही है कि उसके बांधने से वहां के काश्तकारों में असन्तोष है क्योंकि उनकी भूमि डूब जाती है ? यदि हां, तो कितनी ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी) : (१) जी हां, बांध का कार्य जनवरी, सन् १९६२ को शुरू हुआ तथा अब तक करीबन ८,०००) रु० का कार्य हो चुका है ।

(२) जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता ।

(३) जी हां, तकनीकी रिपोर्ट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर प्रस्तुत है ।

(४) जी नहीं, इस बांध से सिंचाई हो सकेगी ।

(श्री दिनेशराय डांगी)

(५) जी नहीं, इन लोगों ने मुआवजे के बजाय पड़त भूमि की मांग की थी इस पर जिलाधीश टोंक भी सहमत थे।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री दिग्विजयसिंह: क्या यह सही है कि टैक्निकल एप्रूवल के अनुसार ३९ हजार की लागत का यह बांध बनेगा और इससे केवल ६६ एकड़ भूमि ही सिंचित होगी? तो यह कहां तक उचित है कि इतने द्रव्य का वेस्ट होगा, इसके लिए सरकार क्या विचार रखती है? Is it not a sheer waste of Government money?

सिंचाई मंत्री (श्री भीखाभाई): ऐसा नहीं है, क्योंकि जो बांध बनेगा उसमें ३९ हजार का खर्चा होगा और ६६ एकड़ फ्लो ईरिगेशन से होगा और बाकी की जमीन का पेटे के अन्दर अलग ईरिगेशन होगा। इससे उसका जो रिटर्न बैठता है वह वाजिब है।

श्री दिग्विजयसिंह: मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आप यदि खुद पधारें तो मालूम होगा आपको कि बीच में पाल आ गयी है और दोनों तरफ पानी भरा है तो सिंचाई किधर से होगी?

श्री भीखाभाई: मैं और आप दोनों टैक्निकल आदमी नहीं हैं और टैक्निकल कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है उसको सदन की मेज पर रख दिया है और उसके सारे आंकड़े देखेंगे तो आपको मालूम होगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें कोई विवाद का प्रश्न नहीं उठता है। इसमें ईरिगेशन की पूरी सम्भावना है और जो फैक्ट्स एण्ड फिगर्स हैं उनको देखेंगे तो मालूम होगा कि वह वाजिब काम है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): क्या मंत्री महोदय टैक्निकल रिपोर्ट पर अपना दिमाग नहीं लगाते हैं?

श्री भीखाभाई: ऐसा है कि कोई काम ठीक है या नहीं, उसको देख कर ही उसका काम किया गया है।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक): यह जो ६६ एकड़ फ्लो-ईरिगेशन से सिंचित होगी तो यह प्राइवेट भूमि है या सरकारी भूमि है?

श्री भीखाभाई: जिन लोगों की भूमि है उसके बारे में उत्तर दिया जा चुका है। उन्होंने कलेक्टर को लिख कर दिया है कि जो भूमि सबमर्ज में आयेगी उसके एवज में भूमि मिलेगी। उसके लिए कलेक्टर द्वारा कार्यवाही हो रही है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (बूंदी): क्या पेटा काश्त की भूमि के बारे में जो लोटान की नीति है वह पहले भी रही है और अब भी है?

श्री रामानन्द अग्रवाल: घर का भेदी लंका ढाये।

श्री भीखाभाई: यह अगल प्रश्न है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा: यह पेटे काश्त की भूमि के लिए बांध बनाया जा रहा है। तो दूसरी जगह भी ऐसी जमीन को शामिल किया गया है या नहीं?

श्री भीखाभाई : जहां पेटे की काश्त होती है इरिगेशन का रिटर्न मिलता है और उसका लाभ नहीं मिलता है तो रिटर्न का सवाल नहीं उठता ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : क्या दूसरों की भूमि आने पर रिटर्न होता है या नहीं या सरकार की भूमि के लिए ही ऐसा है ?

श्री भीखाभाई : मैंने कहा कि सरकार की भूमि है और जैसा कि मैंने कहा कि सरकार दूसरी जमीन दे रही है। जब जमीन सरकार के पास आ गयी, जैसा मैंने कहा कि जो जमीन की किस्म दूसरी है और उसमें इरिगेशन का एडवान्टेज होता है तो वह रिटर्न में काउन्ट होगा ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): यह ३९ हजार की लागत के बाद इसका एनुअल एस्टीमेटेड रिटर्न क्या है ?

श्री भीखाभाई : १.५७ ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री अब्दुलजब्बार ।

अस्पताल की मांग

३०. **श्री अब्दुलजब्बार** (निम्बाहेड़ा): क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(१) क्या यह सही है कि केली (निम्बाहेड़ा) वासियों ने अस्पताल खुलवाने की मांग की है तथा इस संबंध में केली की जनता ने सरकार को कुछ रुपया भी दिया है ?

(२) क्या सरकार अब वहां अस्पताल खोलने का विचार रखती है ? अगर हां, तो कब तक ?

उप-मंत्री, स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा): (१) जी नहीं ।

(२) ग्राम केली (निम्बाहेड़ा) में अस्पताल खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

श्री अब्दुलजब्बार: क्या केली ग्राम के निवासियों की ओर से दर्ख्वास्त आई है कि वह अस्पताल खुलवाने के लिए २-४ हजार चन्दा देने के लिए तैयार हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बरकतुल्लाखां): डिस्पेन्सरी खोलने के लिए ४५ हजार की आवश्यकता होती है ।

श्री अब्दुलजब्बार : प्राइमरी हैल्थ सेन्टर खोलने की कोई स्कीम है ?

श्री बरकतुल्लाखां : पंचायत समिति यदि रिज़ोल्यूशन पास करेगी तो उसके मुताबिक प्राइमरी हेल्थ सेन्टर खोल दिया जायेगा ।

श्री अब्दुलजब्बार : क्या पंचायत समिति ने इस बारे में कोई निवेदन सरकार से किया है ?

श्री बरकतुल्लाखां : इस गांव के बारे में नहीं किया है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री मोहनलाल सारस्वत ।

रतनगढ़-चूरू सड़क

३१. **श्री मोहनलाल सारस्वत** (रतनगढ़): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार को विदित है कि रतनगढ़ से चूरू तक की सड़क पर धीमी प्रगति से काम हो रहा है ? यदि हां, तो क्यों तथा वह सड़क कब तक पूरी बन जावेगी ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : कार्य योजनानुसार हो रहा है। प्रश्न नहीं उठता। आशा है तृतीय योजना काल में।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : क्या धीमी प्रगति से कार्य करने की योजना है ? कितनी लम्बी सड़क बन चुकी है और कितनी बकाया है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : यह १६ मील तो बन चुकी है और १०।। मील बाकी है।

श्री मोहनलाल सारस्वत : यह सड़क पहली पंचवर्षीय योजना में तो पास हुई और अब तक इतना समय लग गया है। तो क्या सरकार इस तरफ ध्यान देगी और इसे जल्दी ही पूरी करायेगी ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : दूसरी पंचवर्षीय योजना में २ मील थी और १४ मील इसमें बनायी गई है और बाकी की भी इसी योजना में पूरी कर दी जायेगी।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : क्या राजस्थान में ऐसे भी दो बड़े शहर हैं जिनकी आबादी ५०-५० हजार की है और दोनों आपस में जुड़े हुए नहीं हैं ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री मुरलीधर व्यास।

मछलियों के विकास के लिए प्रावधान

३२. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर) : क्या पशु-पालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) मछलियों के विकास के लिए दूसरी पंचवर्षीय योजना में कितनी धनराशि रखी गई थी ? इसमें से कितनी खर्च हुई तथा कितने टन मछलियां पैदा की गईं ?

(२) तीसरी पंचवर्षीय योजना में कितनी धन-राशि रखी गई है ?

उप-मंत्री, पशुपालन (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (१) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मत्स्य विकास के लिए ९ लाख रुपये की धनराशि रखी गई थी। इसमें से कुल ५.४१ लाख रुपया खर्च हुआ। कुल मछली की पैदावार इस अवधि में करीब १६,७४० क्विन्टल हुई।

(२) तीसरी पंचवर्षीय योजना में मत्स्य विकास के लिए २० लाख रुपये की धनराशि रखी गई है।

श्री मुरलीधर व्यास : पहली पंचवर्षीय योजना में ही ९ लाख रुपये रखे तो ४।। लाख रुपये खर्च हुए तो फिर दूसरी पंचवर्षीय योजना में इतनी ज्यादा धनराशि के रखने का क्या कारण है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : पिछली पंचवर्षीय योजना में प्रशिक्षित लोग अवेलेबल नहीं हुए इसलिए कार्य पूरा नहीं हो सका और इस पंचवर्षीय योजना में वह कमी पूरी कर ली जायेगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : इसमें कोर और नॉन-कोर कितनी है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : यह अलग प्रश्न है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : कमी पूरी कर ली गयी है या कर ली जायेगी ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : अभी पंचवर्षीय योजना तीसरी चालू है और अभी खत्म नहीं हुई है और खत्म होने से पहले वह भी पूरी हो जायेगी।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (बूंदी) **:** इस मद में तो कोई कटौती नहीं की गयी। तीसरी योजना में २० लाख रुपये रखे हैं और अभी इस एक वर्ष में कितना खर्च किया गया है ?

श्री अध्यक्ष : रुपया पानी में थोड़े ही डाला जाता है। वह तो खर्च होता है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : पहले ६ लाख में से ४।। लाख रुपये खर्च हुए, तो अब क्या कारण है कि २० लाख रुपये रख दिये गये ?

पशु-पालन मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) **:** २० लाख रुपया ज्यादा इसलिए रखा था कि इनके लिए स्टोरेज और मार्केटिंग की भी व्यवस्था रखने का प्रावधान रखा गया था। अभी दूसरा साल चल रहा है और ६ लाख रुपया खर्च कर चुके हैं और कोर ऑफ प्लान में जैसा पूछा था १३ लाख रुपया मान कर चलते हैं इन स्कीम्स को देख कर।

श्री मुरलीधर व्यास : इन मछलियों के पालने से कुछ लाभ होता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : काफी हुआ है। आज से ५ साल पहले इससे ७० हजार की इन्कम थी और आज ५।। लाख रुपये की आमदनी लास्ट ईयर हुई थी और इस साल ७ लाख की इनकम होने की सम्भावना है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या डॉक्टरों की तरह मछलियों के एक्सपर्ट्स का भी अभाव है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जी हां।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

(१२.१० म० प०)

डॉ० राय, श्री टंडन एवं डॉ० सुब्बारायन के प्रति श्रद्धान्जलियां

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) **:** माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी विधान सभा के वर्तमान अधिवेशन और पिछले अधिवेशन के बीच में हम लोगों को भारत की ३ महान् विभूतियों के देहावसान के समाचार सहन करने का मौका आया। जैसा कि सबको मालूम है डॉ० विधानचन्द्र राय ने देश की स्वतन्त्रता के लिए और उसके बाद जो बंगाल भारत के विभाजन के बाद काफी रिफ्यूजीज की वजह से संकट के अन्दर आ गया था उसमें उन्होंने निरन्तर प्रयत्न करके, रात-दिन मेहनत करके रिफ्यूजी प्रॉब्लेम को भी, जितना अधिक से अधिक हो सका, सुलझाने का प्रयत्न किया और साथ ही साथ बंगाल को प्रगति के रास्ते पर तेजी के साथ चलाया। बंगाल का विकास और डॉ० विधानचन्द्रराय दोनों ही एक प्रकार से मिले से हो गये थे और उनके आज वहां नहीं रहने की वजह से न सिर्फ बंगाल को, बल्कि सारे भारत को बहुत बड़ा आघात पहुंचा है। मैं दिवंगत आत्मा के प्रति अपनी श्रद्धान्जलि अर्पित करता हूं।

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

साथ ही उसी रोज दुर्भाग्य से हमारे देश के राजर्षि श्री पुरुषोत्तमदास टंडन उठ गये; जिन्होंने देश के स्वतन्त्रता-संग्राम में अग्रणी हिस्सा लिया और देश की स्वतन्त्रता के बाद भी भारतीय संस्कृति के लिए वे रात-दिन प्रयत्नशील रहे, अपने जीवन से प्रेरणा देते रहे। हिन्दी का राष्ट्र-भाषा के रूप में स्वाभिमानपूर्ण स्थान हो, उसके लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहे। काफी अवस्था हो जाने के बाद भी उनके हृदय में हमेशा देश का विकास और हिन्दी को अपना उचित गौरव प्राप्त हो; यह अभिलाषा रही, हमारे बीच से उसी रोज जिस रोज डॉ०विधानचन्द्र राय का देहावसान हुआ, उनका भी स्वर्गवास हुआ। उनके प्रति भी मैं श्रद्धान्जलि अर्पित करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ ही दिन पहले महाराष्ट्र के गवर्नर, डॉ० सुब्बारायन की मृत्यु के समाचार हम लोगों को मिले। हम जानते हैं कि देश की आजादी के लिए उन्होंने अगुवा के रूप में काफी महत्वपूर्ण कार्य किया। खेल-कूद के क्षेत्र में वे एक विशेष रुचि रखनेवाले व्यक्ति थे। हमारे देश में आज भावात्मक एकता के प्रति जो इतनी चर्चा चल रही है, कभी-कभी यह विचार आता है, शायद सब के दिल में आता होगा कि एक तरफ राजर्षि टंडन का अभाव, दूसरी तरफ बंगाल के डॉ० बी० सी० राय का अभाव और दक्षिण के डॉ० सुब्बारायन का अभाव, तीनों ही का बड़ा खटकनेवाला अभाव देश के अन्दर ऐसा है जिसकी पूर्ति की कल्पना आसानी से नहीं की जा सकती है। मैं उन सब के प्रति अपनी श्रद्धान्जलि अर्पित करता हूं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का सादर समर्थन करता हूं। श्री पुरुषोत्तमदास टंडन एक त्यागी, सिद्धांतवादी और तपे हुए नेता थे। उन्होंने कांग्रेस संस्था का सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। वे हिन्दी के परम प्रेमी थे और हिन्दी के प्रकाण्ड विद्वान् भी थे। उन्होंने स्वतंत्रता के पश्चात् जितनी हिन्दी की सेवा की शायद व्यक्तिगत रूप से किसी अन्य पुरुष ने नहीं की होगी। वे उन्हीं दिनों राज्य सभा के सदस्य थे, जब कि कुछ वर्षों के लिए मैं भी राज्यसभा में था; तब से मेरे मन में उनके प्रति आदर का भाव उत्पन्न हुआ।

श्री विधानचन्द्रराय व्यक्तिगत रूप से मुझसे परिचित नहीं थे, परन्तु वे स्वतन्त्रता के पश्चात्, बंगाल के विभाजन के पश्चात्, निरन्तर उस प्रांत के मुख्य मंत्री बने रहे। जिस संकटकालीन स्थिति के अन्दर बंगाल को उन्होंने सम्भाला वह प्रशंसनीय है। वे एक प्रख्यात् चिकित्सक थे और एक योग्य शासक के नाते उनकी पुनीत स्मृति चिरस्मरणीय रहेगी।

डॉ० सुब्बारायन मद्रास में मंत्री रहे, केन्द्र में मंत्री रहे। वे आंग्ल भाषा के विद्वान् थे। वे एक उच्च-स्तरीय खिलाड़ी थे। फाइन स्पोर्ट्समैन और प्रिंस रणजीत जो बाद में महाराजा जाम साहब ऑफ़ नवानगर के नाम से प्रसिद्ध हुए, उनके साथ में उन्होंने क्रिकेट खेली थी। राज्य-सभा की लॉबीज़ में कई बार मेरी और उनकी क्रिकेट के सम्बन्ध में चर्चा हुई। उनका निधन, मैं अनुभव करता हूं कि व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए एक दुःख की बात है।

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

इन्हीं शब्दों के साथ, अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का सादर समर्थन करता हूं ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, देश की इन तीन महान् विभूतियों के स्वर्गवास के कारण जो क्षति हुई है वह क्षति पूरी हो सकेगी, इस प्रकार की आशा लगाना आज के दिन कई विषयों को लेकर कठिन है। इन तीनों विभूतियों ने देश के अन्दर अलग अलग रूप से जिस प्रकार की प्रेरणा दी है, वे चाहे समाजसेवी, राजनीतिज्ञ या स्पोर्ट्समैन किसी भी प्रकार के व्यक्ति क्यों न हों, इनके जीवन से प्रेरणा ले सकते हैं ।

डॉ० बी० सी० राय प्रशासकीय दक्षता के अन्दर देश के बड़े व्यक्तियों में गिने जाते थे। उन्होंने यह भी सिद्ध किया कि राजनीतिज्ञ या प्रशासक होने के साथ साथ यदि व्यक्ति समाज की सेवा करना चाहे तो समाज की सेवा के द्वारा भी वह समाज में अपना सम्मान प्राप्त कर सकता है । वे एक तरफ पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री थे, प्रशासन के काम में देखरेख करते थे तो उन्होंने रोजमर्रा अपने हॉस्पिटल में जाकर गरीब मरीजों की सेवा करना अपना प्रमुख कर्त्तव्य समझ रखा था ।

इसी प्रकार राजर्षि पुरुषोत्तमदासजी टंडन, यह सही है कि हम आज उनके प्रति शिष्टाचार के नाते श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं; लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि आज श्री पुरुषोत्तमदास टंडन की जो मिशन थी हिन्दी की सेवा करने की, यदि हम वास्तव में उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं तो मैं निवेदन अवश्य करूंगा कि मौन रह कर श्रद्धांजलि अर्पित करते समय इस बात को भी दृष्टिगत रखें कि जिस राष्ट्र सेवा के लिये उन्होंने हिन्दी की प्रारम्भ से अंत तक सेवा की हम उनकी मिशन को पूरा करने के लिये संकल्प लें । आज हिन्दी के विषय में कई प्रकार की चर्चाएं चल रही हैं। इस समय उनका अभाव देश के लिये वास्तव में बहुत बुरी परिस्थिति को लानेवाला है।

श्री सुब्बारायन, जो महाराष्ट्र के राज्यपाल थे, उनके निधन से एक प्रकार की प्रेरणा मिलती है। वे स्वयं स्पोर्ट्समैन थे इसलिये प्रशासन में और राजनैतिक क्षेत्र में जो कुछ उन्होंने कार्य किये उन सब कार्यों में एक स्पोर्ट्समैन की नीति स्वीकार करते हुए किसी भी समय किसी प्रकार की दुर्भावना लाने की चेष्टा नहीं की। मैं समझता हूं, आज के इस वातावरण में तीनों महानुभावों ने इस प्रकार की प्रेरणा दी कि अच्छे मार्ग पर चलते रहें ।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने श्रद्धांजलि के लिये जो प्रस्ताव रखा है उसका अनुमोदन करता हुआ मैं भगवान् से प्रार्थना करूंगा कि दिवंगत आत्माओं को शान्ति प्रदान करें ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : मैं तीनों महान् आत्माओं के निधन पर अपने हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और मुख्य मंत्रीजी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री रामकिशन (वैर) : अध्यक्ष महोदय, अभी मुख्य मंत्रीजी ने श्रद्धांजलि के लिये जो प्रस्ताव रखा है उसका मैं पूरे दिल से समर्थन

(श्री रामकिशन)

करता हूं और विशेष तौर पर राजर्षि पुरुषोत्तमदासजी टंडन और डाक्टर बी० सी० राय जो कि योग्य प्रशासक और सार्वजनिक जीवन में योग्य नेता रहे हैं और परमार्थ से प्रेरित होकर ४०, ४५ साल तक सत्कर्म से निरंतर प्रयत्नशील रहे। इन शब्दों के साथ मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री मुरलीधर व्यास : अध्यक्ष महोदय, भारत के उत्तर, दक्षिण और पूर्व की तीन विभूतियों का हमारे देश से जाने से सारे देश के लिये बड़ी ही कमी का सवाल है, जहां तक तीनों महान् विभूतियों का सवाल है, जहां तक टंडनजी का सवाल है, मैं ऐसा महसूस करता हूं कि वे एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि अपने विचारों से मतभेद होने के बावजूद भी उनके विचारों को रखते हुए, चाहे वे किसी भी पक्ष विशेष के हों उनके खिलाफ आजीवन लड़नेवाले व्यक्तियों में से एक थे और यह गुण हर व्यक्ति के लिये बड़ा ही महत्वपूर्ण गुण है। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो विचारों के साथ मेल न मिलने के बावजूद भी चुप बैठे रहें। लेकिन वे ऐसे नहीं थे। वे हमेशा इस मामले में लड़ने वाले व्यक्ति रहे हैं।

श्री बी० सी० राय एक प्रशासक और सेवक—दोनों के रूप में बड़े अच्छे सफल हुए हैं। तीनों महानुभावों के लिये जो श्रद्धान्जलि अर्पित की गई है मैं भी अपनी ओर से श्रद्धान्जलि अर्पित करता हूं और उम्मेद करता हूं कि इन महानुभावों में जो गुण थे उनमें से थोड़े बहुत लेंगे तो बहुत लाभदायक होंगे।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) **:** अध्यक्ष महोदय, तीनों महानुभावों के निधन पर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो शोक प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं और श्रद्धेय राजर्षि टंडनजी ने जो अपने सिद्धान्त के पीछे दलगत राजनीति का मोह भी छोड़ दिया था, हम लोग उनसे प्रेरणा लें और दूसरे जो महान् नेता जिनके निधन से जो स्थान रिक्त हुए हैं उनके सिद्धान्तों पर चलते रहने का प्रयास करें, ऐसा व्रत लें, वही सच्ची श्रद्धान्जलि उनके प्रति होगी।

श्री अध्यक्ष : गत सत्र और इस सत्र के आरम्भ होने के बीच में भारत की तीन विभूतियां राजर्षि पुरुषोत्तमदासजी टंडन, डॉक्टर विधानचन्द्रराय व डॉक्टर सुब्बारायन का निधन हो गया है। इन महानुभावों के दुःखद अवसान के ऊपर हमारे सदन के नेता, विरोधी पक्ष के नेता व अन्य माननीय सदस्यों ने जो अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं उनमें, मैं भी अपने आपको सम्मिलित करता हूं। श्री टंडनजी का त्यागमय जीवन, देश सेवा और भारतीय संस्कृति के प्रति उनके प्रेम और श्रद्धा से हमको निरंतर प्रेरणा मिलती रहेगी। वे अस्वस्थ होने पर भी संस्कृति की उन्नति और विशेष तौर पर राष्ट्र भाषा की उन्नति, हिन्दी भाषा की उन्नति के लिए निरंतर प्रयास करते रहे और हमेशा इस भावना को लेकर कार्य करते रहे। वे एक ऐसे अनुपम उदाहरण थे जिन्होंने अपने जीवन में जिस नीति को धारण किया उसको पूर्ण रूप से निभाने की हमेशा पूर्ण कोशिश करते रहे। मैं समझता हूं, भारतवर्ष के जो नर-नारी हैं, अभी हैं और भविष्य में आयेंगे उन सबके लिये आप प्रेरणा के रूप में सामने आयेंगे।

डॉक्टर विधानचंद्रराय एक महान् देश भक्त, कुशल प्रशासक और बहुत ही उच्च

(श्री अध्यक्ष)

कोटि के डॉक्टर थे और राजनैतिक जीवन में उन्होंने पश्चिम बंगाल और भारतवर्ष की बहुत बड़ी सेवा की है । आजादी मिलने के बाद पश्चिम बंगाल के सामने विभाजन की परिस्थिति आई उसको आपने बहुत खूबी से निभाया और प्रांत तथा देश की अनुपम सेवा की।

महाराष्ट्र के राज्यपाल डॉक्टर सुब्बारायन एक योग्य प्रशासक थे और कई उच्च प्रशासनिक पदों को आपने सुशोभित किया । उनके निधन से हमारे राष्ट्रीय जीवन को बहुत बड़ा धक्का लगा है । जैसा कि अभी उल्लेख किया गया है वे स्पोर्ट्समैन थे, क्रिकेट में उनकी बहुत बड़ी रुचि रही है। राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ स्पोर्ट्समैन होना हर दृष्टिकोण से एक बहुत अच्छा उदाहरण है जिसे में समझता हूं, हमारे देशवासी हमेशा अपने सामने रखें ।

इन तीनों महानुभावों के निधन से जो हमें आघात पहुंचा है और राष्ट्र की जो क्षति हुई है उसको पूरा करना बहुत कठिन है । मैं इससे अधिक नहीं कह सकता । मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि २ मिनट के लिये खड़े हो जावें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह दिवंगत आत्माओं को शान्ति प्रदान करें ।

(२ मिनट के लिये सदन ने खड़े होकर ईश्वर से प्रार्थना की)

श्री अध्यक्ष: इसके पश्चात् कोई औपचारिक प्रस्ताव पेश करने की मैं आवश्यकता नहीं समझता । माननीय सदस्यों की सूचना के लिए मैं निवेदन कर दूं कि इन तीनों नेताओं के सम्बन्ध में जो भावनायें इस सदन में व्यक्त की गई हैं ये सम्बन्धित परिवारों को पहुंचा दी जायेंगी ।

(१२.३१ म.प.)

घग्घर नदी की बाढ़ से उत्पन्न स्थिति, पाकिस्तान में शरण पाने वाले डाकुओं एवं तहसीलें तोड़ी जाने सम्बन्धी तीन स्थगन-प्रस्ताव

सर्व श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, रामानन्द अग्रवाल व माणिकचन्द सुराणा ने गंगानगर जिले में घग्घर नदी की बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में स्थगन-प्रस्तावों की सूचनाएं दी हैं । यह मामला इतने अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है कि इस पर सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही स्थगित की जाकर विचार किया जाय ।

अतः मैं इन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता हूँ । मैं यह अवश्य चाहूंगा कि सदस्यों की जानकारी के लिये माननीय मुख्य मंत्री या अन्य कोई मंत्री, जो इस बारे में सूचना रखते हों, इस विषय में वक्तव्य अवश्य दें ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा, श्री मुरलीधर व्यास व श्री भैरोंसिंह शेखावत, सदस्य, विधान सभा ने पाकिस्तान में शरण पाने वाले डाकुओं द्वारा राजस्थान-पाकिस्तान सीमा क्षेत्र में लूट-पाट आदि घटनाओं एवं आर. ए. सी. के जवानों के पकड़े जाने से सम्बन्धित स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं दी हैं । यह मामला इतने अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है कि इस पर सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही

(श्री अध्यक्ष)

को स्थगित किया जाकर विचार किया जाय। अतः मैं इन तीन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता हूं।

मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए यह अवश्य चाहूंगा कि माननीय गृह मंत्रीजी स्थिति का स्पष्टीकरण एक वक्तव्य द्वारा, जब भी उनको सुविधा हो, आज या कल या परसों, पूर्ण जानकारी लेने के बाद कर दें

सर्व श्री उमरावसिंह, जोधसिंह, कुमारानन्द, दयानन्द, मुरलीधर व्यास, मुकुटबिहारी लाल, लक्ष्मीचन्द व मानिकचन्द सुराणा, सदस्य, विधान सभा ने राजस्थान सरकार द्वारा कतिपय तहसीलों के तोड़े जाने व सरकारी विभागों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण किये जाने से सम्बन्धित स्थगन-प्रस्तावों की सूचनाएं दी हैं। यह मामला इतने अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है कि इस पर सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही को स्थगित किया जाकर इस पर विचार किया जाय। इसके अतिरिक्त इससे सम्बन्धित एक प्रस्ताव भी स्वीकृत किया जा चुका है, जिस पर इसी सत्र में विचार किया जायेगा। इस प्रस्ताव पर विचार के समय सम्बन्धित माननीय सदस्यों को भी इस विषय पर प्रकाश डालने का अवसर प्राप्त होगा। अतः मैं इन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता हूं।

वक्तव्य कब तक दे देंगे, गृह मंत्रीजी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : फलड सिचुएशन के सम्बन्ध में सम्भवतः कल या परसों इस सदन में सारी जानकारी रख दूंगा क्योंकि वहां पर हमारे यहां के मुख्य सचिव और राजस्व विभाग के उप मंत्रीजी, दोनों को वहां भेजा हुआ है। वे आज ही वहां से लौट कर आने को हैं। लेटेस्ट सिचुएशन जो भी होगी वह, मैं सदन के समक्ष रख दूंगा।

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री) : मैं कल इस सदन के सामने, इण्डो-पाकिस्तान बोर्डर के सम्बन्ध में जो एडजोर्नमेंट मोशन आये है, उनके बारे में स्टेटमेंट दे दूंगा।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : फलड सिचुएशन के मामले में इस प्रकार की स्थिति है और मुख्य मंत्रीजी का कहना है कि कल स्टेटमेंट देंगे। यह ऐसा मसला नहीं है जिससे मुख्य मंत्रीजी परिचित नहीं हों। मैं उम्मीद करता हूं कि इस मामले में कम से कम मुख्य मंत्रीजी स्टेटमेंट दे दें क्योंकि यह इतना लंबे अर्से से चलने वाला मामला है और इसके लिए कहा जाय कि स्टेटमेंट कल दिया जायगा तो यह उचित नहीं है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जानकारी है इससे मैंने इन्कार नहीं किया। मैंने कहा कि लेटेस्ट, अप-टू-डेट जानकारी मैं सदन को कल दे पाऊंगा। इसमें विलम्ब जैसी स्थिति नहीं है। हमारे मुख्य सचिव और उप राजस्व मंत्री मौके पर जाकर आये हैं उनसे लेटेस्ट जानकारी कर सदन के सामने स्टेटमेंट दे दूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : ये घटनायें काफी समय पूर्व से हो रही हैं। हम आशा करते थे कि इतने दिन के बाद सदन मिल रहा है तो सदन में पहले दिन बिना किसी एडजोर्नमेंट मोशन के गवर्नमेंट

Page No.36

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

की तरफ से इन बातों के सम्बन्ध में सदन को कॉन्फीडेन्स में लिया जायगा और मुख्य मंत्रीजी और गृह मंत्रीजी इन समस्याओं के बारे में पूरी जानकारी सदन को देंगे। स्थिति तो ऐसी है कि एक बार वक्तव्य देकर ही संतोष नहीं करना चाहिए क्योंकि यह डेवलपमेंट की स्कीम है, उसकी आज क्या स्थिति है, कल क्या होगी, यह नहीं कहा जा सकता। आज जो स्थिति है, वह खोल देनी चाहिए और परसों जो स्थिति हो उसकी जानकारी परसों दी जाय तो ज्यादा उचित होगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): बोर्डर की घटना के सम्बन्ध में स्थगन-प्रस्ताव आये हैं, इस घटना को घटित हुए छः दिन हो गये हैं। उस सम्बन्ध में छः दिन बाद भी विचार न प्रगट किया जा सके, यह समझ में आने की बात नहीं है। इसके अतिरिक्त डाकू जगमाल और रहमतुल्ला की कार्यवाही लगातार चल रही है, निरन्तर चल रही है; इन घटनाओं के बारे में वक्तव्य देना बहुत आवश्यक है। इसका कारण समझ में नहीं आता कि वक्तव्य कल देने का क्या कारण है।

श्री कुमारानन्द (ब्यावर): तहसीलों को तोड़ा है, वह किस प्रिंसिपल से तोड़ा है, इसके सम्बन्ध में अच्छा हो कि आज ही जवाब दे दें।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा): जो स्थगन-प्रस्ताव मैंने दिया है, उसमें यह है कि बनेड़ा तहसील के अन्दर पांच तारीख को वहां के सत्याग्रहियों के साथ पुलिस ने अत्याचार किया है और उनको जेल भेज दिया है चार-पांच आदमियों को और उनके साथ मारपीट की है और उन पर फौजदारी का मुकद्दमा चलाया जा रहा है। उनके बारे में गृह मंत्रीजी को आज ही इस सदन में सारी जानकारी अपने वक्तव्य के द्वारा पेश करनी चाहिए क्योंकि इससे वहां के सारे के सारे इलाके में जो दस लाख आदमी रहते हैं, वे आतंकित हैं और वहां सारी तहसील में पुलिस राज्य चलाया हुआ है। यहां तक कि प्रदर्शन करने के लिए लोग आये, उनको अपने स्थान से रवाना होने के बाद छः मील के बाद पुलिस के सी. आई. डी. के लोगों ने लूटने की कोशिश की है और छीना-झपटी की है। इस तरह की बात है, उसके सम्बन्ध में सदन को जानकारी न देना बुरी बात है। आज ही उनको चाहिए कि वे सदन को जानकारी दें क्योंकि स्थगन प्रस्ताव की प्रतिलिपियां उनको समय पर पहुँचा दी थीं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरे सामने एक अखबार है...

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री):- माननीय अध्यक्ष, मैं आज ही सदन में स्टेटमेंट देने को तैयार हूं और मुझे कोई आपत्ति नहीं होती, खास तौर पर इण्डो-पाकिस्तान बोर्डर पर, मगर चूंकि मेरे पास एडजोर्नमेंट मोशन के ड्राफ्ट आज ही पहुंचे हैं बस इसलिये मैंने यह कहा है कि कल तीनों का साथ ही में जबाब दे दूंगा। जहां तक बनेड़ा तहसील में पुलिस के आतंक की चर्चा की, मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को अदब से निवेदन करना चाहता हूं कि न तो कोई आतंक है और न वहां पर कोई पुलिस किसी आदमी के साथ ज्यादती कर रही है, इसलिये तहसील के लोगों को पुलिस

(श्री मथुरादास माथुर)

द्वारा तंग करने का प्रश्न पैदा नहीं होता। भीलवाड़ा में कुछ सत्याग्रही वहां के कलेक्टोरेट और डाक बंगले के पास रुकावट डालते थे और यह कहते हैं कि वे गिरफ्तार हुए हैं। मैं निवेदन करूंगा कि सब माफी मांग कर चले गये हैं। आठ आदमी बन्द हैं। इन सबकी डिटेल्स, तारीखवार ब्यौरा और खास तौर से जो भाषा लिखी गई है, इससे मैंने मुनासिब समझा कि मैं कल जबाब दे दूंगा।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : अध्यक्ष महोदय, तहसील तोड़े जाने और १७ तहसीलों को तोड़ने का मसला बहुत अहम मसला है . . .

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था के बाद, जो व्यवस्था दे चुके हैं, उस पर वाद-विवाद करना उचित नहीं मालूम होता है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मैं समझता हूं कि अध्यक्ष महोदय का कर्तव्य है, उसके अनुसार अध्यक्ष महोदय ने आज्ञा दे दी है। मैं समझता हूं कि मुख्य मंत्रीजी अपने कर्तव्य का पालन करें और चेयर को . . . . .

श्री मथुरादास माथुर : माननीय सदस्यों में से हर एक का अधिकार है कि चेयर के सामने कोई भी पोइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज कर पोइन्ट पुट किया जा सकता है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मैं समझता हूं कि इस तरह की कार्यवाही नहीं होनी चाहिए। मैं, अध्यक्ष महोदय, निहायत नम्रता से निवेदन करना चाहूंगा कि, आज से कुछ दिन पहले जब हमारा सत्र समाप्त हुआ था इसी सरकार ने . . . .

श्री अध्यक्ष : इस पर आप पूरी बहस करेंगे जब प्रस्ताव सदन के समक्ष आयेगा।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मैं कुछ बातें सदन की जानकारी के लिए रखना चाहता हूं। अराई तहसील के कान्स्टीट्यूशन के बारे में कहा गया था कि सरकार प्रशासनिक दृष्टि से अराई तहसील को स्थापित करना चाहती है।

उस वक्त इस सदन की तरफ से उसका, विरोध किया गया था परन्तु सरकार ने उस वक्त यह दुहाई दी थी कि हम इसकी आवश्यकता महसूस करते हैं।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय ये कौन से रूल्स के तहत बोल रहे हैं ?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : इन आदमियों को संसदीय प्रणाली का ध्यान कराया जाना चाहिये और वे इस तरह की परम्परा सदन में डालें कि जब कोई सदस्य अपने विचार प्रकट कर रहा हो तो इन्टरप्ट न करें। अगर अध्यक्ष महोदय कोई भी आज्ञा देना चाहें, दे सकते हैं और उसका हम पालन करेंगे।

श्री अध्यक्ष : अराई या बनेड़ा तहसील का प्रश्न लेना ठीक नहीं होगा। आप अराई और बनेड़ा पर बहस करेंगे तो दूसरे दूसरी तहसीलों के बारे में बहस करेंगे; १७ तहसीलों के बारे में कहेंगे। इसलिये उचित यही होगा कि इसकी बहस के लिये समय निर्धारित कर लिया जावे ताकि उसमें सब हिस्सा ले सकें।

(सर्व श्री रामकिशन रामानन्द
'हम इससे सहमत हैं')

श्री कुमारानन्द (ब्यावर) : हमने अमेन्डमेंट मोशन दिया है उसमें हमने यही चाहा है कि किस प्रिन्सिपल से आप इनको तोड़ रहे हैं। इसका सरकार की तरफ से निराकरण होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : सरकार की ओर से भी इसका निराकरण होगा कि किस सिद्धान्त को लेकर यह हो रहा है।

श्री मुरलीधर व्यास: अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द।

श्री मुरलीधर व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ क्लेरीफिकेशन . . .

श्री अध्यक्ष : Order please ? Shri Rama Nand.

श्री रामानन्द (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, मेरे सामने एक अखबार है; 'जागती जोत', जो कल शाम का है। इसका कहना है कि घग्घर की बाढ़ से हनुमानगढ़ को खतरा हो गया है। राजस्थान कैनाल कई जगह से तोड़ दी है। सूरतगढ़ खाली हो रहा है। इस प्रकार से राजस्थान के एक जिले में इस प्रकार की स्थिति हो जिसमें लाखों लोगों की जिन्दगी को भारी खतरा हो रहा है और ऐसी हालत में हमारे रिप्रेजेन्टेटिव वहां के हैं वे भी इस सदन में नहीं आ सके हैं और इस प्रकार की सूचना है कि वे आ ही नहीं सकते। ऐसी स्थिति में मंत्री महोदय को, सदन को फौरन कॉन्फीडेन्स में लेना चाहिये और बताना चाहिये कि सरकार इस वक्त क्या कर रही है और गवर्नमेन्ट क्या कदम उठा रही है, जिससे हमें पता चले। २८ तारीख को पानी चढ़ना शुरू हुआ और जब हनुमानगढ़ के पास पानी आया तब तक सरकार की आंखें नहीं खुलीं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस स्थिति से सदन को आज ही परिचित कराया जावे और यह बताया जावे कि इसके लिये गवर्नमेन्ट क्या कार्यवाही कर रही है? इसके बाद जब तक इस स्थिति पर सरकार पूरा काबू न पाले पूरी जानकारी सदन को देती रहे, यही मेरा कहना है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैंने यह कहा कि कल मैं इस बारे में सूचना दे दूंगा। इससे यह नहीं समझा जाना चाहिये कि इस प्रश्न की गंभीरता को कम किया जा रहा है या इसकी गम्भीरता कम हो जावेगी, यह गलत ख्याल होगा। सरकार की तरफ से हमारे इंजीनियर, रेवेन्यु ऑफिसर, आर. ए. सी. के जवान हैं वे सब के सब रात-दिन बराबर प्रयत्न में लगे हैं कि चाहे वह राजस्थान कैनाल हो या चाहे और स्थान हो जहां पर हमको रक्षा के लिये प्रयत्न करना है कि वे तोड़ी न जावें, उसके लिये हम प्रयत्नशील हैं। और जो भी कार्यवाही की जावे वह पंजाब और हमारे इंजीनियर मिल कर करें। इस बारे में बराबर प्रयत्न किया जा रहा है। मैं यह सदन को जानकारी दे सकता हूं और सभी लोग जानते हैं कि जो फ्लड आया है वह अन-प्रिसिडेन्टेड है। घग्घर रिवर भी पंजाब से राजस्थान को आती है। दो कैनाल्स नौर्थ और साउथ की तरफ जाती हैं उसमें काफी पानी आया है। यह सही है कि हनुमानगढ़ में ज्यादा बढ़ा हुआ है जिससे हनुमानगढ़ जंक्शन और टाउन को बचाया गया है। ज्यादा फ्लड का असर न हो इसलिये

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

सरकार की तरफ से पहले ही कार्यवाही की गई , ज्यादा डैमेज न हो इसलिये रेल्वे लाइन को हटाया जिससे पानी जा सके । इसी तरह से राजस्थान कैनाल के across ८ हजार क्युसेक्स तक पानी पास हो सकता था वहां पर ज्यादा पानी होने से इस बात पर विचार किया जायगा कि कुछ रिलीफ हम पंजाब को दे सकें तो दे दें और कुछ पानी को राजस्थान कैनाल में ले लें मगर साथ साथ राजस्थान को नुकसान नहीं हो इसके लिये राजस्थान के इंजीनियर बराबर कोन्टेक्ट में हैं । राजस्थान कैनाल एडमिनिस्ट्रेटर ने फिरोजपुर में जाकर उन लोगों से बात-चीत की है और इस बात की कोशिश की जा रही है कि अगर गंभीर स्थिति हो तो उसमें कम से कम डैमेज हो, वैसी कोशिश करें । यह नेशनल केलेमिटी है और सरकार इस बारे में बराबर सजग है और सरकार की तरफ से जो संभव स्टेप्स हैं वे उठाये जा रहे हैं कि कोई गलत तरीके से ब्रीच न कर दें । इसके बारे में आर. ए. सी. के और दूसरे लोग तैनात किये गये हैं । एक आध जगह ऐसी बात सुनी गई उसको ठीक किया गया है ।

जब मैंने कल के लिये बयान देने के लिये आपको कहा, मैं समझता हूं कि सदन के सदस्य इसकी गंभीरता को महसूस करते होंगे कि इसकी गंभीरता को महसूस करते हुए ही चीफ सेक्रेट्री, रेवेन्यु सेक्रेटरी जो मौके पर जाकर आये हैं उनको इसीलिये भेजा है कि एक बार फिर जाकर कोई रिलीफ की जरूरत हो तो रिलीफ दिया जावे । फ्लड की स्थिति काफी गंभीर है, इसके बारे में दो राय नहीं हो सकती । इसके बारे में यह कहा गया कि पानी हनुमानगढ़ टाउन के पास आ गया है । मैं यह कहूंगा कि वहां एक बंध है पानी वहां आकर रुकता है । हनुमानगढ़ टाउन में पानी घुस गया हो , इसकी कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है । सूरतगढ़, पीलीबंगा के बीच पानी आने से रेल्वे लाइन ब्रीच हो गई । सूरतगढ़ फार्म में भी काफी पानी आ गया है । रंगमहल स्टेशन के नीचे के गांव हैं वे पानी में आ गये हैं । सरदारगढ़ के बारे में खतरे के समाचार आते थे इसके लिये भी हमने इंजीनियरों को इन्सट्रक्शन्स दे दिये थे । इस वक्त मौखिक रूप से सूचना देने का मैंने प्रयत्न किया है । मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इसकी गंभीरता को कम समझने की कोई बात नहीं है और जो प्रयत्न किये जाने चाहिये, किये जा रहे हैं और आशा है जितने प्रयत्न जल्दी से जल्दी किये जाने चाहिये, किये जावेंगे और कहां कहां किये गये हैं, इससे कल परिचित करा दिया जावेगा ।

श्री रामकिशन (वैर) : अध्यक्ष महोदय, अभी आपने फ़रमाया था कि डिस्ट्रिक्ट रीऑर्गेनाइजेशन के अन्तर्गत तहसीलों में, प्रशासनिक ढांचे में परिवर्तन किया गया है, उसके लिये समय निश्चित कर दिया है; तो कौनसा समय निश्चित किया गया है ?

श्री अध्यक्ष : समय निश्चित नहीं किया है ; यह नहीं कहा कि समय निश्चित कर दिया है । यह कहा कि प्रस्ताव आया है उसे स्वीकार करके निश्चित तिथि मुकर्रर की जायगी ।

श्री रामकिशन : सरकार की ओर से प्रस्ताव आया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : माननीय सदस्यों की ओर से ।

Page No.40

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): माननीय अध्यक्ष, मैं निवेदन करदूं कि डिस्ट्रिक्ट रीआर्गनाइजेशन कमेटी की रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखें और उसके साथ साथ उन डॉक्यूमेंट्स को, फैक्ट्स एन्ड फीगर्स को जिनके कारण सरकार ने निर्णय लिया है कि अमुक अमुक डिस्ट्रिक्ट्स को और तहसीलों को तोड़ दिया जाय, उनको भी सदन की मेज पर रख दिया जाय तो सदन के माननीय सदस्यों को पूरी जानकारी हो जायगी और ऐसी जानकारी के अभाव में जिस प्रकार की बहस की जा सकती है उस प्रकार की बहस नहीं करके सदन के समय की भी बचत की जा सकेगी।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): मैं समझता हूं उस रिपोर्ट और डोक्यूमेंट्स को रखने की आवश्यकता नहीं है। गवर्नमेंट को एडवाइज़ करने के लिये कमेटी मुकर्रर की गई थी और उसकी रिपोर्ट गवर्नमेन्ट को सूचना के लिये थी। आंकड़े सदन के सामने रखेंगे।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): तहसीलों के पुनर्गठन के साथ साथ मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जिस आर्थिक कठिनाई को दूर करने के लिये जो स्थानान्तरण किये गये, पोस्टों को तोड़ा गया उसकी सारी जानकारी की सूची सदन की मेज पर रखवा देवें। आर्थिक कठिनाई को दूर करने के नाम पर स्थानान्तरण, पोस्ट्स को तोड़ने और तहसीलों के गठन करने के कानून के अनुसार अधिकार होते हुए भी सरकार को चाहिये कि इस पर बहस के लिये इसे सदन के सामने रखा जाय। इकोनोमिक कट के कारण राजस्थान के हर विभाग में कटौती की गई है, हजारों पोस्ट्स तोड़ी गई हैं, सरकारी कर्मचारियों को हजारों की तादाद में सरप्लस घोषित कर दिया है, इसकी पूरी जानकारी विभागवाइज़ सदन की मेज पर आनी चाहिये। आज तक सरकार की ओर से मुख्य मंत्रीजी के द्वारा इस सम्बन्ध में कोई अधिकृत वक्तव्य नहीं दिया गया है कि किन किन विभागों की किन किन पोस्ट्स को एबोलिश किया गया है और इसका तृतीय पंच-वर्षीय योजना के कार्य पर क्या असर पड़ेगा। यह पौने दो करोड़ रुपयों की कटौती की गई है, वित्त मंत्री जिसके लिये बधाई के पात्र समझे जाते हैं, उसकी पूरी जानकारी सदन के माननीय सदस्यों को दी जानी चाहिये।

श्री अध्यक्ष: मैं निवेदन कर दूं, यह भी प्रस्ताव विचाराधीन है कि तृतीय पंच-वर्षीय योजना में जो कटौती की गई है उसके ऊपर विचार करने के लिये सदन में प्रस्ताव लाया जाय तो इससे सदन के माननीय सदस्यों को पूरी जानकारी हो जायगी।

श्री भैरोंसिंह: मैं यह जानना चाहता था कि डिस्ट्रिक्ट रीऑर्गेनाइज़ेशन कमेटी की रिपोर्ट हाउस की टेबल पर रखी जायगी या नहीं।

श्री अध्यक्ष: मुख्य मंत्रीजी ने कहा है न।

श्री भैरोंसिंह: मुख्य मंत्रीजी ने तो कहा कि आंकड़े बता देंगे। आंकड़ों का सवाल नहीं है। विधान सभा में डिस्ट्रिक्ट रिऑर्गेनाइज़ेशन कमेटी की चर्चा हुई है और मुख्य मंत्रीजी ने कहा भी है, अगर चाहें तो मैं उन्हें वह बता दूं, उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में जब तक सरकार डिस्ट्रिक्ट

(श्री भैरोंसिंह)

रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी की रिपोर्ट पर कोई निर्णय नहीं ले लेगी तब तक सदन के सामने रिपोर्ट को नहीं रखा जा सकता। अब यदि उस रिपोर्ट के आधार पर डिस्ट्रिक्ट्स को, तहसीलों को तोड़ा गया है तो सदन के कन्वेन्शन के आधार पर सदन के माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये उस रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखें ताकि हम बहस को उस दिशा में डाइवर्ट कर सकें।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं इतना निवेदन करूंगा कि तहसीलों के गठन के सम्बन्ध में तथा और बातों के सम्बन्ध में जो मांग की गई है उसे शीघ्र से शीघ्र पूरा किया जाना चाहिये और सदन के माननीय सदस्यों के प्रिविलेज के सम्बन्ध में भी मैं यह पुरजोर निवेदन करूंगा कि सरकार की कोई नीति हो उससे कोई प्रयोजन नहीं, पर सिद्धान्ततः जो साहित्य इस सदन के माननीय सदस्य मांगते हैं वह साहित्य सदन के माननीय सदस्यों को अवश्य उपलब्ध होना चाहिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि सरकार को विरोधी पक्ष और सदन की भावनाओं का ध्यान रखना चाहिये चाहे वैसा करने का सरकार को अधिकार प्राप्त हो। सदन सैशन में नहीं था तो विरोधी पक्ष के सब लोगों ने मिल कर मांग की थी कि डिस्ट्रिक्ट रिआर्गेनाइजेशन के मसले से सारे राजस्थान की जनता को दिलचस्पी है इसलिये गववंमेन्ट को चाहिये कि गवर्नमेन्ट इसके लिये सैशन बुलाये और जब तक सेशन नहीं हो तब तक इसको लागू न करें। लेकिन सरकार ने इस मांग को बड़ी इम्प्यूनिटी के साथ टर्न आउट कर दिया। बावजूद इसके कि सरकार यह जानती है कि ४० प्रतिशत लोगों को यह सरकार रिप्रेजेन्ट करती है, जो सरकार प्रजातान्त्रिक होने को दावा करे और यूनाइटेड रूप से अपोजिशन से इस प्रकार की मांग आये उसको इम्प्यूनिटी के साथ टर्न आउट कर दें और फिर कहा कि पर्टीक्यूलर डॉक्यूमेन्टस को नहीं रखेंगे, आंकड़े रख दिये जायेंगे तो मैं कहूंगा कि यह प्रजातान्त्रिक प्रणाली नहीं। हुकूमत केवल इस बिना पर नहीं चलती कि ८९ लोग आपके साथ हैं। अगर इसी बिना पर हर मामले को तय करना चाहते हैं तो इसका नतीजा दूसरा होगा और बड़ा भयानक होगा।

श्री भैरोंसिंह : मुख्य मंत्रीजी मौन कैसे हैं?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं पहले ही कह चुका हूं।

श्री भैरोंसिंह : रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखने के बारे में नहीं कहा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने पहले ही निवेदन किया कि गवर्नमेन्ट को एडवाइज के रूप में रिपोर्ट है, उसको प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं। उस पर विचार करके गवर्नमेंन्ट ने फैसला किया है, व गवर्नमेंट का फैसला है, कमेटी का फैसला हमने लागू नहीं किया है। गवर्नमेन्ट के फैसले की जितनी बातें हैं, आंकड़े हैं

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

उन्हें रखेंगे । माननीय अध्यक्ष से निवेदन किया गया है कि प्लान इकोनोमी के बारे में यहां चर्चा हो और उसी के साथ इकोनोमी वगैरह के सवाल जुड़े हुए हैं उन पर बहस करने व विचार करने में हमें कोई ऐतराज नहीं । तहसीलों का सवाल एक ही जगह का सवाल नहीं, इस पक्ष वालों का भी हुआ है और उस पक्ष वालों का भी हुआ है ।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : हम से नहीं तो कम से कम कांग्रेस वालों से तो पूछ लेते ।

श्री अध्यक्ष : सबको बराबर बरता है ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : जो कमेटी कायम हुई, उसकी रिकमन्डेशन्स बाइंडिग नहीं है, रिकमन्डेटरी हैं ; पर उस कमेटी की रिपोर्ट सीक्रेट या कॉन्फिडेन्शियल डॉक्युमेंट्स हैं या पब्लिक डॉक्युमेंट्स हैं, सीक्रेट हैं तो हमें सरकार की प्रोप्राइटी को क्वेश्चन नहीं करना है । सीक्रेट डोक्युमेंट्स नहीं हैं तो अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण करेंगे ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : सीक्रेट होने का और पब्लिक डॉक्यूमेंट होने का प्रश्न उतना नहीं है । यह कमेटी सदन की तरफ से अपोइन्ट नहीं की गई थी । सरकार ने इस कमेटी को सरकार को एडवाइज़ करने के लिये बनाया । गवर्नमेंट को एडवाइज़ करने के लिये कई कमेटियां हम मुकर्रर करते हैं । हर एक कमेटी की रिपोर्ट सदन के सामने आवे, आम तौर से इस प्रोसीजर को एडॉप्ट नहीं किया जाता है । हां, इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य है, जो आंकड़े हैं उनको सदन के समक्ष रखा जायेगा ।

श्री मुकुटबिहारीलाल (बयाना): डिस्ट्रिक्ट रिऑर्गेनाइज़ेशन कमेटी की रिपोर्ट को सरकार शायद इसलिये पेश करना नहीं चाहती है कि राजनैतिक चालों के बल पर जो राजनैतिक षड्यन्त्र किया गया है उसका लोगों को पता न चल जाय, विरोधी पक्ष के सभी सदस्यों के द्वारा मांग करने पर भी सदन न बुला कर लोगों को परेशान करने के लिये, राजनैतिक स्वार्थ साधने के लिये जो निर्णय लिया उसका लोगों को पता न चल जावे ।

श्री अध्यक्ष: Order Please!

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल: सरकार अपनी तानाशाही पर पर्दा डालने के लिये यह रिपोर्टसदन की मेज पर नहीं रखना चाहती।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्रतिनिधि मंडल रेवेन्यू मिनिस्टर साहब से मिला तो उन्होंने उस प्रतिनिधि मंडल को कहा था कि हमने तो १९५५ में कमेटी बनाई थी उसकी रिपोर्ट के आधार पर तहसीलों को तोड़ा है । तो इसलिये जरूरी है कि आपने जो किया है उसके मानसिक औचित्य को देखा जाय कि जैसा कमेटी ने कहा वैसा ही किया है या आपने अपने तरीके से राजनैतिक षडयन्त्र के आधार पर किया है । यह सब देखने के लिये आवश्यक है कि उस कमेटी की रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखा जाय ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): डिस्ट्रिक्ट रीग्रोर्गेनाइजेशन कमेटी की रिपोर्ट को सदन के सामने रखने की मांग की गई पर मुझे समझ में नहीं आया कि मुख्य मंत्रीजी ने ऐसा रुख क्यों अपनाया ? मांग करने का प्रश्न ही नहीं, हमारी लोक सभा में हर कमेटी की रिपोर्ट सरकार की ओर से रखी जाती है। वहां पर तो घटनाओं के सम्बन्ध में चला कर ऐसे प्रस्ताव सरकार की ओर से लाये जाते हैं, जो नेशनल प्रोब्लम की बात हो या और कोई महत्वपूर्ण बात हो तो सरकार की ओर से पहल करके प्रस्ताव पार्लियामेंट में पेश किये जाते हैं ।

ज्यादा अच्छा तो यह होता कि रावत कमेटी पर बनाते समय पहले विचार हो गया होता और उस पर सदन की राय मालूम करली होती। पर मुख्य मंत्री कोग्रॉपरेशन की, सहयोग की बात करते हैं, इस प्रकार का वातावरण मत कीजिये; आन्दोलन, सत्याग्रह मत चलाइये, यह चाहते हैं, तो फिर पूरे फैक्ट्स, कमेटी की रिपोर्ट सदन के सामने रखिये ।

(१ म. प.)

तो मैं समझता हूं कि यह सहयोग लेने का तरीका नहीं है और अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप यह व्यवस्था दें कि भविष्य के लिये सरकार की ओर से जितनी भी समितियों का गठन किया जाय और की गई हैं, चाहे वे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफोर्म्स के बारे में हों, चाहे वे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के बारे में हों, चाहे किन्हीं विषयों को लेकर हों, सरकार के द्वारा सत्र के प्रथम दिन उन समितियों की रिपोर्ट्स सदन की मेज पर रख दी जायं जिससे तमाम सदस्यों को उन पर वाद-विवाद करने का मौका मिल सके । मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे यह कहें कि समिति के निर्णयों के अनुसार सरकार ने निर्णय ले लिये हैं । रावत कमेटी के इतने महत्वपूर्ण डॉक्यूमेन्ट्स हैं । मुख्य मंत्री महोदय को अपने इस रुख को बदल देना चाहिये और उनको सदन के समक्ष रखना चाहिये । यदि इस प्रकार से उनको सदन की मेज पर रखते हैं तो उस दिशा में सही रूप में और सही दिशा में वाद-विवाद हो सकेगा । सदन का भी समय बचेगा, नहीं तो फिर बड़ी गड़बड़ रहेगी ।

श्री मानसिंह महार (आमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के समक्ष यह मसला चल रहा है उसके लिए निवेदन करूं कि जिस वक्त सबसे पहले राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स . . .

श्री अध्यक्ष : उस मसले पर बहस नहीं हो रही है ।

श्री मानसिंह महार : उसकी अहमियत बता रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष : वह तो बहुत माननीय सदस्य बता चुके हैं । कोई इम्पोटन्ट बात हो तो वह बता दें ।

श्री मानसिंह महार: वह बता देता हूं ।

तो एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी बनी थी, सदन में काफी चर्चा होने के बाद बनी थी । इसलिए मेरा यह आग्रह है कि यह आवश्यक है कि वह रिपोर्ट इस सदन के समक्ष रखी जाय । १७ तहसीलों को तोड़ देने से रिग्रॉर्गेनाइजेशन का मसला पूरा नहीं हो जाता हैं। यह मसला

Page No.44

(श्री मानसिंह महार)

लम्बा – चौड़ा है। अब भी बहुत बड़ी बड़ी तहसीलें हैं वे छोटी कीजिये, उनको आस–पास मिलाने से काम नहीं चलेगा। कोई कोना तहसील का है, किधर लोग रहते हैं, आपको मालूम होना चाहिये कि लोगों को ६०-६० मील तक दूर जाना पड़ता है इनके लिए। इस मसले के लिए एक दिन पूरा सदन को दिया जाय, इस पर गम्भीरता पूर्वक विचार किया जाय। यदि यह मसला नौन ऑफिशियल डे में आता है तो इसकी अहमियत नहीं रहेगी। इसके लिए एक पूरा दिन दिया जाय और जितनी एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्टस हैं वे हमको पहले से ही उपलब्ध होनी चाहिये ताकि समितियों की ओर से जो सुझाव सरकार के समक्ष आये हैं उनको हम देख लें, उनका रिपीटीशन न हो और फिर फैक्ट्स एन्ड फिगर्स हम आपको बता सकें कि अमुक किया गया और यह नहीं किया गया। माननीय मुख्य मंत्रीजी को उस बात को छिपाना नहीं चाहिये। उससे तो और तहसीलों को तोड़ने की और इधर-उधर की बात आ सकती है। लोगों की यह आम शिकायत है कि कई जगह पोलिटिकल वैन-जियेन्स के कारण यह किया गया है और इसलिए मुख्य मंत्री महोदय के ऊपर जो यह लान्छन लग रहा है उनसे उनको बचना चाहिए और यह उनको करना चाहिये। जैसे बनेड़ा तहसील का ही मसला है। सब लोग कहते हैं कि मुख्य मंत्री ने बदला लेने की नीयत से ही यह किया है...

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): On a point, of order, Sir, यह तरीका जायज हुआ है या नाजायज हुआ है; तो क्या इधर के लोगों को भी फिर कहने का मौका मिलेगा क्या?

श्री मानसिंह महार: आपको क्या दिक्कत आ गई है?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: आपने व्यवस्था दे दी। सरकार की ओर से बात कही गई, उधर से फिर कही जा रही हैं। फिर इधर से बोलेंगे और उधर से भी बोलेंगे तो यह कहां तक उचित रहेगा?

श्री अध्यक्ष: आप मत चलाइये। उसको बन्द कर रहे हैं।

श्री मानसिंह महार: मेरा निवेदन यह था...

श्री अध्यक्ष: आपका निवेदन समझ में आ गया।

श्री मानसिंह महार: माननीय मुख्य मंत्रीजी उस रिपोर्ट को सदन की मेज पर रख दें तो ठीक है। यह हमारा अधिकार है। कितने दिन आप उसको दबायेंगे?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): अध्यक्ष महोदय, स्वस्थ परम्परा का प्रश्न है। यदि हैल्दी कन्वेन्शन्स कायम करना चाहते हैं तो विरोधी दल के इतने सदस्यों की मांग है उसके प्रति आदर की भावना से सरकार को कुछ न कुछ ऐसा कदम लेना चाहिये और उनको निराश नहीं करना चाहिये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): मैं सदन से इतना कह सकता हूं कि तहसील वाले सवाल पर उस कमेटी की क्या रिकमन्डेशन थी उसकी जानकारी सदन को दे दूंगा। यह कहा गया कि सारे डॉक्यूमेंट्स पेश होने चाहिये, तो निवेदन करूंगा कि जो रिलेवेन्ट चीज डिस्कसन करना चाहते हैं यह कन्वेन्शन है, वह न रहे और कोई ऐसी चीज करना चाहते है मुगालते में रखना चाहते हैं, वह नहीं हो।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: रिपोर्ट का प्रश्न है। तब ही सदस्यों की मांग एक हद तक पूरी हो सकती हैं। डॉक्यूमेन्ट्स के बारे में एक भी माननीय सदस्य ने सदन के समक्ष ऐसी मांग नहीं रखी है।

श्री रामकिशन (वैर): माननीय मुख्य मंत्री बार बार कन्वेन्शन की बात करते हैं तो कौनसा कन्वेन्शन टूटा है। यदि कोई चीज तर्क–संगत है, विवेक–संगत है तो विरोधी पक्ष को यह क्यों नहीं खयाल करते कि वे उसको विवेक-संगत रूप से रखेंगे। वे उनको अच्छी तरह से विवेकपूर्वक और तर्क–संगत रूप में रखेंगें और जितने कारण और तर्क दिये गये हैं उनको देख कर उसको प्रचारित करेंगे तो अच्छा होगा। जब विरोधी पक्ष के संदस्य निवेदन कर रहे हैं, सही सलाह दे रहे हैं तो न जाने किन कारणों से, राजनैतिक कारणों से, और जैसी कि मुख्य मंत्रीजी की छिपाने की आदत है, इसको भी छिपा रहे हैं। आप कहते हैं कि सदन में नहीं रखी जाती हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्यों नहीं रखी जाती हैं? विभाग तोड़े जा रहे हैं, तहसीलें तोड़ी जा रही हैं। जनता को यह नहीं बताया जाय कि कहां क्या हो रहा है, क्या यह कन्वेन्शन है? मुख्य मंत्रीजी को इसे सदन के समक्ष रखना चाहिये। उस पर हम अच्छी तरह से विचार कर सकेंगे, नहीं तो केवल एक पक्षीय निर्णय ही होगा। यू.पी. की विधान सभा चल रही है और वहां जो स्थिति पैदा हो रही है, उसकी यहां भी पुनरावृत्ति न हो।

श्री अध्यक्ष: उसका पहले दिन ही उल्लेख न किया जाय।

(स्वामी कुमारानन्द के खड़े होने पर घंटी)

Order! Order Please! !

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस मामले पर जरूरत से ज्यादा बहस हो गई है और कई माननीय सदस्यों ने जिस प्रकार से बातें कही हैं वे उचित नहीं हैं। कहां क्या हो रहा है, इससे यहां सम्बन्ध नहीं है। आपको क्या करना है, इस ओर ध्यान दीजिये। इस तरह कहना कि अमुक जगह क्या हो रहा है, यहां भी उसकी इस प्रकार पुनरावृत्ति होगी, यह होगा, वह होगा, ऐसा कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति और पार्टी नहीं कह सकती और खास कर ऐसी पार्टी कम से कम, जिसको संसदीय परम्परा में विश्वास है। केवल जो तथ्य सम्मुख आवें उन्हीं पर बोलें और बहस को बढ़ाने की कोशिश न करें। माननीय सदस्यों को, इस रिपोर्ट पर उनके जो विचार थे उसके लिए जरूरत से ज्यादा समय दे दिया है, सरकारी पक्ष की ओर से भी उत्तर दिया जा चुका है। किसी भी समस्या का निराकरण किया जा सकता है लेकिन वाद-विवाद में ऐसी भावना लाना कि ऐसा नहीं किया जावेगा तो ऐसा किया जावेगा; यह उचित नहीं है और मैं इसको गम्भीर मानता हूं। अब आगे का विषय लिया जावेगा।

श्री रामकिशन: धमकी नहीं, मैं तो मुख्य मंत्री महोदय को सलाह दे रहा था।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य जो भी कहें संयमित भाषा में कहें।

श्री रामकिशन: मैंने तो साधारण बात कही थी सीधी भाषा में।

श्री अध्यक्ष: मैं इसे गम्भीर बात समझता हूं।

Page No.46

श्री रामकिशन : माननीय मुख्य मंत्री महोदय मिलते ही कहां हैं ? टैलीफोन करते हैं तो कहा जाता है कि यहां नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : अब आगे का कार्य लिया जायगा।

श्री मुकुटबिहारीलाल (बयाना) : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का सवाल है ! अभी अध्यक्ष महोदय ने हमारे एक वरिष्ठ सदस्य महानुभाव के कथन का गलत अर्थ लगाकर कहा कि उन्होंने एक चुनौती और धमकी दी है। मैं निवेदन करूंगा........

श्री निरंजननाथ आचार्य : I submit that it is against the convention of the House to ....

श्री मुकुटबिहारीलाल : अध्यक्ष महोदय, जो कुछ माननीय सदस्य ने कहा था उसमें किसी प्रकार की चुनौती या धमकी का सवाल नहीं था। उनका यह कहना था कि संसदीय प्रणाली के अनुसार कदम नहीं उठाया गया तो असंसदीय घटना हो तो वह अच्छा नहीं होगा। जब इस प्रकार के तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है तो यह चुनौती वाली बात नहीं है, धमकी की बात नहीं है।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, इस पर आपकी व्यवस्था होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : इस पर व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता।

अनुमति प्राप्त विधेयक

श्री सचिव, राजस्थान विधान सभा (श्री अनोपसिंह) : मैं गत सत्र में पारित उन विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं जिन पर राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है :

1. The Rajasthan Finance Bill, 1962.

2. The Rajasthan Electricity (Duty) Bill, 1962.

3. The Rajasthan Municipalities (Amendment) Bill, 1962.

4. The Rajasthan Panchayat Samitis and Zila Parishads (Amendment) Bill, 1962.

5. The Rajasthan Agricultural University Bill, 1962.

6. The Rajasthan Superim-posed Stamps Validating Bill, 1962.

7. The Jodhpur University Bill, 1962.

8. The Rajasthan Sales of Motor Spirit Taxation (Amendment) Bill, 1962.

सदन की मेज पर रखी जाने वाली विज्ञप्तियों सम्बन्धी वाद-विवाद

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : On a point of order, Sir, अध्यक्ष महोदय, दूसरा आइटम लेने से पूर्व मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय द्वारा पिछले सत्र में भी माननीय मंत्री महोदय को विशेषतौर पर आगाह किया था कि होम डिपार्टमेंट की इस प्रकार की विज्ञप्तियां जो सदन में रखी जाती

(श्री भैरोंसिंह)

हैं वे समय पर और संविधान के अनुसार प्रस्तुत की जानी चाहिये। उसमें समय का पूर्ण पालन किया जाय। अक्सर ऐसा देखा गया है, मंत्रीगण माननीय अध्यक्ष महोदय की इस प्रकार की सलाह को केवल दरगुजर ही नहीं करते बल्कि सदन का अपमान भी करते हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, कि सन् १९६१ की विज्ञप्ति जिसके बाद इस सदन के तीन सेशन हो चुके हैं, अब तक इस प्रकार की विज्ञप्ति सदन के सम्मुख पेश क्यों नहीं की गई? पहले इसका कारण बताया जाय और इस प्रकार की गलती के लिये सदन से क्षमा-याचना भी मंत्री महोदय प्रस्तुत करें।

श्री हरिश्चन्द्र (विद्युत् मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, जानकारी करने से मालूम हुआ है कि यह नोटिफिकेशन गजट में २४-५-६२ को पब्लिश हुआ है और उसके बाद का यह पहला ही सत्र है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाज़ार, जयपुर): तो क्या यह विज्ञप्ति गजट में प्रकाशित होने के बाद ही प्रभाव में आई है?

श्री भैरोंसिंह : पहले ही प्रभाव में आई तभी तो कोर्ट ऑफ लॉ में चेलैन्ज किया गया और तभी यह विज्ञप्ति निकली है।

श्री हरिश्चन्द्र : जहां तक इस विज्ञप्ति के लागू करने का सवाल है गजट में पब्लिश होने के बाद ही लागू की जाती है। यह नोटिफिकेशन २४-५-६२ को गजट में पब्लिश हुआ है।

श्री अध्यक्ष : लागू कब से की है?

श्री हरिश्चन्द्र : गजट में पब्लिकेशन हुआ उसके बाद ही।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : २४ मार्च, १९६२ को लागू हुई है।

श्री अध्यक्ष : इस विषय में आप ठीक से जानकारी करके बता दें, भविष्य में ऐसी स्थिति पैदा न हो इस बात का भी ख्याल रखा जाय।

श्री भैरोंसिंह : यह ६१ की विज्ञप्ति है और ६२ में गजट में प्रकाशित होती है, प्रेस भी आपके पास है।

श्री हरिश्चन्द्र : मैं इस बारे में जानकारी करके बता दूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : विज्ञप्ति भी कल ही रख दें, उसमें क्या फर्क पड़ता है।

श्री हरिश्चन्द्र : जानकारी तो मैं आपको बाद में भी दे सकता हूं। इसकी वजह से काम क्यों बन्द रहे? इसीलिये मैं विज्ञप्ति रख रहा हूं।

श्री मानसिंह महार (आमेर): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय हमें भी सुनें।

श्री हरिश्चन्द्र : Unless the Hon. Speaker asks me to sit down I am not prepared to sit down.

श्री मानसिंह महार : अगर मंत्री महोदय हमारी बात सुनने के लिये तैयार नहीं तो हम भी मंत्री महोदय की बात को

(श्री मानसिंह महार)

सुनने को तैयार नहीं। 'Tit for tat'. हम तो यह निवेदन करना चाहते हैं कि अगर आपको कोई बात रखनी है तो सोच करके, उसकी जानकारी करके, तैयार होकरके आइये और फिर रखिये।

श्री हरिश्चन्द्र : इस सम्बन्ध में जानकारी करके इत्तला करूंगा।

श्री मानसिंह महार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जानकारी करने के बाद अच्छी तरह से प्रिपेयर्ड होजायं तभी वे इस विज्ञप्ति को सदन के सामने रखें।

श्री हरिश्चन्द्र : अभी रखने में क्या ऐतराज है? अगर देरी हुई है तो मैं सदन से एपोलोजाइज् कर लूंगा।

श्री मानसिंह महार : कल ही रख दीजिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था का प्रश्न हो सकता है। गजट में प्रकाशित होने से पहले इस विज्ञप्ति को लागू कर दिया गया तो वैसी हालत में क्या यह आज सदन की मेज पर रखा जा सकता है या नहीं? यह तो उसी समय विचार हो सकता है जिस समय माननीय मंत्री महोदय इस बात का निश्चित उत्तर दे सकेंगे कि यह गजट में प्रकाशित होने से पहले लागू किया गया या बाद में?

श्री हरिश्चन्द्र : जिस दिन से गजट में प्रकाशित हुआ है उसी दिन से लागू हुआ है; मई, १९६२ से लागू हुआ है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तब रख दीजियेगा।

सदन की मेज पर रखी गई अधिसूचनाएं

श्री हरिश्चन्द्र (विद्युत् मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान मोटर विहिकल्स अधिनियम १९३९ की धारा १३३ के अन्तर्गत होम (बी) विभागकी अधिसूचना संख्या एफ़ १:४:५: एच. बी. जी. आर १५९, दिनांक ५मई जिसके द्वारा राजस्थान मोटर विहिकल्स नियम १९५१ के नियम१४० में संशोधन किये गये हैं, सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं आबकारी तथा कर विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें जिनके द्वारा राजस्थान बिक्री कर नियम, १९५५ में संशोधन किये गये हैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबन्धी नियमों के नियम १९९(२) के अन्तर्गत पुनः सदन की मेज पर रखता हूं :

१. अधिसूचना संख्या एफ़ ५।१०५ ई. एन्ड. टी. ६०, दिनांक २८ जून १९६१।

२. अधिसूचना संख्या एफ ५:९: ई. एन्ड. टी. ५७, दिनांक २३ दिसम्बर ५९६१।

पुनः स्थापित विधेयकों सम्बन्धी सूचना

श्री दुर्गालाल बाददार (हवामहल जयपुर): I would like to submit, Sir, whether the Bills, which are going to be introduced here before the House have been published in the Rajasthan Rajpatra and, if so, whether actually that publication has been circulated among the masses and on what date?

श्री अध्यक्ष : They have been published.

श्री दुर्गालाल बादद्दार : Where is that publication ?

श्री अध्यक्ष : That is not for us to find, but I have made myself clear that they have been published.

(१.२० म. प.)

राजस्थान होम गार्ड्स विधेयक, १९६२

(पुरः स्थापन)

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान होम गार्ड्स बिल, १९६२ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रार्थना करता हूं ।

व्यय से अन्तर्ग्रस्त विधेयक के साथ वित्तीय ज्ञापन-पत्र की आवश्यकता सम्बन्धी वाद-विवाद

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : On a point of order, Sir, अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान राजस्थान विधान सभा की कार्य प्रणाली के नियम ६१ की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, जो इन्ट्रोडक्शन ऑफ बिल से सम्बन्धित है । इसमें लिखा है :—

> " A bill involving expenditure shall be accompanied by a financial memorandum which shall invite particular attention to the clauses involving expenditure and shall also give an estimate of the recurring and non-recurring expenditure involved in case the Bill is passed into law."

अध्यक्ष महोदय, यह जो बिल माननीय मन्त्री महोदय प्रस्तुत करना चाहते हैं उसमें नियम ६१ की पूर्ति नहीं होती । केवल इतना मात्र इसमें लिखा है :

> " The Bill provides for the appointment of a Commandant General and Commandants of Home Guards which will entail expenditure from the Consolidated Fund of the State. The State Government may also make ex-officio appointments for the purpose. It is therefore, not possible to gauge at present the actual amount that may be involved on this account."

तो अध्यक्ष महोदय, फाइनेन्शियल मेमोरेन्डम किस तरह होना चाहिये, वह नियम में स्पष्ट संकेत है और इसमें इसके लिये स्पष्टरूप से लिखा है कि जितने भी खर्चे उस सम्बन्ध में होंगे उनके बारे में एक एस्टीमेट रेकरिंग और नॉन रेकरिंग एक्सपेन्डीचर का फाइनेन्शियल मेमोरेन्डम के रूप में विधेयक के साथ लगाया जावेगा । सरकार का यह कह देना कि इसका अन्दाज नहीं लगाया जा सकता, मैं समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, इतने कह देने मात्र से इस नियम की पूर्ति नहीं होती । राजस्थान सरकार इतने सारे बजट के आंकड़े आये दिन प्रस्तुत करती है और अनुमान लगा लेती है । करोड़ों का तो इसमें कितना खर्चा होगा यह सम्बन्धित विभाग अन्दाज नहीं लगा सकता; यह समझ में आने वाली बात

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

नहीं है । इसलिये इस नियम का पालन इसमें नहीं हो पाया है। फिर इस नियम को वेव भी नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें जो शब्द उपयोग किया गया है, वह है :

"......Shall invite particular attention to the clauses involving expenditure and shall also give an estimate of the recurring and non-recurring expenditure involved."

रेकरिंग कितना होगा और नॉन रेकरिंग कितना होगा; इन दोनों के सम्बन्ध में कन्सोलिडेटेड फंड से कितना खर्चा होगा; यह देना लाजमी होगा। यह कह कर नहीं चला जा सकता कि इसका अनुमान लगाना कठिन है या सम्भव नहीं है । इसलिये निवेदन करूंगा कि जब तक राजस्थान सरकार इसके सम्बन्ध में फाइनेन्शियल मेमोरेण्डम, जो नियम ६१ के अनुसार आवश्यक है, प्रस्तुत नहीं कर देती तब तक इसे पुरः स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जावे ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य ने जो आपत्ति इस पर उठाई है, उसका समर्थन करता हूं । मैं समझता हूं कि यह विधेयक डिफेक्टिव है । यह विथ्ड्रा होना चाहिये ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, मैं जयपुर से आये हुए माननीय सदस्य की आपत्ति का समर्थन करते हुए यह कहना चाहता हूं कि जो फाइनेन्शियल मेमोरेण्डम गवर्नमेन्ट की तरफ से पेश किया गया है उसमें इस बात को भी वेग रखा गया है कि जो कमान्डेन्ट-जनरल और कमान्डेन्ट मुकर्रर होंगे, वे कोई नई नियुक्ति से अपोइन्ट किये जावेंगे या किसी को एक्स-ऑफिशियो मुकर्रर किया जावेगा ।

इसके अलावा जिन लोगों को होम गार्ड्स में भर्ती किया जावेगा, उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था है इस कानून में; उस ट्रेनिंग पर नेचुरली कुछ खर्चा होगा । इसके अलावा यह भी इसमें इन्वोल्व्ड है कि सारे प्रान्त में इस होम गार्ड्स को किसी भी जगह इस्तेमाल किया जा सकता है । तो शायद खाना तो सरकार न दे सके, पर उनके किराये तो सरकार को अवश्य देने पड़ेंगे । भूखे रह जावें बेचारे, लेकिन किराया तो देना ही पड़ेगा । तो वह खर्चा भी होगा । इस वास्ते सरकार को इस खर्चे के मामले में ज्यादा क्लीयर होना चाहिये । गवर्नमेन्ट इस रूप में एक बड़ी फोर्स खड़ी करने जा रही है । अब उसके क्या सिद्धान्त होंगे, यह भी सरकार टाइम-टू-टाइम डिटर्मिन करेगी । तो बहरहाल सरकार को इस बारे में अपना माइन्ड मेकअप करना चाहिये वर्ना इस बिना पर यह बिल वेग होगा । सरकार इस बारे में निश्चित नहीं है, इस बिना पर भी यह ठीक नहीं है ।

अगर सरकार अपने एक्सपेन्डीचर को एक पर्टीकुलर स्टेज में करना चाहती है तो उसे यह स्पष्ट करना चाहिये कि वह इसमें कितनी भर्ती करना चाहती है, कितना उनकी ट्रेनिंग पर खर्चा होगा; इस बुनियाद

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

पर बजट बना कर रखना चाहिये था । इस आधार पर भी अध्यक्ष महोदय, हम लोगों को इस सदन में खासतौर पर तब, जबकि, यह सरकार खुद कम खर्चा करने का अभियान चला रही है, इस बात पर अधिक ध्यान देना चाहिये कि इसमें कितना खर्चा होगा । इस बारे में और अधिक सतर्क सरकार को होकर चलना चाहिये कि इससे हमारी स्टेट के एक्सचेकर पर कितना एक्स्ट्रा बर्डन पड़ेगा; यह निश्चित तौर से जान कर फिर आगे बढ़ना चाहिये ।

अगर सामान्य बात होती तो हम विचार कर सकते थे । पर यह खर्चा इसके रूप को देखते हुए इस प्रकार का है कि मौजूदा स्थिति में यह वर्दाश्त करने लायक नहीं है । इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस पर विचार करने से पहले फाइनेन्शियल मैमोरेन्डम पूरी तरह से आना चाहिये और इसलिये इसे इस वक्त इन्ट्रोड्यूस करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये ।

श्री रामकिशन (वैर) : अध्यक्ष महोदय, जैसी कि इस बिल में व्यवस्था है और जो जयपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने ध्यान आकर्षित किया वह स्पष्ट है । इसमें केवल इतना कहा गया है कि कमान्डेन्ट नियुक्त किये जावेंगे; पर जिस तरह बताया गया उस पर खर्चा काफी आ सकता है । इसमें फिर उनके रहने-करने, कपड़ा आदि, आने-जाने आदि की भी व्यवस्था है । स्वयं-सेवकों की मदद कब ली जावे, इसकी व्यवस्था है और इन सब में खर्चा होगा । इसलिये जब तक वित्तीय-ज्ञापन इसके साथ न हो तब तक इस विधेयक पर कैसे विचार किया जा सकता है ?

इसमें एक आपत्ति और भी है । अगर इस प्रकार की परम्परा बन गई तो आगे भी जो बिल ऐसे आवेंगे तो मन्त्री महोदय इसे भले ही छोटा सा कह कर टाल दें; पर आगे हो सकता है, कोई बड़ा बिल आ जावे तो वे वहां भी यही कहेंगे और सदन को इस वित्तीय-ज्ञापन की जानकारी से अनभिज्ञ रखा जावेगा और वित्तीय संकट अगर बढ़ गया इससे तो सदन इससे अनभिज्ञ रहेगा । तो इसलिये पहले इस पर विचार किया जाना चाहिये कि इसमें निश्चित तौर से क्या खर्चा किया जावेगा । हर डिटेल-कपड़ों की, हथियारों की, नियुक्तियों आदि की, खर्चे की सामने आनी चाहिये, इसके बिना इस पर विचार करने की स्थिति में यह सदन नहीं है ।

श्री कुमारानन्द (ब्यावर) : अध्यक्ष महोदय, इसे मान लेना चाहिये ।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, जो ऐतराज इस बिल के सम्बन्ध में माननीय सदस्य महोदय ने उठाया है वह वास्तव में सैद्धांतिक है । यह मानी हुई बात है कि होम गार्ड्स को ट्रेन्ड करने के लिये अभी रूल्स बने नहीं हैं । पर उनको ट्रेनिंग दी जावेगी । उनके खाने-पीने का प्रबन्ध करना होगा । उनके रहने, पहिनने आदि का खर्चा होगा । ट्रेनिंग देनेवालों को पे की व्यवस्था करनी होगी । इन सब हालतों को देखते हुए जहां हम आज एक एक नये पैसे को दांत से पकड़ रहे हैं वहां हमें यह सोचना बहुत लाजिमी है पहले कि इस होम

(श्री अब्दुलजब्बार)

गार्ड को खोलने से कितना खर्चा होगा, इसे खोलने की भी आवश्यकता है या नहीं ; अगर है तो कितना एक्सपेन्डीचर होगा, कितना कर सकते हैं। अब ऐसी कौनसी बात है कि आप इसके एक्सपेन्डीचर का अनुमान नहीं लगा सकते ? और जनता को वैसे ही मजबूर करते हैं। इसलिये यह आवश्यक है कि इतना रुपया लम्पसम रूप में इसमें खर्च किया जावेगा, यह पूर्णरूप से क्लीयर वे में इस बिल के साथ होना चाहिये ताकि वास्तव में जो हम आज इकोनोमी कट कर रहे हैं उस आधार पर हम इसे भी देख सकें कि यह खर्चा भी इकोनोमिकल है या नहीं या वह वान्ट ऑफ सिटीजन है या नहीं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो ऑब्जेक्शन रखा है, मेरा उसके सम्बन्ध में कहना है कि उनका ऑब्जेक्शन वाजिब है।

होम गार्ड के सम्बन्ध में जो कमान्डेन्ट ऑफिसर होंगे वे वास्तव में ऑनरेरी होंगे या सरकार के द्वारा वे वेतन देकर नियुक्त किये जावेंगे, इसका खुलासा नहीं है। मैं समझता हूं कि वे सारे ऑनरेरियम बेसिस पर काम करनेवाले लोग होंगे। अगर ऐसा है तो इस सीमा तक तो ठीक है, पर इसका स्पष्ट उल्लेख आना चाहिये। परन्तु जो ट्रेनिंग का खर्चा है, उनकी मीटिंगें वगैरह बुलाने करने का जो खर्चा है या इस तरह के दूसरे जो खर्चे हैं वे इसमें बतलाये नहीं गये। अगर वाकई यह खर्चा है इसमें तो इसके सम्बन्ध में स्पष्टीकरण होना चाहिये।

मैंने इस विधेयक को पढ़ा तो मालूम पड़ा कि नीचे से ऊपर तक के अफसर ऑनरेरी होंगे। अगर यह स्पष्ट हो जाता है तो इसमें कोई विरोध नहीं है। पर अगर यह बात नहीं है तो यह बुरा है। जैसी पहले भी बहस हो चुकी है सदन में और अध्यक्ष महोदय की तरफ से आगे से भी ऐसी हिदायत हुई है कि आगे से भी ऐसा विधेयक आवे तो फाइनेन्शियल मैमोरेन्डम आना चाहिये। तो अगर इसमें ऐसा खर्चा है तो यह मेमोरेन्डम आना चाहिये, ऐसा मैं महसूस करता हूं।

श्री दुर्गालाल बाददार (हवामहल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह जो आपत्ति आपके सामने उठाई गई है इस आपत्ति के बारे में एक प्रश्न यह भी हमारे सामने पैदा हो सकता है और हो सकता है कि इस आपत्ति के बारे में एक महत्वपूर्ण व्यवस्था देने की आवश्यकता पड़ जाये। यह एक ऐसा प्रश्न है जिसके बारे में अध्यक्ष महोदय को स्वयं को भी विचार करना होगा। यह ऑब्जेक्शन टैक्निकल ऑब्जेक्शन रह जाता है या सब्सटेन्शियल ऑब्जेक्शन के रूप में हमारे सामने आता है, इसका अध्यक्ष महोदय को ही निर्णय करना होगा। इसके लिए मेरा नम्र निवेदन है कि जब कोई भी नया बिल हम हाउस में उपस्थित करते हैं या इन्ट्रोड्यूस हो करके हाउस के सामने आता है तो उस पर हाउस को विचार करना पड़ता है। वह सारे फाइनेन्सेज़ कि जिनको सेंक्शन वह देता है, वह कानून जो हाउस बनाता है, वह कानून के रूप में आकर जनता के सामने आता है और उसको जनता के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

और जहां ऐसा कानून आये और एक्सपेन्डीचर का प्रश्न आये और उसकी डिटेल्स नहीं दी जाये और यह कह दिया जाये कि फलां जगह से इसका खर्चा होगा पर कितना खर्चा होगा इसका कोई अन्दाजा नहीं तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि कुछ खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन किस रूप में करना पड़ेगा,- इसकी इतनी स्पष्ट व्यवस्था है, यहां तक कि रूल ३६१ का सब रूल (३) है उसमें दिया हुआ है कि:-

"Provided that where a clause in a Bill involving expenditure is not printed in thick type or in italics, the Speaker may permit the member-in-charge of the Bill to bring such clauses to the notice of the House."

यह साधारण रूप से नहीं लिखा गया है, बल्कि इसका सिग्निफिकेन्स हमें समझना चाहिये और यह बताना चाहिए कि यह एक ऐसा विषय है कि जो मोटे मोटे आंकड़ों में यह बिल छापा गया है वैसे ही यह बात उस बिल में नहीं लिखी जायेगी; बल्कि इस रूप में लिखी जायेगी कि हर एक आदमी यह समझ सके कि खर्चे की कुछ क्लॉज़ रखी गयी है; उसके बारे में आपको एक ऐसा कानून बनाना है कि कितना खर्चा करेंगे। यदि ऐसा नहीं है तो अध्यक्ष महोदय के ऊपर भी यह ड्यूटी आती है कि वह सबकी आंखों में सब चीजें ला दें कि देखो भाई, इस बिल में कुछ खर्चे की बात है। तो मेरा सब्मिशन खास तौर से सब मेम्बर साहबान के सामने और विशेष रूप से अध्यक्ष महोदय के सामने यह है कि यह ऑब्जेक्शन खाली एक टेक्निकल ऑब्जेक्शन नहीं है; बल्कि एक सब्सटेन्शियल ऑब्जेक्शन है और जिसके ऊपर आपको विचार करना है और आपको व्यवस्था देनी है।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : अध्यक्ष महोदय, यह होमगार्ड्स बिल जो हाउस के सामने इन्ट्रोड्यूस किया गया है इसके दो पहलू हैं। एक तो इसके निर्माण का है और दूसरा पहलू इसका आर्थिक पहलू है। तो फाइनेन्शियल मेमोरेन्डम इसका रखना चाहिए। रेकरिंग और नॉन रेकरिंग एक्सपेन्सेज़ का सवाल आता है वह उसमें नहीं दिया गया है। ऐसी स्थिति में यह बिल जैसी हालत में सदन के सामने रखा गया है वह अपूर्ण है और अपूर्ण बिल के ऊपर सदन के सामने विचार नहीं किया जा सकता। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस बिल को वापिस लिया जाकर पुनः इसको पूर्ण करके सदन के सामने प्रस्तुत किया जाये।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): I would very respectfully draw your attention to two cardinal facts. The so-called financial memorandum, I am very clear in my mind, is no financial memorandum at all. The scheme of the Act in itself is so inadequately clothed. I submit with due respects that the Hon'ble Minister does not know his own mind. The whole scheme of the Act is incomplete. I would respectfully draw your attention to these cardinal factors. Without a

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

complete scheme, I think, the Hon'ble Minister is trying to put the cart before the horse and, if that is so, it is for you. Sir–and you alone, to decide the issue.

श्री मानसिंह महार (आमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे गृह मंत्रीजी ने जो यह बिल रखा है और इसके साथ में यह एक छोटा सा फाइनेन्शियल मेमोरेन्डम जोड़ा है वह तो मैं समझता हूं कि इस फाइनेन्शियल मेमोरेन्डम जैसी पवित्र चीज की मखौल है। मैं यह समझता हूं कि इस मसले पर गृह मंत्रीजी मोटे-मोटे पोथे क्या निकालेंगे। हमारे माननीय गृह मंत्रीजी ने बड़ी चतुराई से लाखों रुपयों के खर्च करने का तरीका निकाला था लेकिन अब उनकी यह चतुराई पकड़ी जा चुकी है। फाइनेन्शियल मेमोरेन्डम सही तरीके से इस विधान सभा के सामने रखना चाहिए और ज ; तक रख न दें तब तक के लिए इस बिल को स्थगित कर दिया जाये। किसी तरह की कोई बात कहना या मोटे-मोटे पोथे निकालना सदन का समय नष्ट करना है। केवल यह बात दृष्टिकोण में रखी गई है कि हमारे यहां के आई. जी. पी. रिटायर होने वाले हैं और उनको होम गार्ड्स में कमान्डेन्ट लगा दिया जावेगा; तो इस चीज में लाखों, करोड़ों रुपयों का खर्चा है। एक तरफ कह दिया जाता है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, सरकार बहुत कर्जे में चल रही है और दूसरी ओर अपने-अपने विभागों में करोड़ों और लाखों रुपयों के नये-नये खर्च करने के तरीके निकाले जाते हैं। यह बुद्धिमानी की बात नहीं है। इसलिए मैं अध्यक्ष महोदय से कहूंगा कि उन्हें हमारे हकों को गार्ड करना चाहिए और ऐसी स्थिति में गृह मंत्रीजी को स्पष्ट कहना चाहिए कि आप इस बिल को मनसूख कर दीजिए; क्योंकि इसके साथ कोई फाइनेन्शियल मेमोरेन्डम नहीं है। ४ लाइनों में फाइनेन्शियल मेमोरेन्डम रख देना केवल एक मखौल के अलावा कुछ नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): अध्यक्ष महोदय, इस बिल के सार फाइनेन्शियल मेमोरेन्डम का एक लेबिल जरूर लगाया गया है और अगर इस बिल की गहराई में जाया जाय तो ऐसा प्रतीत होता है कि राजस्थान के अन्दर मौजूदा पुलिस की कोई बहिन या भाई पैदा किया जा रहा है। एक कमान्डेन्ट और कमान्डेन्ट जनरल इस रूप में हमारे समक्ष आ रहे हैं कि जिसमें करोड़ों रुपयों के व्यय होने की स्पष्ट सम्भावना है। हमें ऐसा नजर आता है कि फाइनेन्शियल मेमोरेन्डम के नाम से कन्सोलीडेटेड फन्ड को तोड़ कर फाइनेन्शियल मेमोरेन्डम का लेबल पूरा कर दिया गया है स्पष्ट रूप से रेकरिंग और नॉन रेकरिंग खर्च और जितने भी एस्टीमेटेड एक्सपेन्डीचर सेलेरिज और रिक्रूटीमेन्ट के खर्चे, ट्रेनिंग के खर्चे जो कि काफी लम्बी - चौड़ी व्यवस्था है और वह महज सदन के सामने इसलिए नहीं लाये गये कि हम पुलिस के अन्दर उसके एक छोटे भाई को इस राज्य में और जन्म दे देंगे। अध्यक्ष महोदय, यह कठिन बात नहीं थी कि एक सूची, एक एस्टीमेट इस बजट का होम गार्ड के सम्बन्ध में उपस्थित किया जाता जब कि बॉम्बे की होम गार्ड का यहां पर रेफरेन्स दिया गया। बॉम्बे की एग्जिस्टिंग होम

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

गार्ड के पैटर्न के ऊपर इसको करने की बात की गयी है और प्रोप्रटीज को प्रोटेक्ट करने की बात की गयी है और एक नारा दिया गया है कि जब कि देश की हालत बदल गयी है, व्यवस्था बदल गयी है, देश में सेवा-समिति के रूप में होम गार्ड को लाया जाये लेकिन वस्तुस्थिति इससे बिल्कुल भिन्न है। यदि बॉम्बे का पैटर्न होता तो जिस तरह से बॉम्बे में हुआ उसी तरह से यहां पर भी स्पष्ट रूप से सारी बातें सामने आ सकती थीं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। चूंकि इस सदन के सदस्य और सदन की राय और सदन का कान्फिडेन्स इन खर्चों को मौजूदा स्थिति में जब कि पंचवर्षीय योजना में हम कट कर रहे हैं, जब कि हमारे सैकड़ों कर्मचारी विभागों में से निकाले जा रहे हैं, जब कि इस सम्बन्ध में विचारधारा बहुत उग्र रूप से उठ रही है और जब कि हमारी अर्थ-व्यवस्था बड़ी संकट के अन्दर है ऐसी स्थिति में होम गार्ड के ऊपर खर्चा करना कहीं सदन के दिमाग के ऊपर गलत असर न डाले, इसलिए इसमें वह बात नहीं लाई गई।

दफा ६१ के मुताबिक जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा है कि कोई कारण नहीं है, कोई कानूनी नुक्ता नहीं रह जाता कि होम गार्ड का बिल सदन के अन्दर पेश किया जाय। इस होम गार्ड के बिल को मेमोरेन्डम के साथ, सारे खर्चे की पूर्ति के साथ सदन में लाया जाय, ऐसी मेरी प्रार्थना है।

श्री मथुरादास माथुर (गृहमंत्री): माननीय अध्यक्ष, सदन के सामने जो इस वक्त रूल ६१ को लेकर बहस हुई, मुझे इस सिलसिले में यह निवेदन करना है कि जो फाइनेन्शियल मेमोरेन्डम इस बिल के साथ में पेश किया गया है, उस पर यह प्रश्न उठा है, गोया यह मेमोरेन्डम काफी है या नहीं ताकि इस सदन में इस बिल पर विचार कर सकें। बहुत अच्छा होता और मैं सदन के उन मेम्बरों से कुछ हद तक इत्तिफ़ाक करता हूं कि डिटेल्स इस मेमोरेन्डम के साथ में आने चाहिए; मगर सदन के सदस्य अगर इस बिल की स्कीम ऑफ थिंग्स को देखें तो जो इसमें क्लॉज (२) के सब-क्लॉज (२) व (३) ऑफ दी बिल हैं, उनको इटेलिक्स में छापा गया है; वह इस बात को जाहिर करने के लिए कि जो रूल ६१ के सब क्लॉज (२) के अन्दर यह हमसे आशा की जा सकती है कि जिस क्लॉज के अन्दर एक्सपेन्डीचर इन्वोल्व्ड होगा वह इटेलिक्स में छापी जायगी। इस बिल के क्लॉज १ के सब-क्लॉज (३) में यह कहा गया है:

"It shall come into force on such date and in such areas of the State as the State Government may, by notification in the official Gazette, direct ...."

श्री रामकिशन (वैर): हिन्दी में कह दें साहब, हमारी समझ में नहीं आया। आप हिन्दी जानते हैं।

श्री मथुरादास माथुर: मैं हिन्दी में भी कह दूंगा। क्योंकि बिल हिन्दी और अंग्रेजी में है, इसलिए आप हिन्दी का तर्जुमा पढ़ सकते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): आप हिन्दी में ही कहने का कष्ट करें।

श्री मथुरादास माथुर : Beg your pardon.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : This is just a request that you may kindly tell us in Hindi.

श्री रामकिशन : रूल पर बहस करने का सवाल है। आप हिन्दी में करें तो क्या दिक्कत है ?

श्री मथुरादास माथुर : "(३) यह ऐसी तारीख से और राज्य के ऐसे क्षेत्रों में प्रभावशाली होगा जिनका कि राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा, निर्देश दे।"

इसलिए यह बिल का ऑपरेशन कि होमगार्ड्स किन-किन जिलों में किन-किन इलाकों में कायम की जायगी यदि जो सब क्लॉज (३) ऑफ़ क्लॉज १ उसमें इस बात को कहा गया है, फिर उसके बाद में क्लॉज २ पर आप गौर कीजियेगा। उसमें यह कहा गया है :—

"(१) राज्य सरकार धारा १ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्रों में से . . . . ."

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : अध्यक्ष महोदय, यह सूचना का सवाल है। ऐसा प्रतीत होता है कि मिनिस्टर महोदय पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर का उत्तर नहीं देकर बिल के जो मेरिट्स हैं उन पर बहस कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि वह एक दूसरा पहलू है जिसका जवाब देने के लिए उनको अभी से तैयार हो जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि फाइनेन्शियल मेमोरेन्डम के बारे में उनकी क्या मान्यता है, उसके बारे में विचार करें।

श्री अध्यक्ष : उसी का तो वे उत्तर दे रहे हैं। वे यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसी बिल की स्कीम है उसके अनुसार ज्यादा डिटेल्स दे सकते हैं या नहीं, यह उनका दृष्टिकोण है।

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री) : इसलिए आज के दिन जब कि क्लॉज़ २ की सब क्लॉज (१), (२) और (३) हैं जिनमें दो बातें हैं कि इस होमगार्ड्स की फोर्स कितनी होगी, कितनी इसकी नफरी होगी, कहां-कहां यह लागू किया जायगा, किन-किन जिलों में लागू किया जायगा ; इसका राज्य सरकार द्वारा निर्णय करने के लिए इस बिल के अन्दर यह प्रावधान रखा गया है। इसलिए आज के दिन यह जान लेना कि जो पर्सोनल होगा उसकी ट्रेनिंग का खर्चा कितना होगा ? उसकी यूनिफार्म का खर्चा कितना होगा ? आज ही उसको एसेस करके फाइनेन्शियल मेमोरेन्डम में उसका प्रावधान कर देना कठिन है।

दूसरे प्रकार का जो खर्चा इसमें होगा वह ऑफिसरों के ऊपर होगा, खास तौर से जनरल कमान्डेन्ट और कमान्डेन्टों पर, जिनका इसमें जिक्र किया गया है। कितने कमान्डेन्ट होंगे, किन-किन जिलों में लागू किया जायगा या सभी राजस्थान के अन्दर इसको लागू किया जायगा, जैसी कि एक तरमीम आई है कि इस बिल के क्लॉज ३ के सेक्शन (१) को डिलीट किया जाय तथा और भी इस तरह की तरमीमें आई हैं, अगर वे तरमीमें मन्जूर हो जाती हैं तो पूरे राजस्थान के अन्दर २६ जिलों के अन्दर २६ कमान्डेन्ट्स मुकर्रर करने पड़ेंगे। उसके साथ साथ २६ जिलों के अन्दर फोर्स कायम करने के लिए

(श्री मथुरादास माथुर)

स्ट्रेन्थ, क्या होगी, उसके बाद में जितना पर्सोनल होगा उसके हिसाब से उसका एक्सपेन्डीचर और एस्टीमेट बनेगा। उनकी ट्रेनिंग पर और उनके यूनिफार्म पर और दीगर खर्चा जो इस सिलसिले में होता है उसका बताना अभी हमारे लिए कठिन होगा। जब तक कि यह बिल सदन की स्वीकृति नहीं ले लेता और कानून नहीं बन जाता है तब तक इसके एक्सपेन्डीचर के ऊपर हम विचार करके कम्पलीट फिगर्स सदन के सामने रखने में असमर्थ हैं। इसलिए इस तरह का फाइनेन्शियल मेमोरेन्डम सदन के सामने पेश किया गया है।

दूसरा निवेदन में यह अर्ज कर देना चाहता हूं कि कोई यही बिल नहीं है। सदन का एक कन्वेन्शन है। ऐसे बिल सेन्ट्रल पार्लियामेंट में भी जहां पर एस्टीमेट नहीं मुकर्रर किया जा सकता है, उस वक्त इस तरह के फाइनेन्शियल मेमोरेण्डम के साथ पेश किये गये हैं। मैं पहले जो सेन्ट्रल एक्ट एक पास हुआ है, उसकी भाषा क्या है फाइनेन्शियल मेमोरेन्डम की वह आपके सामने पेश करना चाहता हूँ।

श्री मुकुटबिहारीलाल : क्या यह हमारे लिए बाध्यमूलक प्रिसिडेन्स होगा, या यह कोई रूलिंग हो गई है ?

श्री मथुरादास माथुर : इस बिल में रखा गया है।

श्री दुर्गालाल बाददार (हवामहल, जयपुर) : हो सकता है कि वहां पर भी ऐसा मेमोरेन्डम हो उस पर आपत्ति नहीं उठी हो। रूलिंग चाहे कोई इस पर हो सकती है।

श्री मथुरादास माथुर : यह पब्लिक चेरिटेबल ट्रस्ट का जो सेन्ट्रल एक्ट है उसका फाइनेन्शियल मेमोरेन्डम है . . . .

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : What is the name of this Act ?

श्री अध्यक्ष : पब्लिक चेरिटेबल ट्रस्ट एक्ट।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): उस फाइनेन्शियल मेमोरेन्डम का स्टेट एक्सचेकर पर इफेक्ट नहीं होता हो।

श्री मथुरादास माथुर : नहीं है। उसमें लिखा है clause 2 to 4 involve some expenditure.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : Members might have been charitable there, but we are Guards here.

श्री मथुरादास माथुर : No, exact. idea of the amount is available to start with regarding expenditure............

इस तरह से उन्होंने यह कहा। उसके बाद में अपने यहां का जो बिल है वह लेकर पढ़ता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : पहले जो रेफर किया है उसको तो साफ कीजिये।

श्री मथुरादास माथुर : Protected antiquated documents.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) क्लॉज़ ६१ की जो प्रोसीजर की किताब को कोट की है उसको ही डिलीट कर देना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : इस तरह से डिलीट करने लगे तो सारा ही डिलीट करना पड़ेगा ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिहनगर) : नहीं तो राजस्थान का कन्सोलिडेटेड फण्ड ही डिलीट हो जायगा ।

श्री मथुरादास माथुर : Rajasthan Monuments, Archaeological & Antiquities Bill, जो इस सदन में पेश किया गया था उसके अन्दर यही लफ्ज लिखे हैं-"it will not be possible to give any estimate of compensation etc".

फाइनेन्शियल मेमोरेन्डम कम्पलीट है या नहीं, यह इश्यू है । ऐसे और भी कई एक्ट्स निकाल सकता हूं समय मिले तो, जिनमें इस तरह का फाइनेन्शियल मेमोरेन्डम है । कन्सीडर्ड काफी समझा गया और सदन में बिल इन्ट्रोड्यूस कराये हैं और पास हुए हैं । मेरे साथ जो डिफिकल्टी है, मैं निवेदन करूं कि राज्य सरकार को इल्म नहीं हो ऐसी बात नहीं है । राज्य सरकार ने एक कमेटी नियुक्त की थी, एक आई. ए. एस. ऑफिसर की अध्यक्षता में । उनका नाम बता दूं; मेजर दौलतसिंह, रिटायर्ड जागीर कमिश्नर उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी......

श्री अध्यक्ष : उसकी रिपोर्ट है क्या ?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : हाउस की टेबल पर रखी गई है क्या ?

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय चाहेंगे तो रख सकता हूं ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : जो सदन की मेज पर नहीं है उसका रेफ़रेन्स देना बेकार है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिहनगर) : You are more progressive than the Chief Minister.

श्री मथुरादास माथुर : ऑल इंडिया होम गार्ड्स कॉन्फ्रेन्स दिल्ली में हुई थी......

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल: On a point of order, Sir, जिस रिपोर्ट का मिनिस्टर महोदय हवाला दे रहे हैं उसकी कोई जानकारी पब्लिक को है या नहीं ? उसको प्रकाशित नहीं किया, उसको सही कोट कर रहे हैं या गलत कोट कर रहे हैं; ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता । ऐसी स्थिति में अध्यक्ष महोदय, उनको कोट करने की इजाजत नहीं देनी चाहिये ।

श्री मथुरादास माथुर : कोई भी माननीय सदस्य यहां पर बात कहते हैं तो जिम्मेदारी के साथ कहते हैं ।

ऑल इन्डिया होम गार्ड्स कॉन्फरेन्स दिल्ली में हुई । उसमें यह फैसला हुआ कि सभी स्टेट्स में होम गार्ड कायम की जाय । उसके बाद सरकार ने एक कमेटी बनाई जिसके चेयरमैन का नाम मैंने अभी सदन को बताया । फाइनेन्शियल बर्डन कितना हो सकता है, उस पर भी चर्चा की लेकिन हम नतीजे पर नहीं पहुंच सके; क्योंकि जब तक सदन इस पर नहीं पहुंचे कि कितना हो, कितना न हो तब तक नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता । यह इमीजियेटली

(श्री मथुरादास माथुर)

लागू होगा और कम से कम ५,००० होम गार्ड्स हो सकते हैं। यदि सदन चाहे कि सभी जगह एक साथ लागू न होकर कुछ बड़ी डिस्ट्रिक्ट्स में ही पहले हो जाय तो उस तरह से गुजरना होगा।

इसके एक्सपेन्डिचर के दो इश्यूज़ हैं। एक जॉनल कमान्डेन्ट होगा। वह एक्स-ऑफिशियो होगा या कितना क्या होगा, यह प्रश्न है, दूसरा ट्रेनिंग आदि का प्रश्न है। यदि हाउस फैसला करदे कि ५,००० सभी डिस्ट्रिक्ट्स में हों तो उस तरह से कायम होगा और उसी तरह के फाइनेन्सेज होंगे। उसका बजट आपके सामने रखा जायगा, जब कि नेक्स्ट बजट पेश करेंगे। यह बात ठीक नहीं है कि हमने इस पर विचार नहीं किया या इस पर सोचा नहीं हो। ऐसी बात नहीं है। हमने इस पर सोचा है। बजट बनाया है। आइडिया बना है। लेकिन जब तक सदन स्वीकृति नहीं देता तब तक इसको लागू नहीं किया जा सकता। इसलिये इसका पूरा एस्टिमेट बना नहीं सके। इसलिये फाइनेन्शियल बिल रखा है। आगे भी रखा गया है इस सदन में भी और सेन्टर में भी। सेन्ट्रल का जिक्र आया इसलिये कोट किया है।

श्री मुरलीधर व्यास : अध्यक्ष महोदय··· ························

श्री अध्यक्ष : अब तो व्यवस्था का प्रश्न है, बहस तो काफी हो चुकी है।

माननीय सदस्य श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने एक आपत्ति उठाई है कि राजस्थान होम गार्ड विधेयक, १९६२ पर विचार नहीं किया जाय; जब तक कि फाइनेन्शियल मेमोरेन्डम, जो विधेयक के साथ आया है उसको ठीक तौर से सदन के समक्ष पेश नहीं करे।

वस्तुस्थिति यह है कि इस विधेयक को पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया था और विधेयक पुरःस्थापित हो गया था, उसके बाद माननीय सदस्य ने आपत्ति उठाई। सही मायने में ज्यादा उचित यह होता कि आपत्ति उस समय उठाते जब कि विधेयक विचारार्थ प्रस्तुत हो; लेकिन क्योंकि आपत्ति उठी है इसलिये उचित होगा कि उसका निराकरण किया जाय और मेरी ऐसी मान्यता है कि विधेयक को विचारार्थ लें उस समय या उससे पहले इस आपत्ति के बारे में व्यवस्था दी जाय और वह व्यवस्था में, सारे माननीय सदस्यों ने जो बातें कही हैं, उनके विचारों को ध्यान में रखता हुआ, सोच-विचार करके दूंगा। जब तक इस पर निर्णय नहीं दिया जाता तब तक इसको विचारार्थ लिए जाने का जो ऑर्डर पेपर पर लिखा है वह स्थगित रहेगा। I reserve my ruling. यह आज नहीं लिया जायगा।

विधायिनी शक्ति प्रत्यायोजित करने वाले विधेयकों के व्याख्यात्मक ज्ञापन सम्बन्धी वाद-विवाद

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : On a point of order, Sir. अध्यक्ष महोदय, मैं रूल्स ऑफ प्रोसीजर एण्ड कंडक्ट ऑफ बिजनेस के रूल ६२ की तरफ सदन का और अध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं:-

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

" According to Rule 62 a Bill involving proposals for the delegation of legislative power shall further be accompanied by a memorandum explaining such proposals and drawing attention to their scope and stating also whether they are of normal or exceptional character."

अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक पर जो, मेमोरेन्डम रिगार्डिंग डेलिगेटेड लेजिस्लेशन दिया है; वह Clause of the bill provides for the making of rules by the State Government for carrying out the purposes of this Act. The rules, when made, shall be laid before the State Legislature.

मेरा अध्यक्ष महोदय, यह कहना है कि यह डेलिगेटेड लेजिस्लेशन के संबंध में जिस प्रकार का मेमोरेन्डम रूल ६२ एनविसेज करता है उस किस्म का मेमोरेन्डम नहीं है। मसलन इस विधेयक में यह कहा गया है कि "कोलाहल" रात्रि में "कोलाहल" किसको कहा जायगा ? इस सम्बन्ध में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एम्पॉवर किया गया है और इसके साथ "It shall be in such manner as may be prescribed and in such other manner as he thinks fit." दूसरे कितनी दूरी पर किस इन्सटान्स (instance) से इस पर रोक लगाई जा सकती है; that is also to be prescribed. फिर किस ऑथोरिटी द्वारा परमिशन दी जा सकती है that is also to be prescribed. फिर इस तरीके से विभिन्न क्लॉजेज में विभिन्न बातें हैं, जिनके संबंध में, रूल्स में, बातें प्रेस्क्राइब की जा सकती हैं। तो जो मेमोरेन्डम डेलिगेशन के संबंध में होना चाहिये वे पर्टीकुलर बातें बिल में ध्यान आकर्षित करते हुए बतानी चाहिये। यह इस प्रकार का जो वाइड, स्वीपिंग मेमोरेन्डम दिया है व हरेक लेजिस्लेशन के साथ इस तरह का मेमोरेन्डम दिया जा सकता है, जिसका पता नहीं लग सकता कि किन किन बातों के साथ पर्टीकुलर रूल्स बनाने के पॉवर्स दें। इसलिये कोई मेमोरेन्डम डेलिगेटेड लेजिस्लेशन का इन धाराओं के प्रति बनाने के लिये गवर्नमेन्ट को एम्पॉवर किया गया है उनकी ओर अलग अलग ध्यान दिलवाया जाना चाहिये। इस तरह का स्वीपिंग मेमोरेन्डम नहीं हो और इस प्रकार की परम्परा पड़ गई है और अभी गृह मंत्रीजी पुरानी परम्पराओं की मिसाल दे रहे थे, इस तरह की पहले हो चुकी है इस तरह से डेलिगेटेड पॉवर्स देने लगे तो नसीराबाद से आनेवाले माननीय सदस्य के मुताबिक धारा ६१ को ही नहीं; बल्कि धारा ६२ को भी रखने की भी खास जरूरत नहीं है, क्योंकि यह तो एक रस्म की सी बात करनी हुई। इससे दोनों मामले हो जायेंगे। जैसा कि इसमें दिया है फाइनेन्शियल और डेलीगेशन ऑफ पॉवर का रख दिया और हरेक पर लगा दिया तो डिफिकल्टी हो जायगी। मेरे ख्याल से this is not in accordance with rule 62 and therefore, this Bill should not be allowed to be introduced till a proper memorandum is presented.

श्री मथुरादास माथुर (गृह मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष, जहां तक डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के मेमोरेण्डम का सम्बन्ध है मेरा इतना ही निवेदन है कि जो रूल ६२ एक्सपेक्ट करता है वे बातें पूरी इसमें कही गई हैं। कोई स्पेशल डेलीगेटेड पॉवर्स गवर्नमेंट नहीं लेना चाहती, बल्कि नॉर्मल कैरेक्टर और नॉर्मल तरीके से जो आज तक इस तरह के बिल्स में ली गई हैं और इस तरह के बिल दूसरे स्टेट्स में हुए हैं और उनमें जो पॉवर्स ली गई हैं उसी तरह से इस बिल में ली हैं। यह बड़ा मुश्किल है कि हर एक क्लॉज़ में पॉवर डेलीगेट करने की बात हो वह मेमोरेन्डम रिगार्डिंग डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में हो, क्योंकि बॉडी ऑफ दी बिल में यह बात आ जाती है कि इस काम के लिए गवर्नमेंट रूल्स बना देगी या इस बात को गवर्नमेंट डिटर्मिन कर देगी। तो क्लॉज़ ११ जनरल सेक्शन है जो गवर्नमेंट को पॉवर डेलीगेट करता है। इसके अलावा जिन जिन सेक्शन्स में उसका जिक्र है उससे यह बात साफ जाहिर हो जाती है कि इस बॉडी ऑफ बिल में यह बात आ गई है कि इस जगह गवर्नमेंट या मजिस्ट्रेट रूल्स बना देंगे। जब हर सेक्शन के साथ यह कह दिया तो वापिस एण्ड के अन्दर मेमोरेन्डम में रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं समझता। मेमोरेन्डम में यह बात कही गई है कि क्लॉज़ ११ के अन्दर गवर्नमेन्ट ने जो अधिकार लिये हैं और जो डेलिगेशन में चीजें हैं वे नॉर्मल हैं, कोई एब्नॉर्मल डेलिगेशन मांगते तो बराबर मेमोरेन्डम में उसका जिक्र होता। वर्ना माननीय सदस्य, जो अलवर से आये हैं, ने जो बातें कही हैं, वे सब सेक्शन्स में, बिल में और मैन बॉडी के क्लॉज़ेज़ के अन्दर जगह जगह पर ऐसा दे दिया है कि यहां पर गवर्नमेंट रूल्स बना देगी, कानून बना देगी। इसलिए मैं मेमोरेन्डम में शामिल करना जरूरी नहीं समझता। वे बिल को या बॉडी ऑफ बिल को पढ़ जायेंगे तो यह साफ हो जायगा कि किस किस सेक्शन में क्या क्या पॉवर चाहते हैं। उसके बाद जो मेमोरेन्डम है, इससे साफ कर देते हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि रूल ६२ ऑफ दी रूल्स ऑफ़ प्रोसीजर में जितनी एक्सपेक्टेशन्स हैं, वे फुलफिल कर दी गई हैं। इसलिए यह बिल बिल्कुल ऑर्डर में है और इसको पुरःस्थापित करने की इजाजत देनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने आपत्ति की है कि रूल ६२ के अन्तर्गत जिस तरह का एक मेमोरेन्डम होना चाहिए वह राजस्थान नोइज़ेज़ एण्ड म्यूज़िक कंट्रोल बिल, १९६२ के साथ नहीं है। इस विधेयक के मेमोरेन्डम में केवल क्लॉज ११ का उल्लेख किया गया है। लेकिन और भी क्लॉज़ेज़ ऐसे हैं जिनके अन्तर्गत सरकार को या अन्य अधिकारियों को रूल्स प्रेस्क्राइब करने का अधिकार दिया गया है। परन्तु जो क्लॉज़ ११ है, उसमें इन सारे रूल्स का उल्लेख है और जो भी रूल्स इसके मातहत बनेंगे, उनका उल्लेख धारा ११ में किया जा चुका है। उचित तो यह होता कि सारी धाराओं का उल्लेख मेमोरेन्डम ऑफ़ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में किया जाता; लेकिन क्योंकि धारा ११ में इन सबका समावेश हो जाता है इस लिए जो आपत्ति माननीय सदस्य ने उठाई है मैं उसे इतनी गंभीर नहीं मानता कि सदन की जो निश्चित कार्यवाही इस विधेयक के लिए है उसे रोक कर इस पर पुनः विचार किया जाय।

(श्री अध्यक्ष)

जहां तक इस मेमोरेन्डम और फाइनेन्शियल मेमोरेन्डम का प्रश्न है, ये दोनों भिन्न भिन्न प्रकार के हैं और क्लॉज ११ में, जैसा मैंने पहले बताया, उन सारे अधिकार, जो किसी दूसरी धारा में दिये गये हैं का समावेश हो जाता है, इसलिए आपत्ति अस्वीकार की जाती है और विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाती है।

(२.०२ म. प.)

राजस्थान कोलाहल तथा संगीत नियन्त्रण विधेयक, १९६२
(पुरःस्थापन)

श्री मथुरादास माथुर (गृह मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान नोइजेज़ एण्ड म्यूज़िक कंट्रोल बिल, १९६२ को पुरः स्थापित करता हूं।

राजस्थान पशु-चिकित्सक विधेयक, १९६२
(पुरः स्थापन)

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान वेटेरीनरी प्रेक्टीशनर्स बिल, १९६२ को पुरः स्थापित करता हूं।

राजस्थान कोलाहल तथा संगीत नियंत्रण विधेयक, १९६२
(प्रवर समिति को)

श्री अध्यक्ष : राजस्थान नोइजेज़ एण्ड म्यूज़िक कन्ट्रोल बिल, १९६२।

श्री मथुरादास माथुर : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नोइजेज़ एण्ड म्यूज़िक कंट्रोल बिल, १९६२ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : The amendments have not been circulated, Sir.

श्री कुमारानन्द (ब्यावर) : The amendments have not been circulated.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान कोलाहल तथा संगीत नियंत्रण विधेयक, १९६२ सदन में विचारार्थ प्रस्तुत हुआ है। मैंने इस विधेयक के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि इस विधेयक को जनमत जानने हेतु प्रसारित किया जाय।

अध्यक्ष महोदय, संगीत जीवन का एक बहुत आवश्यक अंग है और मैं समझता हूं, जिस देश और समाज में संगीत नहीं होता, संगीत की मान्यताएँ नहीं होतीं, वह देश और समाज भौतिक दृष्टि से कितना ही सुखी और समृद्ध हो, वह वास्तविक रूप से सुख और शांति प्राप्त नहीं कर सकता। यही बात व्यक्ति के जीवन के सम्बन्ध में है। यह बात हो सकती है कि माननीय गृह मन्त्रीजी, जिन्होंने इस विधेयक को प्रस्तुत किया है, शायद जैसा कि इसके उद्देश्य और कारणों में लिखा है कि इस विधेयक को यहां प्रस्तुत करने की नोबत क्यों आई ; उन्होंने संकेत इस बात का किया है, अध्यक्ष महोदय, राज्य के शहरों और बड़े कसबों में, विशेषरूप से रात के समय, लाउड-स्पीकरों और ध्वनि-विस्तारकों का प्रयोग, गाना और अनावश्यक कोलाहल जनता के लिये अनुत्रास का कारण बन रहे हैं ; ऐसे अनुत्रास को कम करने के लिये

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

जनहित में यह आवश्यक है कि उसको नियंत्रित किया जाय । अध्यक्ष महोदय, सम्भवतः इसीलिए इस विधेयक का नाम कोलाहल और संगीत नियंत्रण विधेयक रखा है । जहां कोलाहल नियंत्रण का सवाल है, वे इसमें और सख्त शब्द रख सकते थे – 'हल्ला गुल्ला' । वे इसकी जगह और सख्त शब्द रखते – 'शोर-ओ-गुल' । वे और सख्त शब्द रखते – 'हंगामा' और उसको नियंत्रण करने की कोई बात होती तो बात समझ में आ सकती थी , अध्यक्ष महोदय, उसके साथ 'संगीत' शब्द को जोड़ा है और उसे इसके साथ जोड़ कर जिस प्रकार की व्याख्या इस कानून में की है, उन सारे प्रावधानों को माननीय सदस्य गहराई के साथ सोचेंगे तो और उन पर विचार करेंगे तो इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि इस कानून को पास करने के बाद कहीं ऐसा न हो कि लाउड स्पीकरों और ध्वनि–विस्तारकों का कंट्रोल हो जायगा और उससे विद्यार्थियों को सुविधा मिल जायगी, अस्पताल के मरीजों को असुविधा नहीं होगी और इसलिए उसे बहुत आसानी और सरलता के साथ पास कर दें । लेकिन इसके परिणाम बहुत भयंकर होने वाले हैं ।

इस विधेयक को बहुत गहराई के साथ अध्ययन किया जाय और इसको पढ़ा जाय, तो अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस कानूनके कुछ क्लॉजेज ऐसे हैं जिनके बारे में बड़ी भारी और भयंकर आपत्ति हो सकती है । आखिर आज सारे राजस्थान और सम्पूर्ण हिन्दुस्तान में एक व्यवस्था है । हम लोकतंत्र की विचारधारा रखते हैं । अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र में विश्वास रखने का मतलब यह है कि देश के अन्दर विभिन्न राजनैतिक पार्टियां हो सकती हैं, विभिन्न राजनैतिक विचारधारा रखने वाले दल हो सकते हैं, जो हिन्दुस्तान की जनता के सामने अपने विचार रख कर और उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर आज जन-जागरण और राजनैतिक चेतना पैदा करने का प्रयत्न करते हैं और राजनैतिक दलों के सामने यह मुख्य सवाल है, इसके लिए मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान में ही नहीं, वरन् हिन्दुस्तान के बाहर के देशों में पोलिटिकल पार्टीज के द्वारा जनता के सामने, जनता के पास विचार पहुंचाने के माध्यम होते हैं, उनकी तुलना में हमारा हिन्दुस्तान गरीब देश होने के कारण यहां टेलीविज़न की व्यवस्था नहीं है; जैसे अमेरिका के प्रेसीडेन्ट कैनेडी जब चुनाव टूर करने जाते हैं तो उनके टूर के भाषण और उनके कार्य-क्रम को टेलीविज़न पर वहां के इलेक्टोरेट्स घर में बैठे बैठे देख सकते हैं और उनके विचारों को सुन सकते हैं । लेकिन हिन्दुस्तान एक गरीब देश है, यहां की जनता की हालत ऐसी है कि हरएक के घर में रेडियो नहीं है, हरएक गांव में रेडियो नहीं है, यहां तक कि रेडियो की पंचायत केन्द्र में भी व्यवस्था नहीं हो पाई है । इसलिए मैं समझता हूं कि यहां टेलीविज़न की बात करने का तो सवाल पैदा नहीं होता, यहां पर अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम रखना है, लोकतंत्र की जड़ मजबूत रखनी है, हिन्दुस्तान में राजनैतिक जागृति करनी है, जनता को शिक्षित और दीक्षित करना है तो यह आवश्यक है कि राजनैतिक दल काम कर रहे हैं उनको यह छूट होनी चाहिए कि वे जनता में जायं और अपनी बातों का प्रचार करें ।

Page No.64

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

अध्यक्ष महोदय, विचारों को व्यक्त करने के लिये यह आवश्यक है कि जो जनता भारी मात्रा में इकट्ठी हो उसके लिये यह आवश्यक है कि कोई न कोई ऐसा यन्त्र होना चाहिये जिससे अपने विचार जनता तक पहुंचाये जा सकें। मैं समझता हूं अपने विचारों को प्रकट करने का संविधान ने लोगों को अधिकार दिया है। लेकिन इसमें इस प्रकार की व्यवस्था की है कि क्लॉज ४ में जो इन्होंने लिखा है उसको पढ़कर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ है :

> "(1) No person shall use or play a loud-speaker or a sound amplifier for broadcasting any speech, sermon, music or radio programme or shall attach the same to any wireless receiving set or gramophone—
>
> (a) within such distance as may be prescribed."

और फिर इन्होंने बहुत सारी शर्तें दी हैं। १० बजे से ६ बजे के बीच में यह सारी व्यवस्था की है। माननीय मंत्री महोदय कह सकते हैं कि १० बजे से ६ बजे तक के लिये यह व्यवस्था है। हमने जगह निर्धारित की है कि उन उन जगहों पर लाउड स्पीकर आदि नहीं बजने चाहिये। जगह निर्धारित की है, किसी सरकारी दफ्तर के पास, स्कूल के पास, रिकोग्नाइज्ड इन्स्टीट्यूशन्स के पास, हॉस्पिटल्स के पास, इतना बड़ा भारी दायरा लेने की कोशिश की है कि मैं समझता हूं कि शायद ही कोई ऐसा स्थान हो जहां इनमें से कोई न कोई स्थान नज़दीक नहीं हो। गांवों में डिस्पेन्सरीज़, प्राइमरी हैल्थ सेन्टर, गवर्नमेन्ट की संस्थाओं के दफ्तर, मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं के अलावा ऐसी अनेक संस्थाएं हैं जिनके पास इसका नियंत्रण किया गया तो मैं यह कहूंगा कि राज्य सरकार अगर चाहेगी कि इस पार्टी के लोगों की मीटिंग नहीं होनी चाहिये तो वह नहीं हो सकेगी। आपने अधिकार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दिये हैं कि वह आगाह कर सकता है कि आज के दिन सभा नहीं हो सकती। इस कानून में कोई ऐसी बात नहीं है जिससे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पाबन्द हो। यह तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के डिस्क्रिशन पर छोड़ दिया गया है, जिस समय जिस परिस्थितियों में वह चाहे आज्ञा जारी कर सकता है। वह काम करने वाले लोगों को बाध्य कर सकता है, हुक्म इम्तनाई जारी कर सकता है कि तुम सभा नहीं कर सकते। अध्यक्ष महोदय, हम जानते हैं और हमको अनुभव है और अधिकांश माननीय सदस्यों को भी यह अनुभव होगा कि इस प्रकार के नियंत्रण से लाउड स्पीकरों के दुरुपयोग पर पूरी पाबन्दी लगेगी। मैं यह कहूंगा कि जब मीटिंग होती है तो जनता के ५० हजार आदमी उस मीटिंग में रात को १२ बजे तक स्पीच सुनते रहते हैं। उन पर नियंत्रण करने की आवश्यकता नहीं है। नियंत्रण लगाने की आवश्यकता इस प्रकार के लाउड स्पीकरों पर है जो दिन भर लाउड स्पीकरों में बोलते रहते हैं- 'मैं चुप रहूंगी'। कोई प्रचार करते हैं 'अनपढ़'। कोई 'संटरवाली' और कोई 'हन्टरवाली' का प्रचार करते रहते हैं। रात दिन मोटरें गलियों और बाजारों में फिरती हैं और चार रुपये म्यूनिसिपैलिटी को टैक्स के नहीं देते। बिना इजाजत के हर गली, हर मोहल्ले और बाजार

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

में लाउड स्पीकर से चिल्लाते रहते हैं, उन पर नियंत्रण लगाने की आवश्यकता हो सकती है। उनके खिलाफ पब्लिक आवाज उठाती है लेकिन आज प्रजातन्त्र के युग में जनता के विचारों को राजनैतिक दलों द्वारा बदला जाता है, उन पर प्रतिबन्ध लगाना है। दूसरे राजनैतिक दल अपने विचार जनता में व्यक्त करते हैं उन पर प्रतिबन्ध लगाना है। मैं मानता हूं कि इसके पीछे दूसरी प्रवृत्ति काम कर रही है। अध्यक्ष महोदय, जयपुर और जयपुर के दूसरे जिलों में कांग्रेस की तीन सभाएं होती हैं। एक १५ अगस्त को और दूसरी २६ जनवरी को और तीसरी एक और सभा होती है। उनकी तीन सभाओं से ज्यादा सभाएं नहीं होतीं। मगर आज राजस्थान में कांग्रेस के खिलाफ काफी दल सक्रिय हो रहे हैं। आज राजस्थान की जनता में जागृति पैदा होती जा रही है। सभी दलों के विचार जानने के लिये जनता हजारों की संख्या में इकट्ठी होती है। इसके कारण शायद उनके मन में भाव आया हो कि कॉन्स्टीट्यूशन के द्वारा तो सभाओं को रोक नहीं सकते, विचार व्यक्त करने से रोक नहीं सकते; इसलिये यह करना चाहिये कि लाउड स्पीकरों पर नियंत्रण करने के नाम पर कि जनता हल्ला-गुल्ला करने से परेशान होती है, इस प्रकार का प्रावधान किया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि अगर इस प्रकार की व्यवस्था स्वीकार की तो राजस्थान की पब्लिक इसको मानने के लिये तैयार नहीं है; क्योंकि हमें लोकतन्त्र की जड़ों को मजबूत बनाना चाहिये और इसके लिये राजनैतिक दलों के विचारों से जनता को अवगत कराया जाना आवश्यक समझता हूं। मैं समझता हूं कि राजस्थान के नागरिक और सदन में बैठे हुए प्रतिनिधि कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, जब मीटिंगें होती हैं तो सभी बातें पब्लिक के सामने रखी जाती हैं और पब्लिक उन बातों को सुनती है। मुझे स्वयं अनुभव है कि जनता, मीटिंग में से १२ बज जाती हैं और दूसरी तारीख लग जाती है, फिर भी उठती नहीं, क्योंकि राज्य में होने वाली खराबियों की सारी बातों से उनको अवगत कराया जाता है। सुप्रीम ऑथोरिटी अन्ततोगत्वा जनता ही है और वह प्रसन्नता से और रुचि के साथ भाषण सुनती रहती है, साथ मीटिंगों में भाग लेती है। हो सकता है कि माननीय मंत्री महोदय की मीटिंगों में कम लोग भाग लेते होंगे। वे यह समझते हैं कि मीटिंगें नहीं होनी चाहियें, हुकूमत चलनी चाहिये। मेरे ख्याल से अध्यक्ष महोदय, जिनकी मीटिंग में ज्यादा संख्या में लोग नहीं आते वे इससे नाराज हो जाते हैं और अपने विचार देने नहीं चाहते। लेकिन जो लोग पब्लिक तक अपने विचारों को सभा करके पहुंचाना चाहते हैं और राजनैतिक विचारों को ले जाना चाहते हैं, मैं समझता हूं कि वे लोग मेरे विचार से सहमत होंगे। और सरकार का जो इस प्रकार का इस पर प्रतिबन्ध लगाने का कुचक्र है, मैं समझता हूं कि किसी प्रकार हित कर नहीं होगा।

माननीय अध्यक्ष, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की पब्लिक अब जागरूक है। यदि इस प्रकार के विधेयक को जनमत जानने हेतु प्रसारित किया जावेगा तो आपको मालूम होगा कि क्या जनता

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

ग्राम सभाओं में परेशान होती है तो मैं जयपुर शहर और दूसरे जिलों का जिनका मुझे अनुभव है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वहां की जनता इस विधेयक का विरोध करेगी। आप तो १० बजे की बात कहते हैं, मैं कहूंगा कि सारी रात भी आम सभाएँ चलती रहें तो भी लोग परेशान नहीं होंगे। विरोधी पक्ष वालों की चलती रही है और कांग्रेस वालों की नहीं चलती। वे बड़े बड़े नेताओं को भी बुलाते हैं फिर भी नहीं चलती और नौ या सवा नौ बजे तक चलती हैं और उसके बाद नसीराबाद के सदस्य को लाते हैं। क्या करें? वे भी घंटे, आध घंटे चलाते हैं। उनके आगे कोई चारा नहीं। उनकी सभाएं १० बजे समाप्त हो जाती हैं और उनकी सभाओं में २०० आदमी भी इकट्ठे नहीं होते। बाहर के मिनिस्टरों को बुलाते हैं फिर भी लोग इकट्ठे नहीं होते, इसलिये मैं यह कहूंगा कि लाउड स्पीकर पर पाबन्दी लगाने से काम नहीं चलेगा। मुझे खुशी होती और यह अच्छा होता अगर आप इस बात की पाबन्दी लगाते कि किसी भी सिनेमा में काम करनेवाली एक्ट्रेस भाषण नहीं दे सकेगी। जयपुर में भूतपूर्व गृह मंत्री के समय में जयमाला भाषण दे गई। इस बात पर प्रतिबन्ध लगाइये। इसलिये मैंने जो संशोधन रखा है इस पर विचार करें और इसको पास करें, इससे पहले यह आवश्यक है कि जनता के न्युसेन्स को दूर करने के लिये और जनता को आराम देने के लिये, जनता की राय जान लेनी चाहिये कि जनता क्या चाहती है। इस कानून में यह भी लिखा है; 'नोइज़' की परिभाषा क्लॉज़ दो में की है, उसमें लिखा है :-

"'noise' means sound produced vocally or by musical instruments or otherwise."

और म्यूज़िकल इन्स्ट्रूमेन्ट्स की परिभाषा में दिया है--शहनाई, नफीरी, ताशे, ढोल डफ़ले, मंजीरे, तबले, गुल्फाम, हारमोनियम और ये म्यूज़िकल इन्स्ट्रूमेंन्ट्स हैं इन पर गायेंगे, बजायेंगे तो वह 'नोइज़' है। तो फिर राजस्थान ललित कला अकादमी, संगीत अकादमी की क्या आवश्यकता है, इनको बन्द कर दीजिये। किसी के घर पर शादी है और गृह मंत्रीजी को निमन्त्रण नहीं मिला तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को फ़ोन कर देंगे कि गाना बजाना बन्द कराओ। इन म्यूज़िकल इन्स्टूमेंन्ट्स से जनता परेशान नहीं, आप परेशान हैं। ढोलक, मजीरे बजाने से जनता क्या परेशान होगी? गरीब मजदूर के पास सिनेमा जाने को पैसा नहीं होता; रेडियो, टेलीविजन का तो सवाल ही नहीं होता। दिन भर की कड़ी मेहनत से थक कर रात को १०-१२ बजे के बाद में, काम से छुट्टी पाने के बाद में अपनी अपनी बस्ती के मंदिरों में भजन गाते हैं तो क्या उन्हें कहेंगे कि ढोलक, तम्बूरे नहीं बजा सकते? जगह २ भजन मंडलियां होती हैं, कीर्तन होते हैं तो बड़े बड़े बंगलों में रहने वाले लोगों ने ऐतराज किया कि उन्हें परेशानी होती है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑर्डर जायगा कि उन्हें बन्द करदो और उन्होंने बन्द न किया तो क्या हालत होगी? और खास तौर से बारात तो तभी चढ़कर जायगी जबकि बींद और बींद के बाप को हमारे गृह मंत्रीजी जेल पहुंचा देंगे।

(२.१६ म.प.)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

मैं उचित नहीं समझता, उपाध्यक्ष महोदय, कि इस प्रकार का नियन्त्रण हो। पर आप इस तरह नियन्त्रण करना चाहते हैं तो मुझे ऐसा लगता है उपाध्यक्ष महोदय, कि हमारे राज्य के भूतपूर्व मुख्य मंत्री थे उनके और गृह मंत्रीजी के बड़ा झगड़ा रहता है, उनको संगीत से प्रेम है, जनता में रुचि है, वे गाते और नाचते भी हैं। तो जो उनकी प्रवृत्ति है, स्वभाव है उससे उल्टा कानून बनाना चाहिये। इसलिये हो सकता है कि भूतपूर्व मुख्य मंत्रीजी नाच-गाने के प्रोग्राम में मशगूल हों, जैसी कि जनता से और संगीत से उन्हें रुचि है, गृह मंत्रीजी इस कानून के तहत फौरन ऑर्डर निकालेंगे, गाना बजाना बन्द करो और इस पर भी वे यदि बाज नहीं आयेंगे तो गृह मंत्रीजी उनको जेल के सींखचों में बन्द करेंगे।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना): इर्रिलेवेन्सी है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: इस विधेयक में जिस प्रकार की व्यवस्था की गई है उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप गृह मंत्री बने, पुलिस विभाग आपके पास आया, आपको नियन्त्रण करना था तो राजस्थान के बड़े बड़े शहरों से निकाले जाने के बाद सड़कों के आसपास जो आबाद हो गई हैं, ढूंढू से आगे वानर सींदरी में जो घुंघरुओं की आवाजें आती हैं उनको बन्द करते, बड़े बड़े नगरों के बाजारों में कोठों पर घुंघरुओं की आवाजें आती हैं उन पर नियन्त्रण करते। पर आपको उन पर नियन्त्रण करने की आवश्यकता नहीं है। नियन्त्रण कर रहे हैं सोफ्ट गाने पर भी। लोग दिन भर दफ्तरों में पिसें, डॉक्टरों को छः छः महीनों तक तनख्वाह नहीं मिलती उनको कहा जाये कि तुम रात को ११ बजे रेडियो मत खोलो, सोफ्ट म्यूजिक मत करो, क्योंकि पड़ोस की नींद हराम होती है। जो वास्तव में हल्ला-गुल्ला मचानेवाले हैं उन पर आप नियन्त्रण नहीं कर सकते। अगस्त और सितम्बर में कितना हल्ला-गुल्ला मचा? अब मिनिस्टरी गई, अब गवर्नमेंट गई, कितना नोइज, कोलाहल, हुल्लड-हंगामा राजस्थान में, हिन्दुस्तान भर में मचा उस पर कोई नियंत्रण नहीं। क्योंकि आप खुद वह हंगामा मचा रहे थे।

तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा, आपके जरिये सदन के उन माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा, जो राजस्थान की जनता में दिलचस्पी रखते हैं, मन्त्रि मंडल में भी ऐसे बहुत से माननीय सदस्य हैं जिनको संगीत से बड़ा प्रेम है, सौभाग्य से, हालांकि हमारे शिक्षा मंत्री तो संगीत से बड़े दूर हैं पर हमारे उप-शिक्षा मंत्री को संगीत से बड़ा प्रेम है..........

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा):

"साहित्य संगीत कला विहीनः
साक्षात् पशु पुच्छ विषाण हीनः"

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: देखिये, अभी कहा तो वह भी कुछ रागात्मक भाषा में कहा है; बोलते हैं तो रागात्मक भाषा में बोलते हैं, इनको संगीत पर नियन्त्रण कभी पसंद नहीं होगा। तो क्या गृह मंत्रीजी राजस्थान के लोगों को संगीत से दूर ले जाकर

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

भौतिकवादी बनाना चाहते हैं? बांसुरी मजीरे, ढोल, ढोलक, हारमोनियम, ग्रामोफोन, सितार, वीणा और पता नहीं क्या, क्या नहीं बजा सकते। दिलरुबा लिखा है, या क्या है यह सब आप नहीं बजा सकते ?

श्री उपाध्यक्ष : मेरे ख्याल से केवल रेडियो पर नहीं बजा सकते।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सब बजा सकते हैं। मेरे पास अमेरिका से मेरे एक मित्र का पत्र आया है। उसने पत्र के अन्त में लिखा है कि रात के साढ़े बारह बज चुके हैं और टेलीविजन पर रंग-बिरंगा कार्यक्रम आ रहा है, इसलिये मैं चिठ्ठी बन्द करता हूं। वहां साढ़े बारह बजे के बाद में संगीत सुनते हैं और हमारी सरकार यहां ११ बजे प्रतिबंध लगाती है! आप रिक्रियेशन के लिये कोई भी व्यवस्था नहीं करते और उस पर यह नियंत्रण करते हैं कि संगीत-वाद्य नहीं कर सकते, आनन्द नहीं कर सकते; यह कहां तक न्याय संगत है? मुझे तो पूरा विश्वास है कि यदि इसको जनमत के लिये प्रसारित किया गया तो इसका राजस्थान के कोने कोने से घोर विरोध होगा। उप-शिक्षा मंत्री संगीत में रुचि रखते हैं, ऑल इण्डिया रेडियो भारत सरकार का है, वह इसका विरोध करेगा, सेन्ट्रल गवर्नमेंट को मालूम हो जाय तो इसका हिन्दुस्तान के कोने कोने से विरोध होगा। इस कानून में जिस प्रकार की व्यवस्था की गई है, म्यूनिसिपैलिटीज़ के बाइलॉज में सारी व्यवस्थाएं मौजूद हैं। राजस्थान की नगरपालिकाएं जितनी हैं उनके द्वारा इन चीजों को आप रेगुलेट करा सकते हैं। या तो यह हो सकता है कि स्वायत्त शासन विभाग जिनके हाथ में है वे आपको कोऑपरेट नहीं करते हैं, अब तो गुट की बातों को छोड़िये, मन्त्रि-मंडल के आधार पर विचार कीजिये। राजस्थान की नगरपालिकाओं के कानून के जरिये आप इस प्रकार की व्यवस्था करा सकते हैं।

वैसे मैं इस विधेयक को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजना चाहता था पर मैंने देखा कि यह विधेयक तो जनता की भावना के बिलकुल विपरीत है इसलिये मैंने यह निर्णय किया कि इस विधेयक को विचारार्थ लिये जाने से पहले इसे जनमत के लिये प्रसारित किया जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना प्रस्ताव सदन के सामने रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नत्थीसिंह।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे संविधान में कुछ व्यवस्थाएँ की गई हैं। हमें संविधान के अन्तर्गत कुछ मूलभूत अधिकार दिये गये हैं- राजनैतिक अधिकार, धार्मिक भावनाएँ और हमारी सांस्कृतिक परम्पराओं को सुचारु रूप से निबाहने के सम्बन्ध में। इस बिल को जब हम ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं तो हम यह पाते हैं कि इस बिल को बनाने वालों ने हमारी मूलभूत भावनाओं को नजर-अन्दाज कर दिया है। इसलिए मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किया है कि इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करके अपनी रिपोर्ट इस सदन के समक्ष प्रस्तुत करे।

यदि हम हिन्दुस्तान और राजस्थान में देखें तो हम यह पायेंगे कि हमारे यहां धार्मिक

(श्री नत्थीसिंह)

त्योहार आते हैं, रुझान है, ऐसे पर्व होते हैं जिनमें हम यह उचित समझते हैं कि यदि हम अखंड प्रार्थना करेंगे; कीर्त्तन करेंगे, तो न सिर्फ़ इस लोक में ही; किन्तु परलोक में भी यश कमाने का हमको पुण्य मिलेगा। यही नहीं; जब कृष्ण भगवान् का जन्म-दिन इस देश में आता है तब उनके उस पुण्यशाली जन्म-दिन के अवसर पर रात्रि के १२ बजे, जब कि उस समय उनका जन्म माना गया है, उस समय मंदिर में जाकर कीर्त्तन और भजन और आराधन करना हम चाहते हैं। लेकिन इस बिल में इस ओर कोई ध्यान नहीं रखा गया है; ऐसे पुण्य पर्वों पर भी कन्ट्रोल रख दिया गया है। इसमें यह व्यक्त किया गया है कि इस प्रकार पुण्यशाली पर्वों पर भी हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जायं और प्रार्थना करें कि हमें अपने धार्मिक पर्व को मनाना है तो उसके लिए यदि वह उचित समझे तो हमको इसकी आज्ञा दे और उचित न समझे तो आज्ञा न दे। हम नहीं समझे कि गृह मंत्रीजी किस प्रकार भूल गये कि जब वे इस बिल को इन्ट्रोड्यूस करने का विचार कर रहे थे तो विजयादशमी का पर्व मनाया जा रहा था, भगवान् रामचन्द्र का पुण्य पर्व मनाया जा रहा था; क्या वे यह चाहते हैं कि इस प्रकार हमारे पुण्य पर्वों को मनाने में, पर्वों की आराधना के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने जाकर नतमस्तक हों और उनसे प्रार्थना करें कि वे हमको धार्मिक पर्व मनाने के लिए इजाजत दें, प्रकाशन करने की इजाजत दें? इस प्रकार आप हमारी धार्मिक भावना को कुंठित करना चाहते हैं। उस पर कुण्ठा लगा देना चाहते हैं। भारतीय संस्कृति का या तो आपको ज्ञान नहीं है या आप गृह मंत्री की गद्दी पर बैठकर धार्मिक भावनाओं और परम्पराओं और पर्वों को भूल गये हैं। यही नहीं; जब देश में पुण्य पर्वों को मनाने के और अन्य उत्सव और त्योहार आते हैं तो क्या वे चाहते हैं कि जब शादी हो, बारात जा रही हो तो संगीत के लिए, बाजे बजाने के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के दर पर ठोकरें खाते फिरें? यह एक बुरी बात है। हां; आप यह व्यवस्था कर सकते थे कि किसी प्रकार के कोलाहल के कारण जनता को न्यूसैन्स हो, लेकिन जनता राम और कृष्ण की लीलाओं को, उनके पुण्य पर्वों को कोलाहल नहीं मानती; बल्कि अपना एक धार्मिक कृत्य मानती है और उसके लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाय तो इस प्रकार का कानून ही एक न्यूसैन्स है, उन कृत्यों को रोकने वाली धारायें न्यूसैन्स हैं, न कि कृत्य न्यूसैन्स हैं। यदि सिनेमाओं और कोलाहल के विज्ञापनों के ऊपर आप कन्ट्रोल करते और इसमें उसके लिए कोई केटेगरी देते तो मैं समझता कि इस हाउस में इस बिल का आदर होता। लेकिन यदि इस प्रकार का एक स्वीपिंग बिल बना दें जिससे धार्मिक भावनाओं पर कुठाराघात हो और जैसा कि कुठाराघात किया गया है वह उचित नहीं है। जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने बताया कि हमारे राजनैतिक अधिकार संविधान के अन्दर दिये गये हैं उनको भी धीरे २ कन्ट्रोल करने की स्थिति में आप जा रहे हैं। आज अगर हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए और सरकार द्वारा किये जा रहे गलत कामों का पर्दाफाश करने लिए गांवों में जा सकते हैं, लाउड स्पीकर के द्वारा उनको हम लोगों को बता सकते हैं, आप चाहें कि

(श्री नत्थीसिंह)

दस बजे सभाओं को बन्द करें, जब कि श्रोताओं को दस बजे बाद ही कहीं सभाओं में जाकर आनन्द आने लगता है, सभाओं में रंग जमता है, उस पर कहें कि उनको बन्द कर दीजिये और उसके साथ २ जो घोषित नीति है उस ओर इशारा करना चाहते हैं, होम मिनिस्टर और गवर्नमेंट का इरादा न हो तो इसमें कहा जाता कि जिस तरह से पार्टीज़ को चुनावों के लिए सिम्बल अलॉट होते हैं, उसके बाद उनका यह अधिकार माना गया है कि वे प्रचार कर सकते हैं, सभाओं के ऊपर चुनाव तिथि के २४ घण्टे पहले रोक लगाई जाती है और जो अधिकार संविधान के अन्तर्गत दिये गये हैं, इस बिल में उनका समावेश करते हुए ऐसा कोई क्लॉज होता कि इन पर यह पाबन्दी नहीं होगी तो यह स्पष्ट होता कि नीयत सरकार की साफ है। लेकिन इस प्रकार के क्लॉज़ के इस बिल में न होने से यह स्पष्ट है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के जरिये विरोधी पार्टियों के प्रोपेगेन्डों को, प्रदर्शनों को, सत्याग्रहों को कुण्ठित करना चाहते हैं और इसीलिए इस बिल में अधिकार अपने लिए और सरकार के लिए रखे हैं।

इसके अलावा मैं देखता हूं कि जितने भी प्रावधान इस बिल में किये गये हैं वे हमारी धार्मिक भावनाओं पर कुठाराघात करने वाले हैं। पग पग पर जो लोकतान्त्रिक काम करना चाहते हैं उन पर यह आघात करता है। राजनैतिकतौर पर इस देश में प्रजातान्त्रिक भावनाओं को ठीक तरह से प्रचारित और प्रसारित कर सकें, उन पर भी यह बिल अंकुश लगाने वाला है। राजस्थान सरकार हमारी जनतान्त्रिक भावना को इस प्रकार से कुंठित करने के लिए कदम उठा रही है। इसलिए यह जो बिल सदन में रखा गया है उस पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिये और इसके लिए एकमात्र यही उपाय हो सकता है कि इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाय, जहां इस पर विचार किया जायगा। यदि उसको प्रवर समिति के समक्ष भेजने में राजस्थान सरकार आना-कानी करती है तो इसका मतलब स्पष्ट है छः महीने में विधान सभा चूंकि बुलानी है इसलिए सरकार इस प्रकार का बिल रख कर केवल एक वोट की मेजोरिटी पर पास कराना चाहती है। इस पर लॉ डिपार्टमेन्ट में गम्भीरतापूर्वक विचार भी किया है या नहीं? इस प्रकार के बिल के द्वारा हमारे मूलभूत अधिकारों को नहीं छीनना चाहिये। यह जबर्दस्त अन्याय है। इसलिए इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय और अगर जल्दबाजी में इस बिल को पास किया जाता है तो हमारी प्रजातान्त्रिक और धार्मिक भावनाओं पर एक कुठाराघात होगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मुकुटबिहारीलाल।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल जो सदन में विचारार्थ है वह अपनी तरह का एक बिल है। अच्छा तो यह होता कि गृह मंत्री महोदय इस बिल के बहस के दौरान में ही यह घोषणा कर देते कि इस बिल का उपयोग राजनैतिक विचारधाराओं के व्यक्त करते समय, या धार्मिक आयोजनों के सिलसिले मे नहीं किया जायगा और उसके साथ ही यह भी घोषणा कर देते कि धार्मिक प्रवृत्तियों के सम्बन्ध में धार्मिक आयोजनों

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

के सम्बन्ध में किये जाने वाले किसी भी आयोजन में इस एक्ट का प्रयोग नहीं किया जायगा तो जो बहुत बड़ी आशंका है वह समाप्त हो गई होती। परन्तु गृह मंत्री महोदय इस प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दे रहे हैं तो इस सम्बन्ध में हमारा सशंकित होना अवश्यंभावी है और आशंका इसलिये भी बढ़ जाती है कि इस एक्ट के अन्दर जिस प्रकार के प्रावधान हैं उनको देखते हुए विभिन्न क्लॉजों के आधार पर यह शंका और सुदृढ़ हो जाती है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूं, सबसे पहले इस एक्ट में संगीत को और कोलाहल को एक ही परिपाटी में रखने की कोशिश की है। वे यह नहीं समझपाते कि संगीत का मतलब संस्कृति से है, संगीत का मतलब जीवन से है; जहां संगीत प्रवाहित होता है। संगीत तीन धाराओं में जन-जीवन को झंकृत करता है। जीवन ही संगीत है और संगीत ही जीवन है। हमें इसको पनपने देना चाहिये। मैं निवेदन करूं कि मनुष्य जीवन में प्रेम और श्रृंगार की भावना जागृत करने के लिये संगीत का ही सहारा लिया जाता है। संगीत मनुष्य को जहां श्रृंगार की तरफ प्रेरित करता है वहां आध्यात्म की ओर प्रवृत करनेवाला भी संगीत ही है। ईश्वरीय आध्यात्मवाद की प्रेरणा भी संगीत से ही मिलती है। हमारे वेदों की ऋचायें, संस्कृत के श्लोक, डिंगल-पिंगल आदि के गद्य-पद्य, मिल्टन की सोनेट्स आदि भी संगीत ही है जिसके लिये मैं निहायत अदब के साथ निवेदन करूंगा, यह संगीत ही है जो मनुष्य-के लिये जीवन के दूसरे दायरे में आकर्षित करता है, वह है अध्यात्मवाद प्रणाली।

इसके अलावा यह संगीत जिसमें अध्यात्मवाद तत्वों का समावेश होता है वहां पर संगीत ही है जो कायर से कायर व्यक्ति को रणातुर कर देता है। लड़ाई में जब योद्धा उन्मत्त होते हैं उस समय उन लोगों में जोश भरने के लिये, जैसी कि हमारे राजस्थान के वीरों की प्रणाली रही है, संगीत उसका एक प्रमुख अंग है जिसमें वीर-रस का समावेश होता है, जिससे रणभेरी बजने से पहले ही लोगों में पौरुष की भावनाएं व्याप्त हो जाती हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा जहां तक संगीत का सम्बन्ध है कम से कम उसे कोलाहल की परिपाटी से तो अलग रखा जाय। इस एक्ट में मैंने देखा है संगीत का मतलब कोलाहल माना गया है और कोलाहल को ही संगीत माना गया है। इस प्रकार की चीजें बरदाश्त के काबिल नहीं हैं। मैं निवेदन करूंगा कि हमारी सरकार इस पर ठंडे दिल से विचार करें।

'जहां तक शिक्षा के माध्यम का सवाल है वहां संगीत का प्रयोग कर सकते हैं। संगीत जो है वह त्रिगुणात्मक धारा को प्रवाहित करनेवाली चीज है। इस एक्ट में हम देखते हैं कि राजस्थान में पुलिस-राज्य कायम करने की ओर कदम बढ़ाया गया है। इस एक्ट की धारा ५ के अन्दर यह व्यवस्था की गई है कि रात्रि के १२ बजे से रात्रि के तीन बजे तक इस प्रकार का संगीत नहीं हो सकता। वैसे मैं निवेदन करूं, जैसा कि इसका उद्देश्य सदन के सामने

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

रखा गया है, उद्देश्य में यह बात कही गई है कि राज्य के शहरों और बड़े कस्बों में, विशेष रूप से रात के समय, लाउड स्पीकरों और ध्वनि-विस्तारकों का प्रयोग, गाना और अनावश्यक कोलाहल जनता के लिये त्रास का कारण बन रहे हैं।

इस उद्देश्य में समय का जहाँ तक ताल्लुक है रात्रि के बारे में कहा गया है लेकिन जब हम इस एक्ट की बोडी को पढ़ें, इस पूरे एक्ट को पढ़ें तो बहुत स्पष्ट हो जाता है। इसमें रात और दिन का सवाल नहीं। मनचले हाकिमों की व्हिम का सवाल होगा। वे इस प्रकार के अधिकारों का प्रयोग किस प्रकार से करेंगे? इस एक्ट की तहत व्यवस्था की गई है १२ बजे से तीन बजे तक इसका प्रयोग नहीं किया जायगा। मनचले अफसर किसी घर में घुस कर किसी से छेड़खानी करना चाहेंगे इस हथियार के बल पर वे किसी के भी घर में घुस जायंगे और अपनी इच्छा को पूरी करेंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): यह सुविधा तो थानेदारों को दी गई है।

श्री मुकुटबिहारीलाल: इस तरह से पब्लिक पुलिस की नादिरशाही का शिकार हो जायेगी। इस बिल के क्लॉज़ ८ व ९ के अन्दर इस प्रकार के अपराध को कॉग्निज़ेबल ऑफेन्स माना गया है। इसका मतलब यह हुआ कि पुलिस के हाथ में बहुत बड़ा हथियार आ जावेगा। किसी भी व्यक्ति को वगैर वारन्ट के गिरफ्तार कर सकती है उसका कॉग्निजेन्स ले सकती है; इसके मायने यही हुए। पुलिस ऑफिसरों के मन में आयी इस घर में रंगरेलियां मनानी हैं कुंठित अभिलाषाओं का तुष्टिकरण करना है तो वह घर में घुस जायगा और कहेगा कि मुझे यहाँ पायल की मधुर झंकार आ रही है इसलिये मैं घर में घुस गया। आप प्रत्येक प्रकार के लाइट म्युज़िक को, चाहे वह प्राइवेट घरों में भी होते हों, इस एक्ट द्वारा उस पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। अपने प्राइवेट घरों के भीतर सेपरेट अपार्टमेन्ट के अन्दर कोई इस प्रकार की चीज होती है तो पुलिस के लिये खुला लाइसेन्स देते हैं अपनी कुंठित और भ्रष्ट मनोवृत्तियों की पूर्ति के लिये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह सकता हूं इस एक्ट का प्रयोग राजनैतिक विरोध को कुचलने के लिये किया जायगा, धार्मिक भावनाओं को कुचलने के लिए किया जायगा। यह एक्ट हमारे रीति-रिवाज, हमारी मर्यादाओं और विविध संस्कृतियों को कुचलने के लिये प्रयोग में आयगा; हमारी बहिन-बेटियों की इज्जत खराब करने के लिये काम में आयगा। इस प्रकार का यह एक्ट है।

इसके साथ ही मैं यह बात भी कह दूं कि रात्रि के ११ बजे से लेकर ४ बजे तक प्राइवेट स्थानों पर कोई म्युजिक नहीं हो सकेगा। जैसा कि इसकी धारा ५ के दूसरे क्लॉज में है: "अन्य प्रकार के सभी संगीत का सभी स्थानों, चाहे वे सार्वजनिक हों या निजी हों पर रात के ११ बजे और सुबह ४ बजे के बीच निषेध किया जाता है।"

इसके मायने यह हैं सिनेमा हॉल सभी बन्द कर दिये जाने चाहिये, जैसा कि सभी को विदित है सैकन्ड शो १ बजे तक खत्म

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

होता है। इस हिसाब से धारा ५ के (ख) के तहत चाहे वे प्राइवेट स्थान हों या सार्वजनिक स्थान हों किसी भी जगह पर म्युजिक का प्रयोग निषेध किया गया है। तो इससे सिनेमा बन्द कर दिये जाने चाहियें ग्रॉल इन्डिया रेडियो, सिलोन रेडियो बन्द कर दिये जाने चाहिये इसके मायन तो यही हुए ।

एक ग्रौर निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जो सन्देह हैं, हमारी जो आशंकायें हैं, उन ग्राशंकाग्रों का निवारण नहीं किया जाता है तो मैं समझूंगा कि ग्राप पुलिस को व्यापक ग्रधिकार दे रहे ह, उनके हाथ ग्रौर खोलना चाहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि जो भी शंका ग्रौर सन्देह हमें हैं उनका मन्त्री महोदय निवारण करेंगे। ग्राज हमारी शंका एक ही बात पर टिकी हुई है ।

एक ही बात पर टिकी होने के कारण ग्राज उसकी क्या स्थिति हो सकती है, इसकी तरफ निवेदन करूं। ग्राज हमारी संसदीय प्रणाली, जनतन्त्र संसदीय प्रणाली के स्थान पर संसदीय तानाशाही प्रणाली में परिवर्तित की जा रही है। अगर शासक दल का यही रुख रहा ग्रौर विरोधी पक्ष की ग्राशंकाग्रों को दृष्टि में रख कर उनका समाधान किये वगैर अगर उसकी भावनाग्रों ग्रौर आशंकाग्रों को रौंधते हुए चले गये ग्रौर अगर इसी तरह जो उनकी एरिस्ट्रोक्रेटिव भावना है, जो टोटेलिटेरियनिज्ज की भावना है, तानाशाही की भावना है, उसी के बल पर चलते रहे ग्रौर इसी जिद पर ग्रड़े रहे कि जो उन्होंने कह दिया वह पास ही करना हैं तो उसका साफ मतलब यही होगा कि राजस्थान की संसदीय प्रजातन्त्र प्रणाली पार्लियामेन्टरी डिक्टेटरशिप में टर्न हो जावेगी। मैं इसे नहीं चाहता कि ऐसा हो। आज की यह संसदीय प्रणाली किस तरह से काम करती है; कुछ लीडर होते हैं, कुछ ब्यूरोक्रेसी होती है। आज की लालफीताशाही सरकार की जो मशीनरी है वह जिस प्रकार का ड्राफ्ट किसी कानून का बना कर कानून की मशीन में उसे घुमा देती है ग्रौर उसीको ये मिनिस्टर हिज़ मास्टर्स वॉयस की तरह बोलने लगते हैं। तो ग्राज सही माने में हमारी डेमोक्रेसी को, इस पार्लिया-मेन्टरी डेमोक्रेसी को बचाना है ग्रौर उसे ब्यूरोक्रेसी ग्रौर पार्लियामेन्टरी डिक्टेटरशिप में नहीं बदलना है। तो मैं निवेदन करूंगा कि इस बिल की सारी धाराग्रों पर सही माने में बहस की जानी चाहिये ।

इसके लिये मेरा प्रस्ताव है उपाध्यक्ष महोदय, कि जैसे ग्रभी जौहरी बाजार से ग्राने वाले माननीय सदस्य ने प्रस्ताव रखा था कि इसको जन-साधारण की राय जानने के लिये प्रसारित कर दिया जावे, मैं उसका समर्थन करता हूं। इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करता हूं कि एक प्रस्ताव मैंने भेजा है, टेबल पर होगा, इसके लिए मैंने निवेदन किया है कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जावे। प्रवर समिति इस सम्बन्ध में गहनता से विचार करके ग्रगले सत्र में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे ताकि सदन के सभी लोगों को इस पर पूरा विचार करने का मौका मिले ग्रौर सही माने में जो हमारी ग्राशंकाएं हैं उनका पूरा समाधान हो सके। मैं इन शब्दों के साथ अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : स्वामी कुमारानन्द ।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस साइड से बहुत बोल चुके हैं ।

श्री कुमारानन्द (ब्यावर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने भी एक अमेन्डमेन्ट का नोटिस दिया था । उसमें हमने यह कहा था कि इसको पब्लिक ओपीनियन के लिये या सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जावे, क्योंकि यह जो बिल है नोइज़ेज बिल, हम देखते हैं कि हाउस में काफी नोइज़ पैदा कर रहा है और यह बिल, असेम्बली के ज्यादा ही मेम्बर यह मानते हैं कि ऐसा बिल पास नहीं होना चाहिये ।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हम एक पोलिटिकल वर्कर हैं । आपका यह बिल अगर पास हो जावे तो हमारे लिये पब्लिक मीटिंग करना भी मुश्किल हो जावेगा । आप कहेंगे, दस-ग्यारह बजे बाद मीटिंगें मत करो, तुम्हारी मीटिंगें हो नहीं सकती हैं । पुलिस के हाथों में आप इसके लिये पूरे पॉवर दे देंगे तो यह हमारे लिये तो बड़ा मुश्किल होगा मीटिंग करना और अपनी बात जनता से कहना ।

तो इसलिये इस बिल पर काफी बहस हो चुकी है और हो रही है । मैं नहीं जानता हूँ कि हमारी सर्व सम्मति से क्या राय है; पर यह तो कह सकता हूं कि इस सदन के अधिकांश सदस्यों की राय यह है कि इस प्रकार का बिल पास न हो । इसलिए मैं आपसे और सरकार से प्रार्थना करता हूं कि इस बिल को आप किसी सिलेक्ट कमेटी में भेज दें ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बृजसुन्दर ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (बूंदी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस बिल को देखा और मुझे ताज्जुब हुआ यह जान कर कि इस बिल में म्युज़िक और नोइज़ दोनों को एक समान रूप दे दिया गया है ।

हो सकता है कि जो लोग म्यूज़िक न समझते हों वे उसे नोइज़ ही समझें । पर अगर वह संगीत है तो संगीत आखिर संगीत ही है और इसमें कोई चाहे जितना जोर से गाये, अगर पंचम स्वर से भी गाता है तो दूसरे लोगों को ऐसा लगता है कि कोई हल्ला मचा रहा है या अगर वह कोई शुद्ध राग गाता है और जिसमें काफी आलाप रहता है तो उसको भी नहीं मालूम होता है कि इसमें कितनी मिठास होती है ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुरा) :

साहित्य संगीत कला विहीनः ।
साक्षात् पशु पुच्छ विषाण हीनः ।।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : तो उनको वह आलाप भी बुरा लग सकता है । पर जितना गला उस संगीतज्ञ का खुला होगा और वगैर लाउड स्पीकर के एक संगीतज्ञ गावेगा, तो रस आवेगा और आम लोगों में भी वही रस आता है ।

हो सकता है कि जहां अस्पताल हो, इम्तिहान देने वाले बालक हों, तो उनके पास में लाउड स्पीकर लगा कर बोलने में रोगियों को और विद्यार्थियों को कुछ थोड़ा सा बुरा लगे, न्यूसेन्स मालूम हो, पर मैं तो

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

यह मानता हूं कि उन क्षेत्रों के अलावा तो इससे साहित्यिक लोगों को लाभ ही होता है। और अगर वह सही माने में संगीत है तो उस संगीत के सुनने से बीमार को भी लाभ ही होगा। यही संगीत साइकोलोजिकली अगर बीमार को सुनाया जावे तो उसे भी आराम मिल सकता है। उसको इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा।

इसी तरह से वास्तव में संगीत प्रेमी है वे मधुर संगीत के स्वर अपने काम करने के साथ भी सुनना अच्छा समझते हैं। वे अपने काम के समय भी चाहे तो रेडियो चला देते हैं और अपनी पढ़ाई शुरू कर देते हैं। उनको पूछते हैं तो वे कहते हैं कि इससे हमारा तो कन्सेन्ट्रेशन बहुत अच्छा होता है। एक बार मेरी एक लड़की का इम्तिहान था। वह क्या करती कि रेडियो खोल देती और पढ़ा करती। मैंने पूछा इम्तिहान है, पढ़ रही हो और यह रेडियो क्यों खुला है ? तो उसने जवाब दिया कि कान में इसकी मधुर आवाज आ रही है, पर ध्यान किताब की तरफ़ है; इस मधुर ध्वनि से मैं ज्यादा अच्छी तरह से पढ़ सकती हूं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) : सिलोन का रेडियो होगा ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : सिलोन का रेडियो मेरे यहां कोई नहीं सुनता है। तो यह भी हो सकता है कि हमारे गृह मंत्रीजी को मेरे यहां जब कभी म्युजिक का प्रोग्राम होता है और काफी रात तक चलता है तो उससे प्रेरणा मिली हो क्योंकि पड़ोस में ही उनका मकान है और उस प्रोग्राम को चलते कभी रात के दो भी बज जाते हैं। तो हो सकता है जो संगीत प्रेमी न हों, उनको यह न्युसेन्स मालूम पड़ता हो। पर वास्तव में इस प्रकार की कोई रुकावट संगीत में डालना या उसके लिये इस तरह का कोई कानून बनाना आवश्यक भी है या नहीं, यह सोचने की बात है। इस माने में, हो सकता है कि जो शोरगुल के लिये ही आयोजन किया जाता हो, जैसे बहुत सी जगह पर शहरों में और गांवों में भी भद्दी सी ढालें वगैरह भांजें वगैरह होती हैं उनको रोकने के लिये जरूरी हो, पर इन्हें धार्मिक भी मान सकते हैं या ऐसी कई चीजें हो सकती हैं। पर आमतौर पर देखा है गांवों में भी कि रात रात भर इस तरह के प्रोग्राम चलते हैं। एक बार मैं जयपुर के ही किसी डिस्ट्रिक्ट के गांव में सो रहा था। रात भर वहां ऑपेरा चलता रहा और उसे हजारों आदमी देखने को आतुर थे और वे उस एन्टरटेनमेन्ट को बड़ा सराह रहे थे। तो इसी तरह के ढ़ासनें हैं जो ओपन थियेटर के रूप में सुबह तक चलते रहते हैं। गोपीचन्द भर्तृहरि का है कि वह रात भर चलता है, सुबह तक चलता रहता है। इसी तरह खेमरा के तमाशे हैं। पर ये सब एक अमुक सीज़न में चलते हैं और लोग इनमें दिलचस्पी लेते हैं।

जयपुर में ही देखिये; 'सी' स्कीम और अजमेर रोड के बीच में तमाशा होता है। आवाजें आती रहती हैं। पर उन लोगों के लिये जो उसे पसन्द करते हैं इस कानून से उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचेगी, अगर उस को बन्द कर दिया गया।

और जब आज खास नारा लगाते हैं कि हमें अपनी ट्रेडीशन मेन्टेन करना है; कल्चरल

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

ट्रेडीशन्स को मेन्टेन करना है तो इन चीजों को बन्द करते हैं तो इससे इसे हानि ही पहुंचती है और उन लोगों को भी ठेस पहुंचेगी जो इस ट्रेडीशन को चलाते आये हैं गाना बजाना करके और सारी चीजें [illegible] से करके।

इसी तरह से आपने यह इस बिल में माननीय उपाध्यक्ष, देखा ही होगा कि सोफ्ट म्यूजिक और म्यूजिक का दो शब्दों का प्रयोग हुआ है। After all music is music. इस सोफ्ट म्यूजिक और हार्ड म्यूजिक की परिभाषा समझ में नहीं आई। इसमें डेफिनिशन दी है:

"(iii) Musical instrument' includes :—

(a) a band, a bagpipe, a clarionet, a shahnai, a drum, a dhol, a daf, a dafra, a nakkara, a tasha, a couple of jhanj or bugles, a piano, a harmonium, a gramophone, a tabla, a dholak, a khanjari or a mridung, and"

मृदंग को भी अगर बजाना न्यूसेन्स है तो फिर तबला और सारंगी भी होंगे। पर ये कर्ण कटु तो नहीं हो सकते हैं, कानों को अच्छा लगनेवाला ही होगा।

(३.०० म. प.)

सोफ्ट म्यूजिक को डिफाइन किया है कि:–

"Soft music" means sound produced on or from any of the musical instruments mentioned in sub clause (b) of clause (iii)

और आगे जाकर आपने सोफ्ट म्यूजिक को बिल्कुल बन्द कर दिया और यहां तक कर दिया क्लॉज ५ (ख) में कि:–

"all other music is prohibited at all places, whether public or private, between the hours of 11 P.M. and 4 A.M."

तो श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यह निवेदन करना चाहूंगा कि इतनी जबरदस्त पाबन्दी की कोई अपने घर के ऊपर भी बैठ कर रात को ११ बजे बाद कुछ नहीं कर सकता, उचित नहीं है। हम तो अनुभव यह करते हैं कि असली म्यूजिक का आनन्द ही ११–१२ बजे बाद आता है जबकि रात्रि की निस्तब्धता होती है और जो संगीत की उपासना करते हैं एकाग्रचित्त होकर जो राग आपके सामने पेश करते हैं उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। उसको आप नोइज समझते हैं तो मैं नहीं समझता कि किस तरह से इस बिल का मैं समर्थन करूं क्योंकि मुझे संगीत से प्रेम है। वैसे भी राजस्थान सरकार ने मेरे संगीत प्रेम की सराहना करके मुझे राजस्थान संगीत कला अकादमी का प्रेसीडेन्ट बनाया है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस तरह का कानून तो अवश्य बना सकते हैं कि अमुक टाइम के पश्चात् लाउड स्पीकर्स का प्रयोग बन्द कर दिया जाये.........

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): कह गये न अपने मतलब की बात बीच में ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा: लाउड स्पीकर और संगीत को आप एक श्रेणी में मत लीजिये । आज मान लीजिए कि कोई संगीत सुनने के लिये ५ हजार आदमी आते हैं तो आज के युग में लाउड स्पीकर के बिना अच्छी तरह नहीं सुना जा सकता । आज जयपुर में उर्स होता है और उस मौके पर कव्वालियां होती हैं और हजारों की तादाद मे लोग आते हैं और उनको सुनते हैं । उस समय आप यह कहें कि ११ बज गये इसलिये लाउड स्पीकर बन्द करो और आस-पास १०-२० ही बैठे हुए आदमियों को तो इससे इस तरह से मौका सुनने का मिलेगा और बाकी के अपने अपने घर जायें । तो आखिर ऐसी बात के लिये लोग क्या कहेंगे ? उर्स के मौके पर यहां आखिर हजारों रुपया खर्च किया जाता है । उस समय गलियों में कव्वालियां होती हैं और उनको सुनने के लिये २०-२५ हजार आदमी आते हैं और दो दो बजे तक सुनते हैं तो उनको आप इस बिल के द्वारा रोकना चाहते हैं तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह का बिल महज अगर इसकी मन्शा सिर्फ यह है कि हॉस्पिटल के नजदीक या किसी स्कूल या कॉलेज हॉस्पिटल के नजदीक कोई नोइज़ को रोकने को है तो नोइज़ को रोकिये । पर नोइज़ की परिभाषा अलग से दी जाये कि अमुक अमुक तरह की चीजें नोइज़ में आयेंगी । लेकिन म्यूजिक शब्द को नोइज़ के साथ लगाकर म्यूजिक को कलंकित न कीजिये । इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर अच्छी तरह पहले विचार कर लिया जाना चाहिये ।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल को मैंने नाम से देखा तो समझा कि इस विषय के सम्बन्ध में कन्ट्रोल होगा कि कोई रद्दी गीत गाये जाते हैं शायद उस ओर सरकार का कुछ ध्यान गया होगा । परन्तु इस बिल को पूरा पढ़ने के बाद ऐसा महसूस हुआ कि संगीत और नोइज के नाम से सारे हिन्दुस्तान के कल्चर के ऊपर ही सरकार कन्ट्रोल करना चाहती है और जहां तक इस बिल की भावना है वह केवल यही है कि रात को जो लड़के पढ़ते हैं और जो स्कूल और कॉलेजों के हैं उनको पढ़ाई के अन्दर किसी प्रकार की अड़चन न आये और कुछ शान्तिप्रिय जनता को दिक्कत न हो, यह भावना है तो उसकी मैं कद्र करता हूं और ऐसा होना भी चाहिए । जहां तक हॉस्पिटल, स्कूल और कॉलेजेज़ हैं और कुछ बस्तियों का सवाल है और जहां पर रहने वाले लोग अमुक काम करने वाले हैं और किसी खास नोइज़ से उनको सोने नहीं दिया जाता है तो वहां इस तरह का कन्ट्रोल हो तो कोई आपत्तिजनक नहीं होगा । लेकिन जहां परम्परागत व्यवस्था है वहां कन्ट्रोल होगा तो कानून की मन्शा बिल्कुल ही उल्टी हो जायेगी । आप इस धारा को पढ़ेंगे तो ऐसा मालूम होता है कि यहां तो बिल्कुल ही उल्टा मामला है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज ५ के सबक्लॉज (बी) में प्रोहीबीशन ऑफ म्यूज़िक का जिक्र है । उसके अन्दर लिखा है:

'all other music is prohibited at all places, whether public or private, between the hours of 11 P.M. and 4 A.M.'

मैं अदब से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी

(श्री मोतीलाल चौधरी)

मार्फ़त कि ऐसी धारा रखते हुए पुलिस के सब-इन्सपेक्टर को जो पॉवर्स दी गयी हैं यह धारा बिल्कुल ही उड़ा देनी चाहिए, वर्ना ऐसा हो जायेगा कि राजस्थान में एक देवता के नाम से पूजा होती है, एक जंवाई आता है, शादी होती है तो गीत गाये जाते हैं और रातोंरात गाये जाते हैं, सारी रात गाते हैं और हर घर की औरतें उसमें आती हैं। उस दृष्टिकोण से, देवताओं के नाम से या तो आप धर्म को बन्द कीजिए वर्ना जब तक देवता रहेंगे, रीति रिवाज रहेंगे, धर्म रहेगा तब तक ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक विचार मुझे अभी बैठे बैठे आया कि जहां एक्चुअली न्यूसेन्स होता है उस तरफ सरकार का ध्यान कम जाता है। मैं अगर कहूं कि हमारे जितने भी सेक्रेटरी हैं, बड़े बड़े लोग हैं, they are all members of the clubs जहां कि ब्रिज खेलते हैं दो-दो और तीन-तीन बजे तक। हमारी सरकार के मिनिस्टर भी खेलते हैं तो वहां पर तो कोई आपत्ति की नहीं जाती। इसके अलावा उन क्लब्स में क्या क्या नहीं होता; अगर उसको देखें, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं और दूसरी तरफ हम प्रोटेक्शन चाहते हैं स्कूल कॉलेजेज़ के लिए ! यह अच्छी बात है, लेकिन दूसरी तरफ ही हम देखते हैं कि कॉलेज के लड़कों के लिए उनके डिसीप्लिन के बारे में कोई पत्र कुछ प्रकाशित कर दे तो उसके ऊपर लड़कों द्वारा हमला किया जाता है। इस तरह के न्यूसेन्स को रोकने की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपको जयपुर का एक उदाहरण देना चाहता हूं कि जयपुर में एक शेरसिंह नाम का बहुत बड़ा आदमी है जो शराब पीकर और हाथ में लाठी लेकर चाहे जिसकी गाड़ी खड़ी कर दे और उसको हमारे यहां मिनिस्टर साहबान, एम० एल० ए० और ऑफिसर्स दो-तीन रुपया देते हैं। तो एक तरफ़ जहां आप न्यूसेन्स को प्रोटेक्ट करते हैं। वास्तव में that is really a nuisance. उनको आप चैक नहीं करते। कई ऐसे न्यूसेन्स के स्थान हैं जिनको आप बन्द कर सकते हैं लेकिन बन्द नहीं करते हैं। मैं नहीं कहता विरोधी दल के कुछ माननीय सदस्य कह रहे थे कि सरकार की मन्शा होगी कि मीटिंगों के ऊपर पाबन्दी लगा कर पोलिटीकल दृष्टिकोण से किया जावेगा, ऐसा तो मैं नहीं मानता; मगर मैं कहता हूँ कि इसके अन्तर्गत जो सब-इन्सपेक्टर को पॉवर्स दी गयी हैं उनका मिसयूज़ जरूर होगा। रात को कोई अपनी मीटिंग करके, अपने हॉल में करके रात को दस बजे कोई सज्जन जा रहा है तो उसको इस एक्ट के अन्दर नुकसान पहुंचाया जा सकता है। वह सब-इन्सपेक्टर उसी समय दो गवाह करेगा और उस सज्जन को बन्द कर सकता है। ऐसी हालत में सबसे बड़ा खतरा है वह यह कि पोलिटीकल आदमी है या प्रेसवाला आदमी है, जो खुला लिखता है उनकी हालत पुलिस के हाथ में इतनी बुरी होने वाली है कि उनको कोई प्रोटेक्शन मिलने वाला नहीं है। अब कोई गवर्नमेन्ट होस्टल से किसी एम० एल० ए० से बात करके लौट रहा है, रात को ज्यादा समय हो गया तो वह पुलिस का अधिकारी बड़ी आसानी से उसको पकड़ सकता है। सिटी बजाना भी नोइज़ हो जायगा। कोई प्रूफ नहीं है कि गीत गाया था। अब गीत गाना

(श्री मोतीलाल चौधरी)

और आवाज करना, इस दृष्टिकोण से यह कानून अपूर्ण है । मैं कहूं कि यह अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आज तक ऐसी एक भी शिकायत नहीं आयी होगी कि आज रात को नींद नहीं आई इसलिए कि म्यूज़िक बज रहा था ।

स्टूडेन्ट्स की कॉलेज यूनियन ने आज तक कम्प्लेन्ट नहीं की होगी कि म्यूज़िक के कारण या लाउडस्पीकर के कारण पढ़ाई नहीं कर सकते हैं । हॉस्पिटल की तरफ से कोई कम्प्लेन्ट नहीं आई कि कोई रोगी या पेशेन्ट मर गया हो म्यूज़िक या लाउडस्पीकर की साउन्ड से । दूसरी तरफ हम देखते हैं कि म्यूजिक की मार्फत, रेडियो के मार्फत एज्यूकेशन दी जाती है । हॉस्पिटल में मैंने कल ही एक आर्टीकल पढ़ा था कि विदेशों में, इंग्लैण्ड में हर पेशेन्ट को रेडियो दिया गया है । उसका यह कहना है कि जितना मैडिसिन काम नहीं कर सकता है उतना यह म्यूज़िक कर सकता है । नर्सिंग वगैरह में ५० परसेन्ट रेडियो से नर्सिंग होता है । उसका एक साइकोलोजिकल ट्रीटमेंट् होता है । साइकोलोजिकल ट्रीटमेंट का मेडिकल साइन्स के अन्दर बड़ा अध्ययन चल रहा है । इस प्रकार के साइकोलोजिकल ट्रीटमेंट में म्यूज़िक बड़ा स्थान रखता है ....

एक माननीय सदस्य : पौधे भी बढ़ रहे हैं म्यूज़िक से ।

श्री मोतीलाल चौधरी: पौधे बढ़ते होंगे गंगानगर में, ऐसी कोई बात नहीं है ।

माननीय उपाध्यक्ष, मेरा यह निवेदन था कि सरकार जब ऐसा बिल लाई है तो मैं इस बात को मानता हूं कि वह महत्वपूर्ण दृष्टिकोण से हो, लेकिन इसमें भलाई का काम तो नहीं कर पायेंगे उतना इससे न्यूसैन्स पैदा हो जायेगा । हम कोई कानून बनाते हैं तो हमारा सबसे पहला उद्देश्य यह होना चाहिए कि उससे कितने परसेन्टेज समाज का फायदा होगा ।

राजस्थान के अन्दर जो जनता है उसमें सिटीज केवल जयपुर, जोधपुर, अजमेर और कोटा हैं । इन चार के अलावा इसको और कहीं न्यूसेन्स नहीं मानते हैं । रात को मिल भले ही भोंपू बजाये, केपिटलिस्ट का मिल चल सकता है । बॉल-बियरिंग फैक्टरी की कोलाहल से आदमी को तकलीफ पहुँचती हो लेकिन वह कोलाहल नहीं कहा जायेगा । दूसरी तरफ़ लाइट म्यूज़िक होगा तो वह भी न्यूसेन्स होगा !

तो हर दृष्टिकोण से, विदेशों के अन्दर भी इस दृष्टिकोण से कई कानून पेश हुए हैं हमारी स्टेट में किया है कि जहां हॉस्पिटल्स, कॉलेजेज़, स्कूल्स या गवर्नमेन्ट ऑफिसेज़ हों वहां कोई तरह की गड़बड़ नहीं हो । वहां पर, आम तौर पर कन्ट्रोल किया है । उतना ही कन्ट्रोल कर सकते हैं । वह नहीं है सेक्रेटेरियट के अन्दर जब हम दोपहर में जाते हैं, कोई दो-एक बजे के पास तो कितना कोलाहल होता है । कोई भी क्लर्क नहीं मिलेगा और न ऑफिसर मिलेगा । दो-दो, तीन-तीन घंटे तक, टी पार्टीज़ चलती रहती हैं । पूछते हैं कि सेक्रेटरी साहब कहां गये तो कहा जाता है कि मीटिंग में गये हैं । मीटिंग है या नहीं, यह मालूम नहीं है । अन्नपूर्णा में कितना कोलाहल रहता है ? तो डिसिप्लिन का जहां तक सवाल है, काम का जहां तक सवाल है तो करना पड़ता है ।

(श्री मोतीलाल चौधरी)

मैं इन्हीं शब्दों के द्वारा, माननीय मंत्री महोदय तो नहीं हैं, लेकिन उपमंत्री महोदय विराजमान हैं, आपके द्वारा उनसे निवेदन करूंगा कि अपने मंत्री महोदय से कहें कि बिल पास कराने के लिए पब्लिक ओपीनियन के लिए भेज दें। यह पब्लिक इन्ट्रेस्ट में इतना नहीं होगा जितना कि न्यूसेन्स या गड़बड़ पैदा करेगा। पब्लिक इन्ट्रेस्ट के बड़े बड़े काम हैं जिनको करने से फायदा होगा। कानून की जो यह मंशा है उस लाइट के अन्दर मौजूदा कानूनों के जरिये भी इस न्यूसेन्स को कन्ट्रोल कर सकते हैं मेडीकल हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज या गवनमेंट ऑफिसेज़ के पास में। ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है जिसके द्वारा आज के कानूनों के अन्दर न्यूसेन्स को कन्ट्रोल नहीं कर सकते हैं। कानून की संख्या बढ़ाने से पब्लिक एक्सचेकर पर बोझ होगा। कुछ स्टाफ इसमें और लगेगा। इस एक्ट के अन्दर एक्स्ट्रा एक्सपेन्डीचर बढ़ जायगा, और भी कई तरह के प्रोब्लम्स् खड़े हो जायेंगे। तो मैं, माननीय उपाध्यक्ष, आपके द्वारा हाउस से निवेदन करूंगा कि इस कानून को पब्लिक ओपीनियन के लिए भेज दें और वह आ जाय तो मालूम हो जायगा कि इतने पर्सेन्टेज लोग इसको पसन्द करते हैं, मालूम हो जायगा।

श्री उपाध्यक्ष: श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

(अनेक माननीय सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिह नगर) : उपाध्यक्ष महोदय, संगीत और कोलाहल संबंधी एक बिल आज सदन के अन्दर उपस्थित है जिसके स्टेटमेंट ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीज़न्स में यह है कि लाउडस्पीकर्स, एम्प्लीफायर्स, सोफ्ट म्यूज़िक या म्यूज़िक यन्त्रों, इस प्रकार की चीजों से जो कोलाहल और शोर होता है उससे बड़े बड़े नगरों के लोगों का जीवन कष्टमय होता है; उसको रोकने के लिए यह एक्ट है, यह बिल आज सदन के अन्दर लाया गया है।

संगीत की जो परिभाषा, उपाध्यक्ष महोदय, इस डेफिनिशन में की गई है आरम्भ में ही वह कोई वैज्ञानिक परिभाषा तो है नहीं। मुझे थ्योरी ऑफ साउन्ड पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, लेकिन उस परिभाषा का कोई ताल-मेल और नोइज़ की परिभाषा इस संगीत की परिभाषा से नहीं हुआ है। संगीत को नौइज़ बताया गया है, इस तरह की परिभाषा का जन्म इस बिल के अन्दर हुआ है।

संगीत और वाद्ययन्त्रों की जो सूची दी गई है। जिनके संगीत से कोलाहल उत्पन्न होता है, जिनके संगीत से रात को लोगों को कष्ट होता है, जिनके संगीत से स्कूलों के विद्यार्थियों को कष्ट होता है, जिनके संगीत से नागरिक जीवन को कष्ट पैदा हो गया हो और जिनके संगीत को रोकने के लिए यह बिल आज लाया गया है, उनमें शहनाई भी एक यन्त्र है। मैं तो कल्पना नहीं कर सकता हूं कि हमारे गृहमंत्री की ओर से जो बिल रखा गया है उसमें वाद्ययन्त्र शहनाई को भी शामिल किया गया है। शहनाई वाद्ययन्त्र से कोलाहल पैदा होता है, यह बात समझ में नहीं आई है।

उपाध्यक्ष महोदय, संगीत के बारे में महा कवि शेक्सपीयर जैसे महान् लेखक ने

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

कहा है कि जिस व्यक्ति को संगीत पसन्द नहीं है वह व्यक्ति अपने जीवन में जरूर कत्ल कर सकता है। ऐसा उन्होंने अपने ड्रामा मैकबेथ के अन्दर स्पष्ट घोषित किया है। यह एक नई कल्पना राजस्थान के गृह मंत्रीजी ने की है कि रात्रि की नीरवता में संगीत और वाद्ययन्त्र की ध्वनि से लोग व्यथित हो जाते हैं। इस प्रकार की महान् कल्पना न मिल्टन ने की और न कालिदास ने की होगी और न संसार के बड़े बड़े विचारकों ने की होगी। मैं उनकी महान् विचारता के लिए उनको धन्यवाद देता हूं।

वैसे तो राजस्थान सरकार अपने बजट को कट कर रही है और सैंकड़ों कर्मचारियों को रिट्रेन्च किया जा रहा है। बेरोजगारी के आंकड़े राजस्थान के अन्दर ५ लाख से भी ज्यादा है और उन लोगों को रात में नींद नहीं आती है, कहीं दूर मुरली या बांसुरी की आवाज सुन कर या गुनगुनाकर अपनी जिन्दगी के दिन बसर करते हैं और सरकार उनके इस जख्म पर मलहम लगाने के बजाय संगीत को कोलाहल घोषित करती है। यह कल्पना भी बहुत सुन्दर कल्पना है! इस संगीत और इन वाद्ययन्त्रों के साथ में लाउडस्पीकर्स पर भी रोक है।

इसके दो आस्पेक्ट्स हैं। हर प्रकार के कोलाहल को हर तरह से बंद करने की कल्पना की गई है। अपने राजनैतिक विचारों का प्रचार करने के लिये लाउडस्पीकर का जो प्रयोग किया जाता है उसको रोकने के लिये भी स्पष्ट इसमें कदम है, मजिस्ट्रेट को स्पष्ट ताकत दी है कि वह किसी को नोटिस सर्व कर दे और वह इस प्रकार की आवाज, संगीत या लाउडस्पीकर को रोक दें। स्पष्ट तौर से इस प्रकार की शक्ति का प्रयोग किसी भी राजनैतिक प्रचार को रोकने के लिये किया जा सकता है। प्रचार क्षेत्र में मूलभूत अधिकारों पर कुठाराघात है। इस युग में आमतौर पर प्रचार का साधन एक ही है; राजनैतिक प्रचार का साधन लाउडस्पीकर है और राजनैतिक पार्टियां अपनी विचार धारा को इसके द्वारा प्रसारित और प्रस्तुत कर सकती हैं; जिसका अधिकार विधान के अन्दर है। सभाएं आम तौर पर रात्रि में काफी देर तक चल सकती हैं। इसके अतिरिक्त यह बिल हर प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की हत्या करता है। रात में गवर्नमेन्ट होस्टल में राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह के उपलक्ष में ३।। बजे तक मुशाहिरा चलता रहा। उससे पहली रात में कवि सम्मेलन समारोह था। विजया दशमी का पर्व अभी गया है। मोहल्ले मोहल्ले में रामलीला खेल कर लोग रामचंद्रजी के चरित्र का चित्रण करते थे। विवाह संपन्न होते हैं। भारतीय नागरिक के जीवन में कोई ऐसा दिवस गृह मंत्रीजी घोषित करदें जिस रोज कोई त्योहार न हो? यदि एक ओर विजयादशमी का पर्व होता है तो एक ओर रामनवमी होती है तो एक ओर दुर्गाष्टमी। जीवन में दिवाली है तो होली भी है और दूसरे त्योहार भी हैं। यह बिल हर प्रकार से इस संगीत को रोकता है, जो किसी त्योहार के समय होता है या विवाह में शहनाई बजाई जाती है तो उस शहनाई को भी रोकता है और यदि जीवन के कष्टों को रोकने के लिये कोई व्यक्ति गुनगुनाहट करता है तो उस पर भी ताला लगता है। यह हर प्रकार से जिन्दगी

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

के संगीत को रोकता है। एक ओर राजनैतिक पक्ष के ऊपर हमारे प्रजातंत्र पर यह बिल प्रहार करता है तो दूसरी ओर हर सांस्कृतिक जीवन पर कठोर प्रहार करता है। मेरी समझ में नहीं आता कि इतना बड़ा प्रेम-विवाह राजस्थान में हुआ और उसमें से यह बिल नहीं गया।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल में ब्यूरोक्रेसी को कुछ और शक्ति दी है। एक कॉग्निजबल ऑफेन्स क्रिएट किया गया है। एक महीने की सजा इसका पनिशमेंट है। सब-इन्सपेक्टर पुलिस कॉग्निजेन्स ले सकता है, बिना वारन्ट के किसी को गिरफ्तार कर सकता है। सेकिन्ड क्लास मजिस्ट्रेट के कोर्ट में इसकी ट्राइल है। किस प्रकार का नग्न नृत्य राजस्थान में ब्यूरोक्रेसी खेल रही है वह उपाध्यक्ष महोदय, आपसे छिपा नहीं है। अभी गृह मंत्री गंगानगर के दौरे पर आये थे। उनको मालूम है, वे खुद एक थानेदार को सस्पेन्ड करके आये थे, जिसने एक गरीब के घर में घस कर बलात्कार किया था। आप उसी थानेदार को और शक्ति देना चाहते हैं कि रात को १२ बजे जो कोलाहल करते हैं उनको पकड़ सके और उनको जेल में ठूंस दे। आप उसको इस प्रकार के अधिकार देना चाहते हैं कि किसी भी शरीफ आदमी को जलील कर सके या किसी भी अबला के साथ बलात्कार कर सके, क्योंकि रात्रि के ११ बजे उसके घर से संगीत की आवाज आई इसलिये उसको पकड़ा।

आज ब्यूरोक्रेसी का आतंक सबसे अधिक है और उससे यहां की जनता बहुत अधिक व्यथित है। राजस्थान में ब्यूरोक्रेसी को इस प्रकार की अधिक से अधिक शक्ति देना प्रजातंत्र के सिद्धांत को अधिक से अधिक कुचलना है; इससे अधिक कोई लक्ष्य नजर नहीं आता। आज प्रचार नहीं कर सकते, मीटिंग नही कर सकते। जगह जगह तहसीलों और सब-डिविजनों से आवाज आती है कि भ्रष्टाचार का राजस्थान में बोलबाला है। इसको कुचलने के लिये ४५३ है, ३६५ है। यहां तक कि राजस्थान विधान सभा के माननीय सदस्यों पर भी एस० डी० एम० ने मुकदमे चला रखे हैं। फिर भी आप आज थानेदार को और मजिस्ट्रेट को इस प्रकार की शक्ति प्रदान करना चाहते हैं जिससे कि प्रजातंत्र की हत्या हो सके। यदि सरकार ने इस बिल को वापिस नहीं लिया तो मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं कि जगह जगह चौराहों पर इस बिल की होलियां जलाई जायेंगी।

श्री उपाध्यक्ष: श्री मुरलीधर व्यास।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के गृह मंत्रीजी ने जो यह विधेयक सदन में प्रस्तुत किया है उस पर दो राय हैं। एक तो यह कि इसको जनमत के लिए प्रसारित किया जाय और दूसरी यह कि इसको सिलेक्ट कमेटी को सौंप दिया जाय। जहां तक इस बिल का सवाल है, मैं समझता हूं इसमें कुछ धाराएं इस प्रकार की हैं जो हमारे मूलभूत बुनियादी अधिकारों पर प्रहार करनेवाली हैं। यह जो भारत का संविधान है उसके अंतर्गत जो कुछ हमें अधिकार दिये है मूलभूत उसकी पहली धारा जो भारत के संविधान की है वह बताना चाहता हूं।

(श्री मुरलीधर व्यास)

उसमें कहा है कि भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिये तथा उसके समस्त नागरिकों को यह अधिकार देते हैं कि सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक मामलों में स्वतंत्र विचार, धर्म और उपासना में स्वतंत्रता है। यह मूलभूत अधिकार हमारे संविधान ने हर नागरिक को दिये हैं और जब मैं इस विधेयक को देखता हूं, इसकी धाराओं को देखता हूं तो ऐसा मालूम होता है कि धर्म में विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता आदि जो मूलभूत अधिकार विधान में दिये हैं या जो मूलभूत अधिकार नागरिक को दिये हैं उन पर किसी भी समय प्रहार कर सकते हैं। जो जो मूलभूत अधिकार हैं उन पर प्रहार हो तो यह बहुत बुरी बात है। अपने विचार व्यक्त करने का किसी भी व्यक्ति को अधिकार है। उसको उपासना करने का अधिकार है। समझ लीजिये कि यदि कोई अपने इष्टदेव की उपासना रात्रि में करता है, उसके लिये अखंड कीर्तन करता है या रात भर जागरण करता है तो जो अधिकार उसको संविधान के तहत उपासना करने का है तो आप उसको इसकी वहत रोकना चाहते हैं! समझ लीजिये आपकी सरकार कह सकती है कि गोली चलादो, किसी को मार दिया और किसी प्रकार की गड़बड़ हुई जिससे सारे लोग परेशान हैं और उसके खिलाफ़ जनमत को जागृत करने के लिये या उसके प्रति जनता किसी प्रकार के विचार प्रकट करना चाहती है एक जगह जमा होकर और आप उसको रोकते हैं तो आम जनता के विचारों पर और धर्म पर जिसके बारे में उसको मूलभूत अधिकार दिये हैं उस पर आपका विधेयक पूर्णतः प्रहार करता है।

इसलिये मैं समझता हूं कि सबसे पहले आप चाहे किसी भी पहलू से ले लीजिये आज के विज्ञान के युग में ध्वनि प्रसारक यंत्र को उपयोग करने के लिये बनाया है। आज विधान सभा में भी हम इसका उपयोग करते हैं, इसका उपयोग करके कानून बनाते हैं। यदि ऐसी कभी आवश्यकता पड़ जाय और विधान सभा की बैठक रात्रि में करनी पड़े तो रात्रि में आप कहेंगे कि तुम्हारे लिये बैठक करने की पाबन्दी है फिर बैठक कैसे करते हो? ध्वनि प्रसारक यंत्र का उपयोग आज के युग में ज्यादा से ज्यादा आदमियों को यदि अपनी बात कहनी है तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं।

कोई ध्वनि प्रसारक यंत्र से, ऐसा तो कोई आदमी नहीं है जो बाजार में बातचीत करता हो या इसका उपयोग करने लग जाता हो। जहां तक सार्वजनिक दृष्टिकोण का सवाल है, हो सकता है कि कोई व्यक्तिगत रूप से कहीं ध्वनि विस्तारक यंत्र पर बोलता हो। वैसे मेरी समझ में नहीं आता है कि कोई आदमी इसका उपयोग करता हो। जरूर कोई कोई सिनेमावाले इसका उपयोग कर लेते हैं। कहीं एक स्थान पर इसका उपयोग हो सकता है, परन्तु जहां तक सार्वजनिक क्षेत्र का सवाल है, सार्वजनिक क्षेत्र पर कहीं इसका इस्तेमाल होता है और वहां इस पर प्रतिबन्ध लगता है तो मैं समझता हूं कि यह हमारा जो बुनियादी अधिकार है उसके ऊपर बड़ा भारी प्रहार है। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि यहां एक पब्लिक न्यूसेन्स एक्ट है, उसके अन्तर्गत ऐसी धारायें हैं जिनमें कहा है कि अगर कोई सार्वजनिक

(श्री मुरलीधर व्यास)

रूप से किसी को तकलीफ देता है तो उस एक्ट के मातहत उसको आप रोक सकते हैं।

हमें अच्छी तरह मालूम है कि बीकानेर में हम पर तीन साल तक मुकदमा चलाया गया इस एक्ट के मातहत, क्योंकि हमने पुलिस के खिलाफ एक मीटिंग प्रारम्भ की, वहां पर कॉलेज से बहुत दूर एक मीटिंग की। उस मीटिंग में हम, मानिकचन्द, पारीक और पांच सात लोग बोले और हम पर पब्लिक न्यूसेन्स एक्ट के मातहत मुकदमा चलाया गया। वहां जो कॉलेज के छात्र हैं उनसे कुछ लिखवाया गया कि इससे हमें तकलीफ होती है। उनसे यह कहला कर तीन साल तक मुकदमा चलाया गया। उसका क्या नतीजा निकला ? यह ठीक बात है कि वह गलत मुकदमा था इसलिए उसमें पुलिस कामयाब नहीं हुई; किन्तु पुलिस द्वारा इस अधिकार का सार्वजनिक क्षेत्र के लिए उपयोग होता है, उस एक्ट के मातहत वह काम कर सकती है और कहीं पर किसी प्रकार भी कोई सीमा लगा सकती है, पहले घोषणा कर सकती है कि इतने क्षेत्र में इस समय इस चीज का इस्तेमाल न करो। जब इस प्रकार की चीज है और उसका उपयोग होता है, उसका इस्तेमाल होता है तो इसके बावजूद इस प्रकार का विधेयक, कोलाहल और संगीत नियंत्रण विधेयक लाना उचित नहीं है। मैं समझता हूं कि वह अपने आप में एक ऐसा कानून है जिसका पूर्ण उपयोग होता है। लेकिन इसमें जो धारा रखी गई हैं, उनसे मालूम होता है कि इनका किसी खास समय किन्हीं मामलों में उपयोग हो सकता है। कानून की मन्शा यह होती है कि जितने कानून बनते हैं उनका अधिक से अधिक लोगों को लाभ हो, जो लोगों की दिक्कत है वह दूर हो। परन्तु जब इस कानून को देखते हैं और बारीकी से पढ़ते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इससे ज्यादा दिक्कत बढ़ेगी, इससे हमारे मूलभूत बुनियादी अधिकारों पर प्रहार होगा, हमारी जो संस्कृति है. उसके साथ संगीत–जो हमारे समाज का अंग है, मनुष्य जीवन का अंग है, उस पर जबरदस्त प्रहार होगा।

इसका नाम जब पढ़ते हैं तो नाम पढ़ते ही अखरता है कि यह नाम क्यों रखा गया है ; किसने सोच कर यह नाम रख दिया है ? इसका नाम क्या है-" राजस्थान कोलाहल व संगीत नियत्रंण विधेयक" । संगीत नियंत्रण विधेयक से ऐसा मालूम पड़ता है, चाहे आप किसी को भी सोचने को दीजिये, वह कहेगा कि किसी ने क्या सोच कर यह नाम रखा है—क्या सोच कर नाम रखा है ? वाकई उसका उस समय दिमाग ठिकाने पर नहीं होगा। आप हर तरीके से सोच लीजिये, ऐसा लगता है कि इस नाम को रखते समय सोचा नहीं गया है। इसमें ऐसे लफ्ज़ रख दिए गये हैं जो पढ़ते ही अखरते हैं; जैसे किसी का नाम राक्षस रख दिया हो। उस नाम को कोई भी आदमी देखेगा तो सोचेगा-"राक्षस" वैसा नाम रख दिया गया है-"संगीत नियंत्रण"। जब इस नाम को कोई आदमी सुनता है तो ऐसा मालूम, होता है कि जिस संगीत को मनुष्य जीवन का, सामाजिक जीवन का अंग माना गया है, बिना संगीत के मनुष्य जीवन पशु के समान है, संगीत मनुष्य को हर प्रकार से

Page No.85

(श्री मुरलीधर व्यास)

प्रेरणा देने के लिए, उसके दुःख दर्द को दूर करने के लिये उसकी सहायता करता है, उस सहायता करने वाले के लिए आप कह दें कि इसका नियंत्रण कर दें ! आप नियंत्रण करें शराब पर, जो हर एक आदमी को दिक्कत पहुंचाती है, और दूसरी चीजें हैं जो दिक्कत पहुंचाती हैं, उन पर नियंत्रण करें। आप संगीत पर इस प्रकार नियंत्रण करते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि राजस्थान सरकार ने इस मामले में कतई सोचा नहीं है, और इससे कितने बुरे बुरे काम हो सकते हैं, उन सबका अनुमान नहीं लगा सकी है।

अभी जैसा जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि पुलिस को यह अधिकार दे दिया है इसके अन्तर्गत कि दस बजे बाद में मौके पर जाकर वह गिरफ्तार कर सकती है, यदि वह कानून को न माने। अगर किसी के यहाँ शादी हो रही है, और किसी ने जाकर उसकी कम्पलेन्ट कर दी है कि इस प्रकार संगीत बज रहा है और उस पर जाकर नियंत्रण करो, जैसा कि लोग जान बूझ कर दुश्मनी निकालते हैं, तो कानून के जरिये वहाँ पुलिस को पहुंचा कर वे ठीक शादी के मौके पर से लड़के और लड़की को गिरफ्तार करा कर ले जा सकते हैं; आपने इतने अधिक अधिकार इसके अन्तर्गत दिये हैं पुलिस को कोई इस कानून को न माने तो उसे उसी समय पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, इतने अधिकार आपने एस० आई० तक को दिये हैं तो यह विधेयक अपने आप में बड़ा ही अपूर्ण है। और फिर आज के युग में डेमोक्रेसी में जब सबको बोलने का अधिकार मिला है, उसमें आप राजनैतिक पार्टियों पर प्रहार करेंगे। राजनैतिक दृष्टिकोण से और जनतांत्रिक दृष्टिकोण से। इसे काला कानून कह दिया जाय, इसे सरकार का काला कानून कह दिया जाय तो कोई अतिश्योक्ति नही होगी। इसका हर मौके पर दुरुपयोग होगा इसमें लिखा हुआ है कि जहां आदमी जा सकता है। अब जैसे १४४ धारा आपने लगा दी कि कोई मीटिंग नहीं कर सकता। बहुत से लोग सोचते हैं कि शहर में मीटिंग नहीं कर सकते, चलो गांव में चलो, वहां मीटिंग करेंगे और वहां लोग आजायेंगे। अब इसमें लिखा है कि जहां पर भी आदमी जा सकता है वहां पर भी जाकर कह दो कि यहां मीटिंग क्यों की ? यहां पर भी लोग आ सकते हैं इसलिए यहां पर भी नियंत्रण है। आदमी जो अन्याय के खिलाफ आवाज रखना चाहता है, जो उसे मूलभूत और बुनियादी अधिकार के रूप में मिला है, उस पर भी हर तरीके से नियंत्रण कर सकते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि गृह मंत्रीजी इस मामले पर बहुत गम्भीरता से सोचें। यह होना चाहिए और फिर वे ठीक समझते हैं कि इसमें ऐसे संशोधन कर देने चाहिए तो वैसा करें। अगर वे समझते हैं, यद्यपि ये शब्द आवश्यक नहीं हैं और फिर भी वे चाहते हैं कि अपने समय में वे ऐसा विधेयक पास करें जो कानून के रूप में आए तो ठीक बात है। यह ऐसा मामला है जिसमें आदमी के, नागरिक के मूलभूत अधिकारों का ख्याल रखना चाहिए; क्योंकि सार्वजनिक रूप से जो सभायें होती हैं, सम्मेलन होते हैं, कवि सम्मेलन होते हैं या और कोई मीटिंग होती है, ऐसी मीटिंगों और सम्मेलनों के ऊपर कोई प्रतिबन्ध नहीं करना चाहिए।

(श्री मुरलीधर व्यास)

अगर एक आदमी अपनी दुकान पर बैठे बैठे लाउडस्पीकर बजाता है, अपनी होटल चलाने के लिए रात दिन वह लाउडस्पीकर बजाता रहता है और उससे लोगों को दिक्कत होती, जिससे आम आदमी को दिक्कत होती है तो ऐसे मौके पर पुलिस के पास ऐसा अधिकार है जो पब्लिक न्यूसेन्स एक्ट के अन्तर्गत आता है, उसका उपयोग वे कर सकते हैं। परन्तु संगीत के नाम पर इस प्रकार का नियंत्रण करना आवश्यक है तो मैं आपको बताऊं कि विधान सभा के सदस्यों का जो गवर्नमेन्ट होस्टल है उसको आप ले लीजिये। वहां पर तीन सौ साठ दिन में कोई न कोई सम्मेलन, कवि सम्मेलन, नौटंकी, कभी भाषण लगातार होते रहते हैं और उनमें ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग होता है और उसी स्थान पर विधान सभा के कम से कम चालीस, पचास एम०एल०एज़० रहते हैं, वे कमरों में सोते हैं। उधर कार्यक्रम चलता है और उधर वे नींद भी लेते हैं लेकिन कभी किसी ने गृह मंत्री से शिकायत की है? वहां पर तीन सौ साठ दिन कार्य-क्रम चलता है पर किसी ने उस पर नियंत्रण किया है? वहां पर तीन सौ साठ दिन कार्य-क्रम चलता रहे, साल भर कार्य-क्रम चलता रहे, पर किसी को भी शिकायत न हो और वह भी जब कि वहां पर जनता के चुने नए नुमाइन्दे रहते हों। अगर उनमें से कोई कहे कि आपको ऐसा कानून बनाना चाहिए तो आप कानून बनायें। पर मैं समझता हूं कि ऐसी कोई शिकायत नहीं है।

संगीत एक ऐसी चीज है, जिसको सुनने का किसी को कोई मौका मिलता है तो लोग वहां चले जाते हैं और रात रात भर बैठे रहते हैं और आनन्द से बैठते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि इसका कोई उपयोग नहीं है। इसके अलावा इसमें जितनी धाराएं हैं इन धाराओं के कारण आगे जाकर आम नागरिक के लिए दिक्कत खड़ी हो जायगी; क्योंकि अनावश्यक रूप से उनका चालान किया जायगा, गिरफ्तारियां की जायंगी। इससे पुलिस मनमानी कर सकती है। इसके कारण भ्रष्टाचार बढ़ेगा और अनैतिकता बढ़ेगी। आप चाहते हैं कि इस तरह के नियम रखे जायं, तो ठीक हैं, आप इस तरह का जो कानून है उसके लिए नियम रखे जायं जो इस प्रकार के दूसरे नियम हैं, उनको लगाएं, वह आम नागरिकों के लिए होगा, राज्य के लिए होगा। इसलिए मैं माननीय गृह मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि जो प्रस्ताव आया है कि इसे सिलेक्ट कमेटी को भेजा जाय और इसे जनमत के लिए प्रसारित किया जाय। इसमें से जो भी आप उपयुक्त समझते हों कि यह आवश्यक है उस पर आप पूर्ण गम्भीरता से विचार करें। वैसे यह आवश्यक विधेयक नहीं है, एक काला विधेयक ले आये हैं जिससे स्वतंत्रता समाप्त होने वाली है।

न्यूसेन्स तो, आप अमेरिका और दूसरे देशों में चले जाएं और देखें तो आपको मालूम होगा कि यहां से उनकी आवाजें हजार गुनी हैं, यहां की आवाजों से ज्यादा हैं जिसकी तुलना आप नहीं कर सकते। हमारे यहां ऐसा नहीं है। अगर कुछ कस्बों और शहरों को लेकर इस कानून को लागू करेंगे तो मैं यही कहूंगा कि इसका दुरुपयोग होगा और उसके सिवाय कुछ नहीं होगा।

(श्री मुरलीधर व्यास)

इसलिये मैं समझता हूं कि माननीय मंत्रीजी विधान सभा के सदस्यों की राय की कद्र करेंगे और इसको जनमत के लिये प्रसारित करने की जो बात कही है उसको स्वीकार करेंगे और आप भी इसको जनमत में रख कर चर्चा करेंगे तो जनता स्वयं कहेगी कि इसको लागू नहीं किया जाए, इससे लाभ नहीं होगा। इसलिये डेमोक्रेसी और लोगों के मूलभूत अधिकारों की रक्षा करेंगे और इस विधेयक को जनता की राय के लिये प्रेषित करेंगे।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा यह बिल आज विचारार्थ आया है और जैसा इसका नाम है, राजस्थान कोलाहल तथा संगीत नियंत्रण विधेयक, १९६२; इस पर अभी बोलनेवाले मेरे भाई ने बताया कि संगीत पर नियंत्रण करना बुरा है। मैं आप से निवेदन करूंगा कि संगीत की आज हमारे देश में क्या हालत हो रही है। आज हम देखते हैं कि राग रागिनी के वे संगीताचार्य खुद गली गली फिरते रहते हैं, अगर उनका नियंत्रण किया जावे, तो ठीक है। हमारे यहां संगीत की क्लासेज़ लगती हैं, मगर नामों में फ़र्क आता है। क्लॉज़ ४ के (२) में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान में ऐसे गीतों, बैलेड्स या शब्दों का जो अश्लील हैं या जिनसे आम जनता की नैतिकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, ध्वनि विस्तार करने के प्रयोजन के लिये लाउड-स्पीकर या ध्वनि विस्तारक का प्रयोग नहीं करेगा। यह तो मैं समझता हूं कि बहुत ही अच्छी धारा है। इस तरह से अश्लील गीत नहीं गाये जावेंगे और न ध्वनिविस्तारक का प्रयोग होगा। इसलिये इस पर रोक लगाना बुरा नहीं है।

इसी तरह दूसरी जगह देखते हैं कि क्लॉज़ २ के सब क्लॉज़ (३) के पार्ट्स (क) और (ख) में वाद्य को रोकने की बात आती है। मैं यह कहूंगा कि संगीत कोई दिल बहलाने की ही चीज नहीं है, यह वेदों का अंग है। ब्रह्माजी ने सामवेद बनाया। उसमें संगीत है। अगर उसको रोकने के लिये यह बनता है और यह मंशा है तो धर्म पर ठेस पहुंचेगी सामवेद की ऋचाएं रात को १० बजे से ४ बजे तक पढ़ते हैं। अगर आप इस कानून द्वारा १० बजे से ४ बजे तक बन्द कर देंगे तो लोग न तो मालकोष गा सकेंगे, न भैरवी आदि ही गावेंगे। इसलिये राग रागिनियें तो सामवेद का एक अंग है, अगर सरकार उनको बन्द करना चाहती है तो मैं यह निवेदन करूंगा कि इनको बन्द नहीं करना चाहिये। इनको बन्द करने से धर्म पर ठेस पहुंचेगी और मैं इसको धर्म पर ठेस मानता हूं।

इसको बन्द करने के लिये कई राजाओं ने प्रयत्न किये। हमारे देश में हिरण्यकश्यप ने इसको बन्द करने का प्रयत्न किया था मगर वह भी नहीं कर पाया और उसको भी जाना पड़ा। इसी तरह से इसको कंस ने बन्द करने की कोशिश की थी और उसका नतीजा यह हुआ कि कृष्ण ने संगीत-बांसुरी के द्वारा बजाया। इसके अलावा दूसरे, मुगल सम्राट् औरंगजेब ने संगीत का जनाजा निकाला, मगर इसका अन्त नहीं हुआ और जनाजा निकालने वाला न रहा। इसलिये मैं यह कहूंगा कि गलत तरीके से इस विधेयक को

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

बनाया है, इसमें सुधार करें और अश्लील गाने बन्द कर दें। राग-रागिनी जो नहीं गाना जानते हैं वे भी गलियों में गाते फिरते हैं, उनको बन्द किया जावे ताकि संगीत का सुधार हो। इसमें 'लाल दुपट्टे' के गाने नहीं होते। राग-रागिनियों को आज लोग जानते नहीं कि राग-रागिनियें क्या हैं। आज भी हमारे देश में बहुत से लोग संगीत के उपासक हैं। लाखों की तादाद में संगीत के उपासक हमारे देश में हैं। रात में वे घर पर आते हैं और इस संगीत की साधना करते हैं। बहुत से लोगों का यह पेशा है। ५० हजार आदमियों का यह पेशा है। २० हजार परिवारों को इससे रोजगार मिलता है। वे लोग इस संगीत को जिन्दा रखते हैं और भूखे मर कर भी इसको जिन्दा रखते हैं। संगीत वालों को पेट भर भोजन नहीं मिलता फिर भी साधक अपनी साधना करते हैं और वह अपने पेट की परवाह नहीं करता है और अपने साध्य की तरफ लगा रहता है। यदि आप इसको रोकेंगे तो हम जन्माष्टमी नही मना सकेंगे, न रास ही मना सकेंगे, हम हरिनाम संकीर्तन नहीं कर सकेंगे। हरिनाम संकीर्तन बन्द करना ठीक नहीं होता। मैं कहूंगा कि आपने संगीत को कैसे बुरा मान लिया ? संगीत के बाजे से सिपाही देश के लिये जूझ पड़ता है। संगीत हर जीवन में मदद करता है। अगर संगीत नहीं होगा तो एक भाई दूसरे भाई को काट देगा और आपस में हृदयों में दूसरे हृदय के लिये प्रेम नहीं रहेगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस पर प्रहार न करें। गलत तरीके से जो संगीत की मजाक उड़ाते हैं उस पर नियंत्रण करें। यह जो सिनेमा का प्रचार करने वाले हैं उनको आप कतई बन्द कर दें। आपसे सिनेमा के अश्लील चित्र और गाने तो बन्द ही नहीं होते। अगर गृहमंत्री यह नहीं जानते हैं तो मैं यह बताना चाहता हूं कि रात को १० बजे से ४ बजे तक ही वेदों की ऋचाएं होती हैं। इनको बन्द करना, मुगल सम्राट् औरंगजेब के हुक्म के माफिक हुक्म होगा और मैं समझता हूं कि सरकार इसको उस तरह से बन्द नहीं करेगी।

इस देश में संगीत के साथ धर्म जुड़ा हुआ है और संगीत बन्द करना धर्म पर प्रहार करना माना जाएगा। इसके साथ साथ मैं यह कहूंगा कि हमारे यहां आदिवासी गोरी नृत्य रात को ही करते हैं। हमारे यहां डंड्या नृत्य १० बजे बाद ही होता है। इसके बाद मैं आपको बताऊं विवाह के दिनों में रात को गीत गाये जाते हैं। नरसिंहजी का मायरा भी रात को ही गाया जाता है। आप दिल बहलाने वाले सिनेमा को बन्द कर दीजिये मगर हर गृहस्थी के घर में ऋचाएं होती हैं वे रात को ही होती हैं। लाउड-स्पीकर से दूसरे लोग सुनते हैं। हुआ क्या है कि किसी ने मंत्री महोदय को शिकायत कर दी हो या किसी के सोने में कष्ट पड़ा होगा तो उसने इस प्रकार की शिकायत की होगी। मैं बताऊं कि एक रोज बनारस में विश्वनाथ के दर्शन करने के लिये वहां का राजा गया। उसकी एक आंख फूटी थी। किसी ने कह दिया कि दायां बाजार बन्द है। तो उसने क्या किया उस तरफ के सारे बाजार को लुटवा दिया। इसी तरह से किसी बात से चिढ़ें नहीं, लोगों के धर्म को नष्ट करने की कोशिश न करें। यह ठीक है कि

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

अश्लीलता वाली धारा को पास कर दीजिये और संगीत की धारा को रहने दीजिए ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक जो सदन में पेश हुआ है इसका वास्तव में राजस्थान के गांव गांव से एक जोरदार विरोध होगा । संगीत एक जीता-जागता जादू है । संगीत के द्वारा राग-रागिनियां होती हैं, वर्षा होती है, दीप जलाये जाते हैं, देवी-देवताओं की उपासना ढोल मृदंग बजा कर की जाती है । राजस्थान के अधिकांश गांवों में यदि किसी व्यक्ति को सांप काट खाता है तो लोग हॉस्पिटल में, सफाखानों में न जाकर तेजाजी के यहां जाते हैं, वहां जाकर ढोल मजीरे बजायेंगे और सांप के काटे हुए व्यक्ति को वहां से ठीक करा कर लायेंगे । तो इस प्रकार जनता विश्वास के साथ करती है तो इस प्रकार का कानून लाकर जनता के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए । हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्य जितने होते हैं लाउड स्पीकर्स के जरिए होते हैं और मैं समझता हूं इस विभाग के कर्मचारियों में, अधिकारियों में और अधिक भ्रष्टाचार बढ़ाने के लिये यह कानून बना कर हमारे सामने पेश किया गया है । पुलिस में आज जिस प्रकार का भ्रष्टाचार फैला हुआ है वह किसी से छिपा हुआ नहीं है । विरोधी पक्ष और कांग्रेस पक्ष के माननीय सदस्यों ने इसके बारे में कहा है । इसलिये मैं समझता हूं इसको जनमत जानने के लिये भेज देना चाहिये । अगर इसे जनमत के लिये भेजा गया तो राजस्थान के कोने कोने से इसका घोर विरोध होगा ।

जनता में आये दिन अखण्ड कीर्तन, होते हैं, भजन होते हैं, ताण्डव नृत्य होते हैं । सभी सामाजिक, धार्मिक काम संगीत और वाद्य के साथ होते हैं । तो इस कानून के पीछे इन सामाजिक कामों को कुचलने की सरकार की मंशा हो सकती है । राजनैतिक प्रतिद्वन्द्वियों को कुचलने के लिये यह कानून पेश किया जा रहा है । यदि यह पास हो गया तो इसका घोर विरोध होगा । दिवाली आ रही है, हिन्दुओं के सभी त्यौहारों में संगीत, वाद्य होते हैं । दिवाली के एक महीने पहले ही होड़ शुरू हो जाती है; इसके बाद होली आयेगी तो होली के दिनों में रात रात भर होरिया गायेंगे । दिन भर मजदूर मेहनत करता है और फिर रात को वह मनोरंजन करता है । इस कानून के पास कर देने से पुलिस का सिपाही जहां भी मजदूर इस तरह से गाना बजाना करके मनोरंजन करते हैं वहां जायेगा और उन लोगों से पांच रुपये लेकर चला जायेगा । मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों से, और खास तौर से कांग्रेस के माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा कि डट कर इसका विरोध करना चाहिये । जिस तरह खण्डूभाई देसाई की रिपोर्ट का एड़ी से चोटी तक जोर लगा कर विरोध किया गया और दिल्ली के तख्त तक को धूजा दिया उसी तरह जो हमें इस कानून से कुचलने की कोशिश की जा रही है इसका डट कर विरोध करेंगे और अगर इसका विरोध करने में उनको कुर्सियां भी छोड़नी पड़ें तो उन बैंचेज को छोड़ कर इधर आ जायं; जनता आपका स्वागत करेगी ।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीराजीभाई

श्री हीराजीभाई (कुशलगढ़) : प्रस्तुत विधेयक पर माननीय सदस्य

(श्री हीराभाई)

अपने अपने विचार प्रकट कर चुके हैं। इस कानून के लाने में कोई सारांश नहीं है। मैं यह जानना चाहूंगा कि सरकार को इस कानून के लाने की क्या आवश्यकता पड़ी ? न तो जनता की तरफ से ही किसी प्रकार की कोई शिकायत की गई और न जनता को इस प्रकार के गाने बजाने से कभी कठिनाई आई है। हां; अगर, राजस्थान सरकार के पास जनता की तरफ से किसी प्रकार की शिकायत आती और फिर इस प्रकार का कानून लाया जाता तब तो ठीक रहता, पर जनता की कोई शिकायत नहीं है। इन्हीं के ग्रुपबाजी के झगड़े महीने भर पहले सुने थे इसके अलावा कहीं कोई झगड़ा नहीं सुना कि राजस्थान में कहीं संगीत के झगड़े होते हैं। फिर तो यह बड़ी बेसमझी की बात है कि अपने मुंह पर काला कानून बांध रहे हैं। हो सकता है कि हमारी सरकार का इशारा हो या सत्तारूढ़ पार्टी को मजबूत बनाने का तरीका हो पर इससे आपकी पार्टी मजबूत नहीं हो सकती। तोड़–फोड़ का रास्ता जरूर इससे होगा। आज आपको पूरी तरह से विदित होगा कि कस्बों में और देहातों में जहां कि सरकार की ओर से दवाखानों की कोई व्यवस्था नहीं है जिससे कि लोग दवाइयों से रोगों को दूर करने की कोशिश कर सकें, वहां लोग आत्म–विश्वास पर ज्यादा रहते हैं। लोग इकट्ठे होकर भजन मंडली, कीर्तन करके, धार्मिक ढंग से, धार्मिक कार्यों से अपने जीवन को बचाने की कोशिश करते हैं। वहां मनुष्य बीमार होता है तो संगीत-कथा की जाती है, मांडला किया जाता है; देव देवरों और देवताओं के स्थान पर सब इकट्ठे होकर गाना बजाना आदि करते हैं और मरते हुए आदमी के जीवन को इस तरह से बचाने की कोशिश करते हैं। उन लोगों के लिये यदि हम लोग आवाज उठाते हैं कि उनके लिए शफाखाने खोले जाने चाहिये तो कहते हैं कि वहां डॉक्टर जाने को तैयार नहीं हैं। और दूसरी तरफ वे लोग आत्मिक विश्वास से, धार्मिक तरीकों से अपनी जिन्दगी बचाने की कोशिश करते हैं तो उनके ऊपर भी इस तरह के कानून की तलवार उनका गला काटने के लिए लटका देते हैं। इस तरह क्या फालतू टाइम है, विधान सभा का ?

नुक्ते बन्द करने का कानून पास किया, पर हजारों आदमी नुक्ते करते हैं। यह कानून अच्छा है पर इसका लोग पालन नहीं करते और सरकारी कर्मचारी देखते नहीं हैं। एक आदमी को सांप काट जाय और उससे उसकी मृत्यु हो जाय तो कानून है कि इसकी पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए पर किसी को इसकी जानकारी नहीं है तो उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और दो सौ, ढाई सौ रुपया रिश्वत लेकर छोड़ेंगे। कानून के तहत ऐसे लोगों को सजा आज तक नहीं दी। रिश्वतखोरी का बोलबाला आज बढ़ा है। आपके कर्मचारियों को रिश्वत लेने का अगर फिर भी घाटा है तो इस तरह के कानून बना दीजिए, पर इस तरह के कानूनों को लोग जेब में रख कर अपने कार्य-क्रम करते रहेंगे। आज कानून है कि होटलों में दूकानदार अपने मजदूरों से, नौकरों से ९ बजे के बाद काम नहीं ले सकता; पर आज उन गरीबों

(श्री हीराजी भाई)

से रात के १२ बजे तक काम लिया जाता है क्योंकि होटलों के मालिक लखपती हैं। जो लोग दिन भर की थकान के बाद मनोरंजन करना चाहते हैं, धार्मिक भावना से भजन मंडली करते हैं उनको रोकने के लिए इस प्रकार का कानून लाया जाता है। यह विधेयक बिल्कुल गलत तरीके का कानून है। लोगों को जानमाल की रक्षा के लिए रिक्शे वालों के लिए कानून बनाइये। ९ बजे के बाद भी होटल मालिक अपने नौकरों से काम लेते हैं, बड़े बड़े अधिकारी अपने बीबी-बच्चों के कपड़े सरकारी नौकरों से, चपरासियों से धुलवाते हैं, इनको रोकने का कानून बनाइये।

गैर कानूनी बेगार हिन्दुस्तान में सन् ४७ में खत्म हो चुकी। उस पर तो आपका नियंत्रण नहीं है। आपका केवल दिखावा है। दो गुट में झगड़ा हो गया। मुख्य मंत्री की तारीफ कर रहे हैं या उनका स्वागत कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि यह तो उसी तरह से है कि एक सास बहू थी। वह रोजाना छाछ करती थी। एक दफा उसने थोड़ा मक्खन निकाल कर खा लिया। सास को मालूम नहीं था। एक दूसरे ने कहा कि मैं उस दिन वाली बात कह दूंगा। तो बहू सास के डर से उसको रोज मक्खन खिलाती थी। एक दिन सास आ गई। उसके सामने उसने कहा कि कह दूं। सास बोली की कहो, क्या बात है ? सास को बहू ने कहा कि एक दिन मैं छाछ निकाल रही थी तो थोड़ा मक्खन खा गई। इसको मैं साल भर से मक्खन खिला रही हूं। सास ने कहा कि बहू खा गई मक्खन तो उसकी वह मालिक है, लेकिन तू कौन होता है ? बहू का छुटकारा हो गया। नौकरशाही तो उसी प्रकार का ढंग अपनायेगी और कहेगी मक्खन खाया है। हमारे माननीय सदस्य ने प्रस्ताव रखा है, जनमत जानने के लिए। मैं उसका समर्थन तो करता हूं लेकिन साथ साथ यह भी कहूंगा कि इससे मतलब नहीं निकलेगा। मन्त्री महोदय से कहूंगा कि वे इस बिल को ही वापस ले लें। सुखाड़िया गुट में और व्यास गुट में झगड़ा हुआ हो तो क्षमा मांग ली है। इस बिल से तो बड़ी समस्या खड़ी हो जावेगी। इस कानून को तो जेब में रख देगी पब्लिक। पब्लिक इस कानून से डरने वाली नहीं है। इसलिए पानी पहले पाल बांधने वाली कहावत के अनुसार मैं चेतावनी दे देता हूं कि इसके भयंकर परिणाम होंगे इसलिए आप इसको वापिस ले लीजिये।

(अनेक माननीय सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकिशन।

श्री रामकिशन (वैर) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि वाद-विवाद से प्रगट होता है इस विधेयक के बारे में सदन के सदस्यों की राय बिल्कुल स्पष्ट है। जहां तक इस बिल को लाने की मंशा का सवाल है, मैं यह नहीं मानता हूं कि गलत ढंग से और गलत मंशा से इसको पेश किया है। जैसा कि मुझे इससे मालूम होता है इस विधेयक की मंशा यह है कि छात्रों की पढ़ाई में विघ्न न पड़े, रोगियों को दिक्कत न हो। मंशा साफ थी लेकिन विधेयक में जो प्रावधान और धारायें रखी गई हैं उनमें सरकार और सरकारी कर्मचारियों को ऐसे अधिकार दिये गये हैं जिनका दुरुपयोग होने की आशंका है। इसलिए मैं समझता हूं कि इस पर सरकार और

(श्री रामकिशन)

प्रतिपक्ष गम्भीरता से विचार करे तो आगे बढ़ने में आसानी होगी। इस विधेयक की कुछ बातें ऐसी हैं जिन पर विचार तक नहीं किया गया है। परिभाषा में उन सब को शामिल कर लिया गया है जो कि लॉ-डिपार्टमेन्ट को नजर आयी। बांसुरी है, सारंगी है, इन पर पाबन्दी होगी। उन्होंने यह नहीं जाना कि सारंगी और बांसुरी तो इस देश का और खास कर राजस्थान के लोक जीवन का एक आवश्यक अंग है। उसी बांसुरी पर सरकार ने इस विधेयक के द्वारा पाबन्दी लगाई है। कृष्ण ने इसी बांसुरी की खातिर १६ हजार गोपियों को छोड़ दिया; किन्तु अपनी बांसुरी को नहीं छोड़ा।

श्री गिरधारी लाल व्यास (आसींद): आप किसको छोड़ रहे हैं ?

श्री रामकिशन : यह कितना बड़ा प्रश्न है, इस पर जरा विचार तो करिये। कृष्ण गोपियों को छोड़ द्वारिका चले गये किन्तु उन्होंने बांसुरी को नहीं छोड़ा। दूसरी शिव और पार्वती की लोक गाथाएं हैं। वे हुए हैं या नहीं, मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता। लेकिन सारंगी के माध्यम से लोक जीवन को शिव ने कैसे जगाया, मृत्यु पर किस प्रकार विजय प्राप्त की ? उन्होंने अच्छे उद्देश्य से इस बिल को रखा है, कोलाहल रोकने के लिए; लेकिन, जैसा कि बूंदी से आये माननीय सदस्य ने कहा है कि कोलाहल और संगीत में फर्क नहीं करना चाहा। छात्रों की पढ़ाई में दिक्कत हो तो कोलाहल पर पाबन्दी लगाई जाय। लेकिन जिस प्रकार सार्वजनिक जगहों की सूची दी है, गली दी है, सड़क दी है, पथ दिया है, लेन्डिंग ग्राउण्ड्स दिये हैं, सब जगहों को सार्वजनिक जगह घोषित कर दिया गया है। राजस्थान और देश में लोकतन्त्र का जब हम विकास कर रहे हैं तो उस लोकतन्त्र के सत्याग्रह, सभा, प्रदर्शन ये ही तो आवश्यक अंग हैं। जब प्रदर्शन होगा तो हजार, दो हजार आदमी होंगे। उनको गाइड करने के लिए लाउड स्पीकर की आवश्यकता हो सकती है। सड़क पर भी पाबन्दी लगायेंगे। दूसरा, उसमें कहा है कि अदालतें चालू हों, दफ्तर आदि हों, सड़क पर लाउड स्पीकर से पुकार करते हुए नहीं होंगे, यह चीज कैसे टिकेगी ? शायद सरकार के लोग भी इसको महसूस करते होंगे। कुछ दिन वे सत्ता में होने के कारण और सत्तारूढ़ दल के साथ होने के कारण शायद इस समय वे महसूस भले ही न करें लेकिन जब उनको प्रतिपक्ष में बैठना पड़ेगा तो वे इसको देखेंगे कि किस प्रकार प्रदर्शन, सभाओं और जुलूसों पर पाबन्दी लगाई गई है। इसलिए सरकारी मन्त्रियों और उन लोगों को मेरी इस बात का समर्थन करना चाहिये और इसमें यह व्यवस्था करनी चाहिये कि राजनैतिक उद्देश्यों के विपरीत आचरण तो नहीं होगा। इस बिल में इस प्रकार के प्रावधान रखे जा रहे हैं। इसमें यह भी लिखा है कि मुंह से धुन होगी तो उस पर भी पाबन्दी होगी। पहले तो बांसुरी और सारंगी पर पाबन्दी लगायी और अब मीरां के पदों से भी लोगों को वंचित किया जा रहा है। राजस्थान में भुखमरी है, जीविका बड़ी महंगी है। लोगों के जीने के लिए ये ही तो मीरां के पद हैं। आप रोटी, कपड़ा और अच्छा प्रशासन नहीं दे

(श्री रामकिशन)

सके । मन बहलाने के लिए हजारों साल की जो परम्परा है उस पर तो पाबन्दी लगाने से झिझकिये, जरा सोचिये कि इससे क्या स्थिति हो सकती है। सरकार का इस बिल को लाने का अच्छा दृष्टिकोण हो सकता है लेकिन इस बिल में जो व्याख्यायें की हैं, उनसे पुलिसवालों और दूसरों को अधिक अधिकार मिल जायेंगे। मैं नहीं कहता कि सब लोग राजनैतिक झगड़े रखना चाहते हैं, लेकिन या तो कानून विभाग ने इसको अच्छी तरह से पढ़ा नहीं है या पढ़ा है तो ध्यान दिया नहीं है। इसलिए जो इससे परिणाम निकलने वाले हैं। उन पर ध्यान देना चाहिये ।

दूसरा इसमें १ बजे, ३ बजे, ४ बजे का जो समय रखा गया है लाउड स्पीकर इस समय अपने आप बन्द हो जाते हैं। आज जिस ढंग से अश्लील गाने सड़कों पर, चौराहों पर लाउड स्पीकर्स द्वारा सुनने को मिलते हैं; जिस तरह का संगीत चलता है वह हमारे मुल्क के नव-जवानों को गलत रास्तों पर ले जानेवाला है। अगर इस प्रकार के संगीत को रोकने की कोई व्यवस्था होती है तो सरकारी पक्ष से ज्यादा हम लोग इस चीज का समर्थन करेंगे। आज जहां मुल्क को हम बनाना चाहते हैं वहां चरित्र सुधार की ओर बहुत ध्यान देना होगा, इस दृष्टि से यह विधेयक लाया गया है तो इसको साफ़ किया जाना चाहिये। इससे किसी भी राजनैतिक दल के किसी जल्से पर पाबंदी नहीं लगेगी, क्योंकि आज किसी भी मांग को मनवाने के लिए सत्याग्रह और प्रदर्शन होते हैं उसमें हजारों आदमियों को एकत्रित रखने के लिये लाउड स्पीकर्स का भी प्रयोग होता है। वे इस तरह से एकत्र होकर जिलाधीश या मंत्री महोदय को अपनी मांगें सुना सकते हैं। अगर जिस प्रकार इस बिल में विधान है वे अधिकार यदि कलेक्टर और पुलिस के अधिकारियों को मिल जाते हैं तो जुलूस जब भी जायगा वह लाउड स्पीकर का तो प्रयोग करेगा। फिर जो स्थानों की व्यवस्था की गई हैं, कोई भी जगह नहीं छोड़ी गई है। हर जगह रोक रखी है; स्कूल, अस्पताल, सड़क, गली, अदालतें इन सब जगहों पर रोक है। तो क्या कोई सार्वजनिक सभा करने के लिए जंगल में जायगा? आपका सभा रोकने का प्रयोजन नहीं है तो उसको स्पष्ट किया जाना चाहिये। बिल में एक दूसरे के विपरीत धाराओं को रख कर आप निश्चित तौर से लोकतन्त्र की हत्या कर रहे हैं। इससे तो लोकतन्त्र पनप नहीं पायेगा। इन प्रावधानों का एक दूसरे पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, इस पर गम्भीरता से विचार किया जाय।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी को दिया जाय ताकि वह एक एक धारा से पड़नेवाले प्रभाव को गम्भीरता से विचार कर सके। वैसे लाउड स्पीकर को रोकने का सम्बन्ध है, विधेयक उसके लिये लाने की कोई आवश्यकता नहीं। नगरपालिकाओं का एक्ट इस प्रकार का है, नगरपालिकाओं को और शक्ति-सम्पन्न बना दिया जाय। नगरपालिकाओं में निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। वे सभी महसूस करते हैं कि कोलाहल बन्द हो। इसके अलावा लोगों को जो भ्रम है इससे राजनैतिक दमन होगा, इसको भी दूर किया जाना चाहिये। मैं यह नहीं मानता कि राजनैतिक उद्देश्य को लेकर यह बिल लाया गया है। मेरी मान्यता है कि

(श्री रामकिशन)

अच्छे कर्म करने के लिये यह बिल लाया गया है, इसका परिणाम अच्छा निकलेगा लेकिन आज हम देखते हैं कि सरकार का जहां पुलिस पर कोई नियन्त्रण नहीं, सरकारी मंत्रियों के पास कोई सुनवाई नहीं होती, जब, भी कभी मंत्रियों के यहां टेलीफोन किया जाता है चाहे वह दिन के दो बजे करें यही जवाब मिलता है कि साहब स्नानागार में हैं। राजस्थान में यह प्रणाली देखी ! उत्तर प्रदेश में भी यही प्रणाली देखी ! उपाध्यक्ष महोदय, मैंने शिक्षा मंत्री महोदय से एक दिन दिन के दो बजे टेलीफोन द्वारा बातचीत करने की कोशिश की लेकिन उत्तर मिला कि वे स्नानागार में हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : शिक्षा मंत्रीजी हैं नहीं, उनकी अनुपस्थिति में आप ऐसी बातें न कहें, उनके सामने कहनी चाहिये ताकि मालूम हो सके कि आप कह रहे हैं, वह सही है या झूठ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): शायद उस समय आपही के कोई दोस्त थे जिन्होंने टेलीफोन पर यह जवाब दिया।

श्री रामकिशन : चाहे तीन बजे फोन करें, चाहे चार बजे यही जवाब मिलता है कि साहब स्नानागार में हैं, छः बजे जब पूछते हैं तो कहा जाता है कि छविगृह में गये हुए हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): अभी भी आप देख लीजिये, शिक्षा मन्त्री महोदय तो बाथ रूम में ही मिलेंगे।

श्री रामकिशन : राजस्थान के मंत्रियों की यह दिनचर्या है कि दिन को स्नानागार में मिलते हैं और शाम को छविगृह में। सरकारी अफसरों को टेलीफोन करते हैं, कलेक्टर से फोन पर बात करना चाहते हैं तो कहा जाता है कि वे अन्तःपुर में हैं। कलेक्टर अन्तःपुर में, मन्त्रीजी स्नानागार में और उप-मन्त्री जी छविगृह में! तो ऐसी हालत में आप पुलिस को क्या बनाना चाहते हैं? मैं यह भी समझता हूं कि छविगृह, अन्तःपुर आदि मनुष्य के आनन्द लेने के लिये हैं, लेकिन आप सरकारी अधिकारी हैं, आप सरकार चलाते हैं। आपको सीमित आनन्द का ही उपभोग करना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, जिस समय इस बिल पर बहस चल रही है मन्त्रीजी सदन में हैं नहीं। वे यहां रहते तो उनको पता चलता कि लोग किस प्रकार विरोध कर रहे हैं। वे यहां रहें कैसे? उनको तो राजनैतिक विवादों से ही फुरसत नहीं। बेचारे राजनैतिक विवाद के कारण मजबूर हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : On a point of order Sir उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बेचारे शब्द का प्रयोग किया है उसको वे वापिस लें। यह अन-पार्लियामेन्टरी है।

श्री रामकिशन : मैंने जिस भावना से कहा है उसको आप देखें। मैंने कोई बुरी भावना से नहीं कहा।

एक माननीय सदस्य : आप भी मन चाहे कह दीजिये।

श्री रामकिशन : मैंने जिस भावना से कहा, आप उसी भावना से उसे लें।

(श्री रामकिशन)

उपाध्यक्ष महोदय, गृह विभाग ही नहीं, आये दिन हम पुलिस की कार्यवाहियों को सुनते हैं। मैं यह नहीं मानता कि सरकार चलानेवाले जो लोग हैं वे ऊंचे चरित्र वाले ही लोग हैं। दोनों प्रकार के लोग हो सकते हैं। आज हिन्दुस्तान की जो हालत है राजस्थान की हालत उससे अच्छी नहीं हो सकती। यहां के कलेक्टर की क्या स्थिति है, पुलिस की क्या स्थिति है ; यह किसी से छिपी नहीं है। आज हम इस विधेयक द्वारा पुलिस को जो अधिकार दे रहे हैं उस बारे में कम से कम केबिनेट में तो विचार कर ही लेना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे उपमन्त्री, शिक्षा विभाग कुछ शिक्षा विभाग में सुधार लाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि या तो तीन महीने के भीतर उनको इस पद से इस्तीफा देकर जाना होगा या उनसे यह विभाग छीन लिया जायगा......

श्री निरंजननाथ आचार्य (राजसमंद): आपकी भविष्यवाणी कमाल की होती है, मैंने अखबारों में भी वह पढ़ी है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): आप इनकी भविष्यवाणी के अनुसार कहीं इस्तीफा न दे दें।

श्री रामकिशन : इन सारी स्थितियों में जब बिल में इस प्रकार का प्रावधान रखा जाता है, उसका पुलिस वाले किस प्रकार से उपयोग करेंगे ? मैं समझता हूं सरकार का यह बिल लाने में यह मकसद है कि जो आजकल सड़कों पर, चौराहों पर अश्लील गाने होते हैं उनसे हमारे छात्रों को, नव जवानों को गलत रास्ते पर चलने से बचाने के लिये है। इस प्रकार के गाने बजाने पर पाबन्दी लगाना आवश्यक है। मैं समझता हूं इस बिल को किसी राजनैतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए काम में नहीं लाया जायगा। आप इस बिल द्वारा शहनाई पर भी पाबन्दी लगाते हैं, संगीत पर पाबन्दी लगाते हैं। हमारे मन्त्री लोग विवाहित हैं; हो सकता है उनको शहनाई-वादन का अनुभव न हो, हो सकता है शहनाई की उनके विवाह में जरूरत ही न पड़ी हो; लेकिन प्रतिपक्ष में तो अभी कई नौजवान हैं जिनकी शादी नहीं हुई है।

एक माननीय सदस्य : स्वास्थ्य मन्त्री भी शादीशुदा नहीं हैं।

श्री रामकिशन : वे वृद्ध हो चुके हैं, अब उनकी शादी होने की सम्भावना भी नहीं है। इस प्रकार की चीजों पर जो पाबन्दी लगाते हैं तो कितनी कोमल भावनाओं को कुचलते हैं ! इसलिए मेरा निवेदन है कि हम इस पर फिर एक बार विचार करें।

आप ढोल पर पाबन्दी लगाते हैं। राजस्थान के लोक गीत ढोल की आवाज पर गाये जाते हैं। आज आदिवासी क्षेत्र में जहां पांच पांच हजार लोग लोकनृत्य करने के लिये इकट्ठे होते हैं वहां पर लाउड स्पीकर का भी प्रयोग होने लगा है। इस प्रकार के कानून से बांसवाड़ा क्षेत्र में जो आदिवासी रहते हैं उनको भी आप देखेंगे कि वे भी इस तरह से गड़बड़ करते हैं तो उनको भी आप रोक देंगे। मैं समझता हूं राजस्थान सरकार का इस बिल के लाने में इरादा सही है। सरकार का सही इरादा होते हुए भी उन्होंने जो व्यवस्था की है उससे दुरुपयोग की सम्भावना अधिक

(श्री रामकिशन)

दिखाई देती है। उसका निराकरण होना चाहिये। इसलिए इस बिल को सिलेक्ट कमेटी को सुपुर्द किया जाय ताकि वहां पर विस्तार से विचार हो सके, पुलिस के अधिकारों के संबंध में विचार हो सके।

अभी कुछ माननीय सदस्यों ने कहा था कि इससे कीर्तन पर पाबन्दी लग जायगी, भजनों पर पाबन्दी लग जायगी ; मुझे ऐसी बात तो नहीं जंचती। हम तो यह मानते हैं कि सरकारी पक्ष के लोग ईश्वरवादी नहीं हैं, हम लोग भी नहीं हैं। फिर भी धार्मिक कृत्यों पर पाबन्दी लगाने की उनकी मन्शा नहीं है। फिर भी जो शंकायें हैं उनका निराकरण हो सके, इसलिये इसको सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाय ताकि वह दुबारा विचार करके इसको सदन में रख सके।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम): उपाध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि आज जिस प्रकार से लाउड स्पीकर और एम्पलीफायर का प्रयोग किया जा रहा है उससे जनता बेहद परेशान है। इससे आम जनता को, बीमारों को और पढ़ने वाले विद्यार्थियों वगैरह को बहुत सख्त तकलीफ होती है। शहरी वस्तियों में जहां पर काफी गहरी आबादी होती है वहां अगर रात को लाउड स्पीकर बजता है तो सैकड़ों आदमी, जो दिन भर की मेहनत-मजदूरी करके थक जाते हैं और रात को आराम की नींद सोना चाहते है, वे रात में नींद नहीं निकाल सकते, करवटें ही बदलते रहते हैं। इसी तरह गांवों में भी हालत है ; बल्कि वहां तो और भी बुरी हालत है। वहां जो लाउड स्पीकर और एम्पलीफायर का प्रयोग किया जाता है तो वह ठीक ढंग से नहीं किया जाता। आवाज कन्ट्रोल करने की बात तो दूर रही लोग आपस में होड़ लगा कर, शर्त लगा कर लाउड स्पीकरों का प्रयोग करते हैं कि तेरा जोर से बजता है या मेरा ; जिसका जोर से बजता है उसका जलसा भी जोरदार माना जाता है। तो इन सब के लिये अगर रोक लगती है तो ठीक ही है। और सरकार अगर इसके लिये कानून बनाकर इस पर पाबन्दी लगाना चाहती है तो ठीक ही है।

लेकिन मौजूदा रूप में जो बिल हमारे सामने आया है, सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है उसकी कई धाराएं त्रुटिपूर्ण एवं दोषपूर्ण हैं। अगर इस बिल को इसी रूप में स्वीकार कर लिया गया तो इससे आगे चल कर हमारे सार्वजनिक जीवन पर, धार्मिक जीवन पर, सांस्कृतिक जीवन पर और समस्त जन-जीवन पर और सामाजिक जीवन पर बुरा असर पड़ेगा। हमारे घरों में आये दिन धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उत्सव, पर्व, विवाह-शादी, भजन-कीर्तन, रातीजगा आदि होते रहते हैं और संगीत का अध्ययन भी चलता है। इसे देखते हुए अगर यह बिल इसी रूप में स्वीकार कर लिया जाता है तो हमारे इन सारे फंक्शनों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा और पुलिस के हाथों में एक ऐसी ताकत इससे आ जावेगी जो बेमतलब लोगों को परेशान करती रहेगी।

हमारी मन्शा यह है और जहां तक मैं समझती हूँ, हमारी सरकार की मन्शा भी यही है कि इस बिल के द्वारा वह कोलाहल

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

और शोरगुल को बन्द करना चाहती है पर संगीत और हमारे जन-जीवन के धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उत्सव, पर्व, भजन-कीर्तन आदि पर बुरा प्रभाव इसका नहीं डालना चाहती, तो ऐसी सूरत में मैं एक सुझाव देती हूं कि इस बिल को एक सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जावे तो इस दृष्टिकोण से इस बिल पर विचार करके जो दोष पूर्ण धाराएं इसकी पाई जावें उन्हें हटा दें। इस तरह से व्यर्थ के कोलाहल और बेकार के शोरगुल पर नियन्त्रण किया जा सकेगा और साथ ही संगीत पर सांस्कृतिक और धार्मिक उत्सवों आदि पर पड़ने वाले बुरे प्रभाव को टाला जा सके और जो अभी माननीय सदस्यों ने अपनी अपनी राय जाहिर की है उसके अनुसार बुरा प्रभाव इस बिल का समाज पर न पड़े, उससे बचा जा सके। इतना ही मैं इस बारे में निवेदन करना चाहती हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : Shri Man Singh Mahar ! I will request the Honble. Member to finish the speech within 5 minutes.

श्री मानसिंह महार (आमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, दसेक मिनट तो लग ही जावेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के समक्ष जो कोलाहल तथा संगीत नियन्त्रण विधेयक हमारे गृह-मन्त्रीजी ने प्रस्तुत किया है उसको देखने से ऐसा महसूस होता है कि हमारी सरकार कानून बनाने में ऐसी रुचि रखती है कि उसके हर कानून को तोड़ा जावे। मैं समझता हूं कि आज हमारी सरकार के अधिकांश कानून ऐसे बनते हैं कि जिनको जनता रोज तोड़ती है और सरकार भी यह चाहती है कि हम कानून बनाते ही इसलिये हैं कि उनको तोड़ा जावे। छोटी छोटी बातों पर जनता पर नियन्त्रण लगाना कोई शोभा की बात नहीं है।

एक कानून बनाने के लिये रख दिया विधान सभा में कि कोलाहल बहुत होता है शहर में इसलिये उसे रोका जावे। एक हमारे मित्र ने भी कह दिया कि हां साहब, बहुत कोलाहल है इसे बन्द किया जावे। और कोलाहल से वे चलते चलते पहुंच गये संगीत पर। कह दिया गाना मत गाओ, बांसुरी मत बजाओ।

मुझे ताज्जुब होता है उपाध्यक्ष महोदय, कि जिन बातों की ओर हमारी सरकार का ध्यान जाना चाहिये, जिनके लिये हमारी विधान सभा में विधेयक आने चाहिये, जिन पर पाबन्दियां लगाई जानी चाहिये उनकी तरफ तो सरकार का ध्यान नहीं जाता। आज हमारी जनता का करोड़ों रुपया पानी की तरह बह रहा है रिश्वतों में और कई चीजों में उसको रोकने की ओर सरकार का कोई ध्यान नहीं, इस पर कोई विचार नहीं किया जाता। पर इस प्रकार के छोटे मोटे विधेयक लाकर ही यह सरकार अपनी सार्थकता बताना चाहती है।

मैं यह कहता हूं कि आज कानून मौजूद है इस कोलाहल को और शोरगुल को रोकने के लिये। तो अगर हमारे कलेक्टर और जिलाधीश महोदय चाहें तो किसी प्रकार का भी यह कोलाहल हो उसे नियन्त्रण में ला सकते हैं विद्यार्थियों के लिये कहा गया कि

(श्री मानसिंह महार)

उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है इसलिये कानून बनाया जाता है। आज भी इम्तिहान के दिनों में कलेक्टर महोदय इस तरह की पाबन्दियां लगाते हैं और इस कोलाहल को बन्द कर देते हैं। और भी कई तरह से इसे बन्द किया जा सकता है। आज जब यह सरकार डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रलाइजेशन पर चल रही है तो इसका लेना देना-सरकार का क्या है इससे ? यह तो आप म्यूनिसिपैलिटियों पर, पंचायतों पर छोड़िये कि अगर इस प्रकार की गडबड़ियां हैं तो वे बन्द करें और अगर आप ही चाहते हैं कुछ करना तो म्यूनिसिपल एक्ट में एक छोटी सी धारा रख दीजिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : ऑलरेडी है यह तो।

श्री मानसिंह महार : वह है तो फिर इस बिल की जरूरत ही नहीं है। पर मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे गृह मन्त्रीजी को अपने पुलिस दल को एक पॉवरफुल दल बनाना है। पुलिस का जनता के हर पहलू पर उसका नियन्त्रण हो, यह वे करना चाहते हैं। वे यह चाहते हैं कि जनता हर चीज में उनके मुंह की तरफ ताके।

आज तक कई प्रकार के कानून बने, पर हमारे गृह मन्त्रीजी का पेट नहीं भरा। अब वे यह सोचने लगे, मुझे मालूम है, जयपुर शहर में एक रोज यहां चौपड़ पर कांग्रेस की मीटिंग हो रही थी, उससे थोड़ी दूरी पर एक श्री अमरनारायण माथुर भी मीटिंग कर रहे थे। तो इन दोनों मीटिंगों की आवाजें एक दूसरे से टकराई तो पुलिस ने जाकर अमरनारायणजी का माइक छीन लिया। क्यों ? इसलिये कि अमरनारायणजी साधारण से नागरिक थे और उधर कांग्रेस के बड़े बड़े महारथी, हमारे मुख्य मन्त्रीजी भी थे और हमारे नये महारथी नसीराबाद से आये माननीय सदस्य भी विराजमान थे, अपनी जिन्दगी जिन्होंने नये दौर में दौड़ाई है, जो एक वक्त बड़े क्रान्तिकारी गिने जाते थे, अब खुशामदकारी भी हैं; वे भी वहां थे।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : आपसे तो ज्यादा नहीं हैं।

श्री मानसिंह महार : उस गड़बड़ को देखकर वे उबल पड़े और कहने लगे कि अगर हमारे अजमेर में ऐसी चीज हो जाती तो हम लोगों की जुबान खींच लेते।

श्री ज्वालाप्रसाद (नसीराबाद) : I challenge that this is 100% wrong I may be given a chance to explain my position, if that thing has been brought here.

श्री मानसिंह महार : आपका भी नम्बर आएगा

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : I challenge, it is 100% false what he is saying.

श्री मानसिंह महार : उपाध्यक्ष महोदय, जो शब्द मैं कह रहा हूं वे २०० परसेन्ट सत्य हैं। मैं झूठ नहीं बोलता।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं इस बात पर उनको चेलेन्ज देता हूं कि वे इसे साबित करें। इस बात पर या तो वे रिजाइन करें अगर वे झूठे हों तो, नहीं तो मैं करने को तैयार हूं, अगर मैं गलत बात कहता होऊं तो।

श्री मानसिंह महार : मैं कहता हूं फिर कि यह हजार परसेन्ट सत्य है। मैं चैलेन्ज वैलेन्ज तो कुछ नहीं जानता। पर जो कुछ कह रहा हूं वह सत्य कहता हूं। मैं झूठ बोलने का आदी नहीं हूं नसीराबाद से आये माननीय

(श्री मानसिंह महार)

सदस्य की तरह । मैं इतना ही कह सकता हूं तो मैं निवेदन कर रहा था कि इस घटना के होने पर यह मैंने देख लिया था कि अब कोई इस बारे में सदन में कानून आवेगा क्योंकि उनका थाने में माइक ले जाया गया था। पर उन्होंने प्रोटेस्ट किया और कहा कि कौनसे कानून के मातहत उनका माइक छीना गया है ? कानून के अभाव में उस दिन उनका माइक उनको वापिस दे दिया गया। तो हमें इस बात का आभास तो उसी दिन मिल गया था, हम उस दिन ही जान गये थे कि कोई गड़बड़ी की चीज आवेगी सदन में और मैं जानता हूं कि जितनी हमारे गृह-मन्त्रीजी बातें जब बोलते हैं तब उनके मुंह से म्यूजिक निकलता है। उनके शब्द ऐसे होते हैं मानो म्यूजिकल इन्स्ट्रूमेन्ट से निकले हुए हों।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: आपके कानों की दाद देता हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) यह गृह-मन्त्रीजी पर ही लागू होता है।

श्री मानसिंह महार: वे शायद अपनी भाषा म्यूजिक में करके सारंगी, तबला आदि की जरूरत नहीं समझते। पर हम आम नागरिकों को तो और चीजों की भी जरूरत होती है। तो इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि·····

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: यह तो लव मैरेज थी।

श्री मानसिंह महार: यह विडो मैरेज थी या लव मैरेज थी, यह तो वे ही जानें; लेकिन यह बात जरूर है कि इस प्रकार का कानून बना कर जनतन्त्र की जो हत्या का विचार किया जाता है वह आज के युग में घोर पाप है। मैं समझता हूं उपाध्यक्ष महोदय, कि बड़े दिनों से ही यह आभास मिलने लगा था कि हिन्दुस्तान में तो मैं कहूंगा कि १६६२ के बाद कोई लोकतंत्र की हत्या की ओर अग्रसर हो रहा है तो वह सबसे ज्यादा हमारे गृह-मंत्रीजी हैं। उनकी बातों से यह चीज मालूम होती है। आज एक पक्ष का सहारा लेना, कल दूसरे की बढ़ाई करना और परसों तीसरे के पीछे लग जाना, यह भी लोकतंत्र के लिए घातक चीज है...

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: How these sort of things are related with this Bill ?

श्री मानसिंह महार: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गृह-मंत्रीजी को कोई एतराज नहीं है तो समझ में नहीं आता कि उनको क्यों दुख हो रहा है ? मैंने इनके लिये तो एक ही बात कही है, ज्यादा तो कही नहीं है। तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि यह जो कानून बनने जा रहा है यह पहले से ही म्यूनिसिपैलिटी एक्ट में मौजूद है। अगर आपको थोड़ी और ज्यादा पाबन्दी करनी है तो आप म्यूनिसिपल एक्ट में एक धारा और बढ़ा दीजिए। यह हो सकता है। लेकिन पुलिस विभाग को, कलेक्टर को नये अख्तियारात देना और सीनियर ऑफिसर्स कॉन्फ्रेन्स में कहा जाये कि नई चीज आपके लिये आई है, आप जनता के ऊपर अपना दबदबा बढ़ा सकते हैं। परन्तु यह विधान सभा बर्दास्त करने के लिए तैयार नहीं है। आज के युग में इस प्रकार की बातें, मैं कहता हूं कि अगर अंग्रेज भी इस प्रकार की पाबन्दी की बातें करते थे तो लोग उनके ऊपर थूकते थे। मैं कहता हूं कि ऐसी बातें करके मित्र लोग अपने लिए ऐसी परिस्थिति पैदा कर

(श्री मानसिंह महार)

रहे हैं कि १७६ में से इस बार ८८ तो आ गये लेकिन ८८ से अब ६० पर ही पहुंच जायेंगे। अगर ऐसी कार्यवाही की तो यह अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। यही नहीं; मैं निवेदन करूंगा कि आज कहा जाता है कि विद्यार्थियों को दिक्कत होती है। विद्यार्थियों को तो दिक्कत उन मामलों में होती है कि लड़कियों के स्कूलों में तबलची ऐसे रखे जाते हैं कि जिनके लिए क्या कहा जाये। आपको शर्म आनी चाहिए कि इस युग के अन्दर ऐसी ऐसी कार्यवाहियां आपके स्कूलों के अन्दर होती हैं। वहां आप नियंत्रण की बात नहीं करते। उसके लिए आप कोई चीज लाये होते कि ऐसे आदमियों को फांसी दे दी जाये तो हम उसका स्वागत करते। लेकिन इन बातों पर आपका ध्यान नहीं है। विद्यार्थियों की आड़ में आप शिकार खेलते हैं पोलिटिकल पार्टीज का और पोलिटिशियन्स का। आप चाहते हैं कि हम कोई पब्लिक मीटिंग करें तो भी आपसे इजाजत लेकर करें; आपकी मर्जी पर करें कि आपकी महरबानी हो जाये तो हमको बोलने दिया जाये। अगर नहीं तो हमारे भाषणों को 'कोलाहल' की संज्ञा देकर बन्द कर दें। हम जानते हैं कि आप कानून का किस प्रकार से इन्टरप्रिटेशन करते हैं।

(समय समाप्ति सूचक घंटी "दो मिनट")

आज हम आपके यहां के पुलिस के बड़े से बड़े अफसरान के इन्टरप्रिटेशन को जानते हैं। जब आपके किसी दल के आदमी या आपके दल में से भी किसी विशेष गुट के आदमी का काम आयेगा तो वह बहाल कर दिया जायेगा। ऐसे व्यक्तियों के लिए तो आप रेप केस का गुनाह भी कुछ नहीं समझते। मगर आपके गुट विशेष के खिलाफ के किसी आदमी से छोटा सा भी गुनाह हो गया तो उसको आप मोअत्तिल ही क्या बर्खास्त कर देंगे। मैं निवेदन करूंगा कि जिस राज्य के अन्दर इस प्रकार के अन्याय के इन्टरप्रिटेशन होते हों और एक ही पहलू की दो दो तस्वीरें सामने आती हैं तो इस प्रकार का रवैया हमारी विधान सभा बर्दाश्त नहीं कर सकती। हमारे मित्र लोग हमारा विश्वास खो चुके हैं। हम कैसे विश्वास करें कि जो चीज उनके ऊपर लागू होगी वही हमारे ऊपर लागू होगी ? हम यह मानने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए जनता का जो गला घोंटने की बात होती है वह हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं अपने मित्रों को बताना चाहता हूं क्योंकि उस तरफ बैठने वाले अधिकांश लोग गांवों की तरफ से आये हुए हैं, उनको मालूम नहीं है कि बड़े शहरों में जनता का विश्वास कांग्रेस खो चुकी है। कांग्रेस वाले सभा करते हैं, मैं चेलेन्ज देता हूं हमारे नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य को कि वह सभा करके देखें और उसके चार रोज़ बाद हम करेंगे तो आप देखेंगे कि उनके यहां यदि उनकी सभा में २०० व्यक्ति होंगे तो हमारी सभा में १५ हजार आदमी होंगे . . .

श्री बृजसुन्दर शर्मा (बूंदी) : उसमें तो पोल होगी।

श्री मानसिंह महार : आप जैसे गवैये कांग्रेस में मौजूद हैं तो कमी क्या है ? ढोल-पोल वहां सब हैं।

इसलिए मैं निवेदन कर रहा था कि यह शहरों में जो पाबन्दी लगाई जा रही है वह इसलिए लगाई जा रही है कि आप घबरा रहे हैं और घबरा इसलिए रहे हैं कि वे समझते हैं कि हमारा शहरों में अस्तित्व मिटता जा रहा है।

(श्री मानसिंह महार)

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

मैं निवेदन कर रहा हूं कि हम आज यह महसूस कर रहे हैं कि शहरों में विरोधी दलों की मीटिंगों में कहीं ५० हजार आदमी, कहीं ८० हजार और कहीं २० हजार आदमी हैं और हमारे सरकारी पक्ष वाले जो मीटिंग करते हैं तो विरोधी पक्ष वालों को भी थोड़ी बहुत दया जरूर आती है; क्योंकि उनमें कहीं २० आदमी होते हैं, कहीं १०० होते हैं और कहीं ५०० हो जायें तो समाचार-पत्रों में ५०० के २५,००० लिखवा दिए जाते हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि यदि आप जनता की भावनाओं का आदर करते हैं तो इसको पब्लिक ओपीनियन के लिए सर्कुलेट किया जाए, जैसा कि जौहरी बाजार से जीत कर आये हुए माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है। तब आपको मालूम होगा कि इसका कितना विरोध होगा। मैं निवेदन करूंगा खासतौर से सदन में उस तरफ बैठने वाले सभी मित्रों से और खास कर नसीराबाद से आये हुए माननीय सदस्य से अपील करूंगा कि वे तो बहुत ही प्रगतिशील व्यक्तियों में रहे हैं वे इस बिल का विरोध न करें और इसको पब्लिक ओपीनियन के लिए सर्कुलेट किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : Hon'ble-Minister-in-charge.

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : Discussion should be continued, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : There will be more opportunities to discuss when it comes at a further stage.

श्री बृजसुन्दर शर्मा (बूंदी) : उपाध्यक्ष महोदय, एक निवेदन करना चाहता हूं ...

कुछ माननीय सदस्य : इस पर बहुत से सदस्य बोलना चाहते हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक निवेदन करना चाहता हूं और वह यह है कि अभी अभी जो हमारे माननीय मित्र ने भाषण दिया उसमें माननीय ज्वालाप्रसादजी के खिलाफ कुछ ऐसी बातें कही हैं कि जिनका उत्तर दिया जाना आवश्यक है। इसलिये यह आवश्यक है कि उनको क्लैरीफिकेशन के लिए थोड़ा समय दिया जाये ...

कुछ माननीय सदस्य : सबको मौका दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, जो बिल हमारे सामने ...

श्री उपाध्यक्ष : I will request the Hon'ble Member to finish it as early as possible.

श्री मथुरादास माथुर (गृहमंत्री) : May I know whether I will be called upon to answer the debate today?

श्री रामानन्द अग्रवाल : It should be continued till tomorrow. We insist upon it. We consider it very important.

श्री उपाध्यक्ष : But there may be an occasion when members would be quite satisfied.

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह सही है, लेकिन इस पर काफी बोलना है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं समझता हूं कि इस पर काफ़ी विचार-विमर्श हो चुका है और इसके जितने भी पक्ष थे, वे आ चुके हैं। वैसे आवश्यकता तो नहीं रहती है; अतः मिनिस्टर इन्चार्ज कहें तो ...

श्री मथुरादास माथुर: माननीय उपाध्यक्ष महोदय . . .

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बीच में कुछ नहीं कहा है और आपके सामने मुझे बैठा दिया गया इसलिए जो बात मेरे लिए कही गयी है उसके पर्सनल एक्सप्लेनेशन का मौका मुझे दिया जाना चाहिये . . . .

श्री रामानन्द अग्रवाल: मुझे मौका दिया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, ...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : I can allow Shri Ramanand Agarwal 2 minutes, Shri Jwala Prasad two minutes and not a single moment more. Please continue.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : If that is the Chair's decision, I can give-up my right. It is the right under Rules of Procedure that if someone has said something, I must explain and I was giving my explanation. I could have interrupted him like anything.

But at the same time, for the decorum of the House, I sat down in my chair. Therefore, I need time. If you give me two minutes, then all right. I submit to your orders and give-up my chance.

श्री उपाध्यक्ष : All right, you can have more than two miniutes.

श्री रामानन्द अग्रवाल : I have not been given proper opportunity. After all, you should consider the··· . . .

श्री उपाध्यक्ष : आप (**श्री रामानन्द अग्रवाल**) वाद-विवाद शुरू कर।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, . . .

श्री उपाध्यक्ष : मेरा केवल यही निवेदन है कि जो कुछ कहना है वह मुख्तसर में कहें क्योंकि कई पक्ष आ चुके हैं। जितना संक्षेप में हो सके आपका भाषण उतना ही अच्छा रहेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : I would try to cut short.

उपाध्यक्ष महोदय, जो बिल सदन के समक्ष विचारार्थ पेश है उसके संबंध में यह निवेदन करना है कि इस बिल के साथ में केवल कुछ असुविधाओं की ही बात नहीं है, लेकिन इसका जो असर राजस्थान के आम लोगों पर पड़ने वाला है वह बहुत गम्भीर है, बहुत बहस सुनने के बाद भी मैं यह नहीं जान पाया कि आखिर इस बिल की आवश्यकता क्या पड़ी ? इस बिल की मांग किस तबके की तरफ से उठी ? कौन सी जगह से इस प्रकार का गवर्नमेंट के पास रिक्वीजिशन आया कि इस प्रकार के बिल को कानून की शक्ल दी जाय। जहां तक तमाम गांवों में रहने वाले लोगों का सवाल है जो कि एक बहुत बड़ी संख्या में हमारे राजस्थान में हैं, वे लोग इस प्रकार की मांग नहीं करते, उनको इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। जहां तक कस्बों और शहरों में रहने वाले लोग हैं उनमें भी जो गरीब तबके के लोग हैं, जो बेचारे दिन भर की मेहनत करने के बाद में रात में कुछ थोड़ा बहुत संगीत से अपना दिल बहलाते हैं तो अगर यह समस्या हो सकती है तो बहुत थोड़े अपर मिडल क्लास की यह समस्या हो सकती है, जिनको दफ्तर

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

वगैरह में काम करने के बाद रात को थोड़ी नींद वगैरह आने में कठिनाई होती है, परन्तु उनकी सुविधाओं को मद्देनजर रखते हुए भी अगर हम विचार करें और यह मानते हुए भी कि वह असुविधा है, यह कानून जो पुलिस के हाथों में अधिकार देता है वे अधिकार इतने गम्भीर हैं और जो हमारा तजुर्बा भी है पुलिस के बारे में कि वह अपने अधिकारों का किस प्रकार का उपयोग करती है; उसको अगर हम मद्देनजर रखें तो शायद उस मीडियम वर्ग को तो आराम मिल जायगा इस कोलाहल से। इन लाउड स्पीकरों से उनको आराम मिल जायगा लेकिन उस बेचारी जनता को जिसने कोई शिकायत नहीं की उसको इस कानून के शिकंजे में कसने का बड़ा मौका मिल जायगा। एक बुराई को दूर करने में हम एक बहुत बड़ी बुराई खड़ी कर देंगे।

दूसरी बात मैं जो निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि मैं बड़ी गम्भीरता से इस बात को देख रहा था कि आखिर यह हमारी गवर्नमेंट हमारे राजस्थान में किस ओर जा रही है, किस प्रकार की कटौतियां यह करती है, किस प्रकार के नये नये खर्चे सिर पर लेने को तैयार है, किस प्रकार के कानून लाने में तैयारी नहीं दिखाती है और किस तरह के कानून लाने में तैयारी दिखाती है, इसका अगर हम विश्लेषण करें तो यह देखने को मिलता है, अभी इस सदन में आज ही यह विधेयक हमारे सामने आया। इससे पहले कटौती कर दी, राजस्थान में बहुत से लोगों को अपने घर बैठा दिया गया है। क्योंकि हमारे पास में पैसा नहीं है और दूसरी तरफ एक बिल लाया गया कि हम होमगार्ड्स बनाना चाहते हैं, एक पुलिस के तरीके की दूसरी पुलिस खड़ी करना चाहते हैं। उसमें हम खर्च करने को तैयार हैं! उस खर्च के लिए बावजूद कटौतियों के हमारे पास में पैसा है और उसी तरीके से अब एक नया कानून हमारे सामने पेश है। उसी पुलिस के अधिकारों को बढ़ाने की बात आप करते हैं। उस पुलिस के अधिकारों को बढ़ाने की बात करते हैं जिसके बारे में न केवल हमारे राजस्थान में बल्कि अखिल भारतीय तौर पर हाईकोर्ट जजेज ने जिनके बारे में बड़े बड़े स्ट्रिक्चर्स पास किये हैं। इस प्रकार की मिसालें मौजूद हैं जिसमें हमारी पुलिस ने हर तरीके की बेजा कार्यवाहियां करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर जिस कानून को लागू करने में ऐसी तैयारी के साथ में जायं जिसका भरोसा नहीं और जिनके अधिकारों को जितना कम किया जा सके उतना करना चाहिए उनके हाथों बेचारे गरीब लोगों की किस्मत दे दी जाय, मैं समझता हूं यह एक भयंकर भूल होगी।

तीसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि इस कानून के जरिये जो हमारी पुरानी परम्परा है जिसके लिए हम लड़े थे, अपनी सिविल लिबर्टीज़ के लिए जो भारी कुर्बानी की किसी वक्त राष्ट्रीय आन्दोलन में जिसके ऊपर आघात होता था तो हम पिल पड़ते थे; बड़ी से बड़ी कुर्बानी देते थे। मुझे आश्चर्य है कि यह गवर्नमेन्ट खुद अपनी तरफ से इस कानून के अन्दर ऐसे प्रोविज़न नहीं कर सकती है कि उनके ऊपर पाबंदी नहीं लगाई जाय कि इस तरह की पोलिटिकल मीटिंग, डिमोन्स्ट्रेशन्स और ऐक्ज़ीबिशन्स हों उनके ऊपर गवर्नमेन्ट आज यह कहे कि हमारी नीयत नहीं है कि इनके ऊपर कोई प्रतिबंध लगाना है, गवर्नमेन्ट यह कहे कि हमारी

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

नीयत गांवों में यह कानून लागू करने की नीयत नहीं थी। कानून स्टेचुटरी तरीके से अपने आपको पाबन्द करने में क्यों हिचकिचाये ? क्या वह इतना कॉन्फीडेन्स कमान्ड करती है ? क्या आपकी पहले की परम्परा ऐसी है कि आपके हाथों में इस तरह के अधिकारों को सौंपकर जनता की गर्दन उनके हाथों में दे दी जाय ? क्या हम इस बात को भूल सके हैं कि १०७ और १५० का किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं ? क्या यह बात रोजमर्रा के तजुर्बे की नहीं है कि १०७ में लोगों का लॉ एण्ड ऑर्डर मेन्टेन करने में पोलिटिकल गेंगिंग किया जाता है, पोलिटिकल वर्ग को सप्रेस किया जाता है, दमन किया जाता है। इस तरीके से गवर्नमेन्ट के हाथों में और ऐसी पुलिस के हाथ में इस तरह के अधिकारों को देना हमारे प्रजातन्त्र को एक तरह से खत्म करना होगा। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेन्ट के तौर-तरीके, इस प्रकार की नीयत, इस तरीके के कानून लाना जिसमें कि ये बहुत फ़ण्डामेन्टल राइट्स जो हमारे कॉन्स्टीट्यूशन से गारन्टीड हैं, उनको इन्डाइरेक्टली किस तरीके से सबवर्ट करने की कोशिश है; उसके बारे में बहुत गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है। जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा था कि एक कोलाहल, शोर-शराबा और म्यूज़िक उसको एक लेवल पर लाकर इस तरीके से इस कानून में रखा है वह भी शोभाजनक बात नहीं है। इसलिये मेरा तो निवेदन यह है कि मैं इस कानून को बिल्कुल अनावश्यक समझता हूं, इसको जन-हित के विरुद्ध समझता हूं। राजस्थान का बहुत बड़ा बहुमत है जिसके लिये इसकी कोई जरूरत नहीं है। थोड़े से लोगों को सुविधा देने की गरज से ग्राम जनता को मुसीबत में डालेंगे। आप एक खुली छूट पुलिस को देना चाहते हैं, जो चाहे जिसकी गर्दन नाप दे। कृपा करके ऐसा नहीं करें। आज म्यूनिसिपल एक्ट के तहत म्यूनिसिपैलिटीज़ को कोलाहल रोकने की पॉवर है उसको काम में ला सकते हैं। पुलिस को क्रिमिनल एक्ट के अंतर्गत पब्लिक न्यूसेन्स को रोकने की पॉवर है। कोई ऐसी बात नहीं है कि इस कानून के नहीं होने से कयामत आ गई हो। इस कानून को पब्लिश किया तब लोगों को पता लगा कि राजस्थान सरकार इस तरह का कानून ला रही है। किसी कानून को लाने के लिये पब्लिक को एमर्जेन्सी महसूस होनी चाहिये तभी लागू कर सकते हैं, तभी इसकी युटिलिटी हो सकती है। मैं समझता हूं गवर्नमेन्ट इसको विथ्ड्रॉ करने पर विचार करे और तब तक इसको पब्लिक ओपीनियन के लिये सक्यूलेट करें उसके बाद इस पर विचार हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) **:** उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल पर बड़ी देर से बहस हो रही है लेकिन मैं यह समझता हूं कि इस बिल के सहारे किसी को दर्द कहीं है और आवाज कहीं निकल रही है। इसके चारों तरफ़ घूम कर हम जो ताजा ताजा आये हैं इस सिलसिले में सब तरह की बातें लेकर किनारे पर आकर ताल बजाने की कोशिश की जा रही है; मैं इसको गलत समझता हूं।

मेरी थोड़ी मान्यता है इस बिल के बारे में। एक बीमारी जरूर है जिसको सभी तसलीम करते हैं। यह बीमारी कई तरह से आज एक तरफ बढ़ रही है ......

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : बीमारी प्लेग की है ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : और इस हद तक बढ़ गई है कि आज भगवान् को भी बहरा समझने लग जाते हैं । कहीं हरिकीर्तन होता है तो लाउड स्पीकर और झंकार का ऐसा उपयोग करते हैं मानो भगवान के कानों में आवाज पहुंचाने के लिये लाउड स्पीकर का उपयोग होता है । यह एक समस्या है । लेकिन इस समस्या का कोई हल करना है । उसके लिये मैं सरकार को भी कहना चाहता हूं । सरकार को कहना चाहता हूं कि पहले जमालघोटे की गोलियां बना करती थीं । किसी को बहुत बड़ी आफत हो जाती तो छोटी सी गोली देते हैं और छोटी सी गोली उस पैमाने से बनती थी । जितना बड़ा जानवर होता था उतनी ही बड़ी उसके लिये गोली बनती थी। आदमी को बहुत छोटी गोली दी जाती थी । आप हाथीवाली गोली आदमी को देकर उसको मार डालेंगे । जो हाथी की बीमारी के लिये गोली है वह आदमी को देना चाहते हैं तो उससे वह साफ़ हो जायगा । इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि सही इलाज सरकार को निकालना चाहिये और उसके लिये आवश्यक यह है कि उस पर विचार करे और उसके लिये ऐसे फ़ैक्ट्स बताना चाहता हूं जिनसे इन्कार नहीं कर सकते ।

एम्प्लीफायर किसको कहते हैं, यह डेफिनिशन में दिया है । आपकी गवर्नमेंट रेडियो सेट को एम्प्लीफायर कहती है और उस एम्प्लीफ़ायर के लिये जनता फीस देती है और रेडियो बजाने की इजाजत लेती है और उस रेडियो में लाउड-स्पीकर भी लगा रहता है । आप इसकी पाबन्दी नहीं लगाते कि उसका वॉल्यूम क्या होगा । जो आपकी डेफिनिशन है वह कन्ट्राडिक्टरी है और एक प्रकार से सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के एक्ट और रूल्स में इन्टरफियरेन्स है । जिस प्रकार रेडियो बजाया जाता है उसमें किस प्रकार का लाउड-स्पीकर लगाया जाये, कितने वॉल्व का मल्टीप्लाई हो सकता है ? लाइसेन्स लेकर ऊपर के कमरे में लगावें तो डबल फीस देकर दो-तीन लगाने की भी इजाजत है सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से । ऐसी हालत में एम्प्लीफायर रिसीविंग सेट लगाने की सरकार इजाजत देती है । आप एम्प्लीफायर करते हैं और रेडियो सेन्टर्स चलाते हैं । फिर फिल्म सेंसर बोर्ड ने 'लालदुपट्टा मलमल का' फिल्म पास कर दिया तो आप क्या करेंगे ?

सवाल यह है कि हमको इस चीज का इलाज ढूंढना है । हमारी जो दिक्कत है उसका इलाज निकालना है । फिर कॉग्निज़बल ऑफेन्स बनाते हैं । हरिजनों पर अत्याचार होते हैं । कुओं पर उनको नहीं चढ़ने देते । उसके खिलाफ कुछ करते हैं तो नाक भौं चढ़ाते हैं । सामाजिक क्रान्ति करनी है । लेकिन इसमें इस प्रकार की बातें आती हैं कि यदि ८० परसेन्ट आदमी रास्ते में बात करें तो भी उनकी बात को गाना समझ कर गिरफ्तार कर सकते हैं । इसमें इस प्रकार का कॉग्निजिबल ऑफेन्स बनाना गलती होगी ।

हमको जनतंत्र दिलाना है तो ऑफिशियल डम से बच कर काम करना चाहिए । हमको ध्यान रखना चाहिये कि ब्यूरोक्रेसी

Page No.106

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

और सर्विस क्लास से सेवा लेना चाहते हैं। मैं यह विश्वास दिला सकता हूं कि यदि हमारे होम मिनिस्टर को सब इन्सपेक्टर के पॉवर्स देकर सब इन्सपेक्टर बनाया जाय तो वे इसको सही प्रकार से काम में लावेंगे लेकिन एक सब इन्सपेक्टर को यह पॉवर देने से क्या हाल हो सकता है, इसका अंदाज नहीं है। इसलिये मैं अपील करूँगा कि बिल या एक्ट लाना है तो सोच-समझ कर लावें।

मैं उपाध्यक्ष महोदय, याद दिलाना चाहता हूं कि इस तरह का बिल अजमेर सरकार ने बनाया था। तारीफ की बात अर्ज करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट में वह बिल गलत हो गया और लाउड स्पीकर वाले जीत गये। इसका कारण यह है कि कई जगह टकराते हैं। सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है टेलीग्राफ ऑफिस और दूसरे लोगों की राय यह रह गई है। लाउड-स्पीकर जो अपने यहां हाउस में यूज करते हैं तो हो सकता है कि सिटी मजिस्ट्रेट यह भी बंद कर सकते हैं। एम्प्लीफ़ायर यहां भी काम आता है। कोई अल्फाज गुनगुनाते निकल जायं। अभी "बेचारा" शब्द फरमाया था। हम काहेके "बेचारे"; हम तो राज्य करनेवाले हैं। "बेचारे" तुम होगे ......

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) : क्या "तुम" शब्द पालियामेन्ट्री है ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : हम जनता के बल पर राज्य करते हैं। तुम बिखरे हुए हो।

इसलिये हमको चलाना पड़ता है जनता ने हमको राज्य सौंपा है। तुम्हारी हालत इस तरह की है........

श्री मानिकचंद सुराणा (कोलायत) : On a point of order, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय सदस्य जो भाषण दे रहे हैं उनके द्वारा विरोधी सदस्यों के लिये "तुम बिखरे हुए हो इसलिये हम राज्य कर रहे हैं", ये शब्द संसदीय परम्परा के खिलाफ़ हैं। उनको इस तरह के शब्दों का प्रयोग करने से रुकवा दें......

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैंने प्यार से कहा है।

श्री मानिकचंद सुराणा : आपने प्यार से कहा होगा। लेकिन संसदीय परंपरा के खिलाफ है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं समझता हूं माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं वे आगे से ध्यान रखेंगे।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : एक साहब नाराज हैं, मैं उनको नाराज नहीं करना चाहता।

आपको और उनको एक सौ एक बार कहूंगा। आपसे अर्ज यह कर रहा था, आपके सामने कि बार-बार यह कहते हैं कि एक से करते हैं लेकिन हम एक से नहीं करते मेजोरिटी से करते हैं। हमको जनता का समर्थन प्राप्त है और खुशकिस्मती है राजस्थान की कि हम एक पार्टी हैं। हम इस........

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : जनता का समर्थन आपको प्राप्त नहीं है, ६० परसेन्ट जनता आपके खिलाफ है। सिर्फ ४० परसेन्ट ने आपको वोट दिये हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपकी पार्टी का हाल बताऊंगा, तो चींटी की तरह रगड़ जावोगे।

श्री मुकुटबिहारीलाल भार्गव (बयाना) : सदन का समय समाप्त हो गया।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं अभी समाप्त कर देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : अब क्योंकि सदन का समय समाप्त हो रहा है क्या सदन की मंशा है कि १० मिनट का समय और बढ़ाया जाय ?

श्री मुकुटबिहारीलाल भार्गव : कल के लिये रखा जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : यह बहस कल के लिये चालू रहे।

श्री गिरधारीलाल व्यास : बहुत से माननीय सदस्य और बोलनेवाले हैं इसलिये कल रखा जाय।

श्री मथुरादास माथुर (गृह मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष, सदन के, मेरा ख्याल है, बहुत से सदस्यों ने इसमें हिस्सा ले लिया है

(५.० म: प:)

और मैंने उनको बहुत ही गम्भीरता से सुना है। अगर मुझे पांच-सात मिनट दिये जायं तो आज ही जवाब देकर खत्म कर दूंगा और मुमकिन है कि कल बहस रुक जाय और आज का काम है वह पूरा हो जाय। इसमें पांच-सात मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): जवाब के लिए और तैयारी कर लो।

श्री हरिराम (तिजारा): कल के लिए....

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! मैं समझता हूं कि माननीय मंत्रीजी अगर इतनी सहयोगपूर्ण भाषा में बोल रहे हैं तो इससे हमें और आशा हो सकती है कि दस मिनट और बढ़ जायं तो सारी समस्या हल हो सकती है।

श्री हरिराम : ऐसी भाषा में बोल-बोल कर ऐसे कानून बनायेंगे और जनता का गला घोटते रहेंगे। इस पर बहस होनी चाहिए और खुल कर बहस होनी चाहिए।

श्री मथुरादास माथुर : वह वाद-विवाद मैंने सुना है और प्रस्तुत हुए मामले ...

("प्रस्तुत नहीं हुआ" की आवाजें)

श्री मानसिंह महार (आमेर) : वे दो घंटे तो गायब थे सदन से।

श्री उपाध्यक्ष : दस मिनट और बढ़ा कर देख लें कि वे क्या करते हैं ?

श्री भैरोंसिंह : (किशनपोल, जयपुर) इसमें........

(व्यवधान)

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : ज्वालाप्रसादजी और बोलेंगे।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल जयपुर) : मंत्री महोदय बोल लें, इसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन सदन के माननीय सदस्यों की इच्छा है कि डिबेट कन्क्लूड नहीं होनी चाहिए।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : इस शर्त पर.......

श्री उपाध्यक्ष : डिबेट को कन्टीन्यू करने का कोई कारण नहीं रहा तो फिर कन्क्लूड हो जायगी।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): अगर कल के लिए बढ़ा रहे हैं तो मैं बोलूंगा और अगर आज करना है तो जैसी आपकी आज्ञा।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : कल के लिए नहीं रख रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : दस मिनट के लिए समय बढ़ाया गया ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : इतने लोगों की मांग है । हाउस की मांग का ख्याल नहीं रख रहे हैं......

श्री उपाध्यक्ष : Minister-in-charge.

श्री मुरलीधर व्यास : माननीय सदस्य बोल रहे हैं, उन्होंने बोलना समाप्त नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष : वे बैठ चुके हैं ।

श्री भैरोंसिंह : उन्होंने खुद का एक्सप्लेनेशन दिया है ।

श्री उपाध्यक्ष : वे बैठ गये हैं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सदन का समय बढ़ाने के लिए कोई मोशन नहीं आया है ।

श्री उपाध्यक्ष : मोशन की कोई आवश्यकता नहीं है । रूल २१८ के मुताबिक यह प्रोविजन है कि चेयर सेंस ले सकती है और दस मिनट के लिए समय बढ़ाया जा सकता है । ऐसी सदन की मन्शा मालूम पड़ती है कि दस मिनट का समय बढ़ाया जाय ।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : समय तो तीन मिनट पहले समाप्त हो चुका है, इसलिए वह डिसकन्टीन्यू हो चुका है ।

श्री उपाध्यक्ष : वह हाउस का सेन्स लेकर बढ़ा दिया गया है और मिनिस्टर-इन-चार्ज को कहा गया है कि वे बोलें ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सदन इस पक्ष में नहीं है कि सदन का समय बढ़ाया जाय ।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय उपाध्यक्ष........

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : साहब, इस पर वोट लिया जा सकता है या नहीं ?

श्री मथुरादास माथुर : इस प्रश्न को लेकर इस बिल के बारे में माननीय सदस्यों ने जो विचार रखे उसके लिए तो मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं, मगर मुझे खेद इस बात का है कि जैसा इस सदन के अन्दर बोलनेवाले एक साथी ने कहा कि इस बिल की आड़ में बहुत सी बातें ऐसी कही गई हैं जो इस बिल से सम्बन्ध नहीं रखती हैं । मुझे खेद है कि उन मुद्दों का जवाब मैं इस सदन के सामने नहीं रख सकूंगा । अगर इस बिल का अध्ययन किया गया है और मैं ऐसा मान कर चलता हूं कि सदन के इधर बैठने वाले और उधर बैठनेवाले सभी साथियों ने इस बिल का पूरा अध्ययन किया होगा और उसके बाद में ही उन्होंने जो कुछ विचार रखे हैं तो मैं महसूस करता हूं कि कहीं उनके अध्ययन में भूल तो नहीं रह गई है ।

मैंने इस बिल में तीन बातें रखी हैं, क्योंकि मैं खुद नहीं चाहता, हमारी सरकार नहीं चाहती कि इस बिल की आड़ में किसी की सियासी आजादी, किसी पार्टी-पोलिटिकल पार्टी की मीटिंग करने की आजादी में दखल हो । सरकार यह नहीं चाहती कि किसी के सांस्कृतिक जीवन में दखल हो । सरकार नहीं चाहती कि जो संगीत जीवन का अंग है और जो संगीत के जरिये जीवन व्यतीत करना चाहते हैं और जो संगीत को जीवन का अंग

(श्री मथुरादास माथुर).

समझते हैं, उसमें दखल दिया जाय। यह सरकार की मन्शा नहीं है। इसलिए मैं शुरू में निवेदन कर देना चाहता हूं कि इस बिल के जरिये न तो पुलिस को मैं बड़े अख्तियारात दिलवाना चाहता हूं। इस बिल में जो है उसको सदन के लोग नहीं चाहते तो उस पर भी विचार किया जा सकता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि समस्या हमारे सामने यह है कि आधुनिक युग में सिविलाइज़ेशन एक तरह की पनपी है, उसको देखते हुए बड़े-बड़े कस्बों और शहरों में एक समस्या पैदा हुई है कि इधर इम्तिहान के दिन होते हैं और पास में कोई पान की दूकान होती है या कोई और होटल होता है तो बड़ी जोर से लाउड स्पीकर बजाया करते हैं और हरिकीर्तन के नाम पर रात भर लाउड स्पीकर बजाते हैं तो उससे लोगों को दिक्कत होती है, विद्यार्थियों को दिक्कत होती है। यह बात ठीक है कि सबको आजादी है, सोचने विचारने की आजादी मिली है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह आजादी इस लाइसेन्स में परिवर्तित हो जाय और उन लोगों के लिए जो बीमार हैं, हॉस्पिटल में हैं, या जो विद्यार्थी होस्टल्स में हैं या दूसरे लोग हैं, किसी तरह लाउड स्पीकर के जरिये, या म्यूज़िक के जरिये ऐसी बात पैदा की जाय जो उनके लिए न्यूसेन्स साबित हो। यह समाज भी नहीं चाहता। मैं जानता हूं कि यह बात गांवों के अन्दर नहीं है। इसीलिए शुरू-शुरू में कहा गया है कि सरकार वक्तन-फ-वक्तन जिस जगह पर लागू करना मुनासिब समझेगी वहां इसे लागू किया जायगा वर्ना जैसा हर कानून में कहा जाता है कि फलां तारीख से, जब से छपेगा तब से यह पूरे राजस्थान में लागू हो जायगा। हम नहीं चाहते कि यह गांव में भी लगे। आज भी गांवों में रामलीला हुआ करती हैं, वहां के लोग रिलीजियस फेस्टीवल्स भी मनाते हैं। वहां आज भी हीर और रांझा का तमाशा होता है। उसको हम नहीं रोकना चाहते, लेकिन शहरों में और बड़े-बड़े कस्बों में जो आधुनिक सिविलाइज़ेशन पैदा हुई है, आप किसी दूकान में चले जाइये, कहीं चले जाइये, वहां लाउड स्पीकर के कारण खड़े नहीं हो सकते। यह ठीक है कि आजादी है, लेकिन जो एक व्यक्ति जीवन व्यतीत करता है उसके जीवन में दूसरों के द्वारा किसी प्रकार का खलल डालने का अधिकार विधान में नहीं मिला है......

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): क्या शहरों में रामलीला नहीं होती ?

श्री मथुरादास माथुर : मैं बोल रहा हूं, आप महरबानी करके सुनिये। आप बोल रहे थे तब मैंने दखल नहीं दिया था।

मैं निवेदन कर रहा था कि इस कानून में कहते हैं कि जहां होस्टल हैं, एजूकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स हैं, टेलीफोन एक्सचेंज हैं, हॉस्पिटल हैं, वहां पर दस बजे रात से लगा कर सुबह के ६ बजे तक बिना पर्मिशन के लाउड-स्पीकर पर गाना या म्यूजिक न करें। बाकी समय में वे करें तो कौन रोक सकता है ? और फिर कहा है कि लाइट म्यूज़िक रात के बारह बजे से सुबह के तीन बजे तक बजाना मना है। बाकी बारह बजे तक दिन भर तक बजायें, सितार बजायें। बारह बजे वाद्य यंत्र बजायें और जोर से बजायें जिससे पड़ौसी को दिक्कत हो, वह उचित नहीं है।

(श्री मथुरादास माथुर)

हमारी संस्कृति में लोग तीन बजे सुबह उठते हैं और सुबह हरिकीर्त्तन या भजन करते हैं, इसीलिए मैंने तीन बजे तक समय रखा है। उसके बाद तीन से लगा कर सुबह तक खूब हरिकीर्त्तन या भजन कीजिये, इसमें मैंने कोई रुकावट नहीं डाली है ....

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : घर वाली घड़ी में चार बज रहे हों तो क्या करें ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): आप इसका क्लेरिफिकेशन कीजिये कि जिन स्थानों के आपने नाम गिनाये हैं, वे अगर स्कैटर्ड हैं तो सारा का सारा शहर पूरा हो जाता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : थानेदार की रिपोर्ट में अगर दो बजे लिख दिये गये तो क्या होगा ?

श्री मथुरादास माथुर : बारह से तीन बजे तक रखा है। म्यूज़िक को डिफाइन किया है कि कौन-कौन से इन्स्ट्रूमेन्ट्स होंगे; वे बारह से तीन तक न बजायें। वैसे सुबह उठ कर प्रभाती गायें। सुबह जोर से गायें तो कौन रोकता है ? उसके बाद सोफ़्ट म्यूज़िक में दूसरी प्रकार के म्यूज़िक हैं जिनको बजाने के लिए ग्यारह से चार बजे तक रोका है। फिर भी मैंने कहा कि समय में परिवर्तन हो सकता है। सदन की मर्जी हो तो ग्यारह से बारह कर सकते हैं, एक कर सकते हैं और क्लॉज़ बाई क्लॉज़ इसको देखा जा सकता है। वैसे बिल की मन्शा है वह यह है। इसलिए मैं कहूंगा कि इसे पब्लिक ओपीनियन के लिए भेजने की आवश्यकता नहीं है। बड़े-बड़े कस्बों और शहरों में हम इस चीज को किसी तरह रोकना चाहते हैं ......

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है...

श्री मथुरादास माथुर : हॉस्पिटल..

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री मथुरादास माथुर : मैं एक मिनट में समाप्त कर दूं।

श्री उपाध्यक्ष : दस मिनट हो चुके हैं। क्या सदन का समय दस मिनट के लिए और बढ़ाया जाय ?

श्री मथुरादास माथुर : इसमें और भी कई क्लॉज़ हैं और सरकार की मन्शा यह नहीं है कि जो हमने किया है वह जबर्दस्ती थोपा जावे। यह हमारी भावना नहीं है। इसके साथ साथ जनता की तकलीफ है उसको देख कर इसको बनाया है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि इसको सिलेक्ट कमेटी के सामने रख दिया जावे। कल सिलेक्ट कमेटी के सदस्यों की सूची पेश कर दी जावेगी और उनके नामों की भी घोषणा कल सदन में कर दी जावेगी। इस अधिवेशन के अन्त तक वह अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी और अगर जरूरत समझेंगे तो आगे अवधि बढ़ा देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री ने जो स्पष्टीकरण दिया है इसको प्रवर समिति में भेजने का, मैं पूछना चाहूंगा कि क्या श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल इस पर अपना प्रस्ताव वापिस लेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष, माननीय मन्त्री महोदय ने इसको प्रवर समिति के सुपुर्द करने का प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया है; इसलिये जो प्रस्ताव जनमत के लिये प्रसारित करने के लिये मैंने रखा था उसको वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि मत हेतु प्रसारित करने का प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा दी जाय ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति प्रदान की गई।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करने के लिये श्री मुकुटबिहारीलाल, श्री मुरलीधर व्यास आदि द्वारा आया है, उसे स्वीकार किया जावे ?

(स्वीकृत)

यह प्रवर समिति के लिये भेजने का प्रस्ताव है, वह पारित हुआ।

अब प्रवर समिति की रिपोर्ट सेशन के समाप्त होने के पहले-पहले पेश होगी और जो नाम हैं उनकी सूचना मन्त्री महोदय कल देंगे। अब सदन की बैठक कल तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही ५.१२ बजे म० प०, दिनांक ११ अक्टूबर, १९६२ के ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

संक्षिप्त-विवरण

(बुधवार, १० अक्टूबर, १९६२)

स्कम्भ | स्कम्भ

तारांकित प्रश्नों के शीर्षक १

बंध कालीसिल से सिंचाई।

रतनगढ़ चिकित्सालय का स्टोक।

सरकारी बांधों से सिंचाई की दरें।

पुलिस विभाग द्वारा इनाम।

रींगस से खाटू तक सड़क।

नदवई से कुम्हेर तक सड़क।

अंकलेरा शफाखाने में जच्चाखाना।

ऊठड़ा बांध का रूपनगढ़ क्षेत्र पर प्रभाव।

देवगढ़ में प्रथम श्रेणी के न्यायालय की मांग।

बस स्टेशन।

सड़क के फाटक के बंद रहने से असुविधा।

चाइल्ड वैलफेयर सेन्टर, राजलदेसर।

सड़क-निर्माण।

सोइल कन्जवर्शन स्कीम।

भरतपुर जिले में छात्र-वृत्तियां।

उदयपुर-निम्बाहेड़ा की बसें।

चीतलवाना प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में डॉक्टर की व्यवस्था।

जयपुर शहर में प्रदर्शनी भवन।

रावतसर-सरदारशहर सड़क।

मजदूरों को काम।

बसों की व्यवस्था।

डॉक्टरों की कमी।

नल-कूप योजना।

सड़क निर्माण के लिये धनराशि की स्वीकृति।

सांचोर में पिछड़ी जाति के लिये कॉलोनी।

बिजली की दर।

तालाब की मरम्मत।

गांधीसागर बांध के बिजलीघर की बिजली का उपयोग।

सारकावास बांध।

अस्पताल की मांग।

रतनगढ़-चूरू सड़क।

मछलियों के विकास के लिये प्रावधान।

स्कम्भ

१. सदन द्वारा शोक प्रकट ६०

स्वर्गीय सर्वश्री पुरुषोत्तमदास टण्डन, विधानचन्द्र राय, मुख्य मन्त्री, पश्चिम बंगाल एवं महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री पी० सुब्रायन के निधन पर सदन के नेता श्री मोहनलाल सुखाड़िया, प्रतिपक्ष नेता महारावल श्री लक्ष्मणसिंह एवं श्री भैरोंसिंह, श्री रामानन्द अग्रवाल, श्री रामकिशन, श्री मुरलीधर व्यास व श्री नत्थीसिंह ने श्रद्धान्जलि अर्पित करते हुए समवेदना प्रकट की। तदुपरान्त अध्यक्ष महोदय श्री रामनिवास मिर्धा ने सदन द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं में अपनी भावनाएं सम्मिलित करते हुए शोक प्रकट किया। इसके पश्चात् सदस्यों द्वारा २ मिनट मौन खड़े रह कर दिवंगत आत्माओं की शांति के लिये प्रार्थना की गई।

स्थगन-प्रस्ताव ६८

(१) गंगानगर जिले में घग्घर नदी की बाढ़ से उत्पन्न स्थिति,

(२) पाकिस्तान में शरण पाने वाले डाकुओं द्वारा राजस्थान-पाकिस्तान सीमा क्षेत्र में लूट-पाट आदि, एवं

(३) राजस्थान सरकार द्वारा कतिपय तहसीलें तोड़े जाने तथा सरकारी विभागों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण; के संबंध में सदस्यों द्वारा दी गई स्थगन-प्रस्तावों की सूचनाओं को सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति अध्यक्ष महोदय द्वारा नहीं दी गई।

सदन की जानकारी के लिये अध्यक्ष महोदय ने सरकार से यह चाहा कि घग्घर नदी की बाढ़ व सीमा क्षेत्रों में डाकुओं द्वारा लूट-पाट आदि के संबंध में मुख्य मंत्री व गृह मंत्री वक्तव्य दें।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

निम्नांकित पत्रादि सदन की मेज पर रखे गये :—

(क) विधेयकों का विवरण : ६९

सचिव, राजस्थान विधान सभा ने गत सत्र में पारित निम्नांकित विधेयकों का विवरण जिन पर राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी थी, सदन की मेज पर रखा :—

(1) The Rajasthan Finance Bill, 1962.

(राजस्थान वित्त विधेयक, १९६२)

(2) The Rajasthan Electricity (Duty) Bill, 1962.

(राजस्थान इलेक्ट्रीसिटी (ड्यूटी) विधेयक १९६२)

स्तम्भ

(3) The Rajasthan Municipalities (Amendment) Bill, 1962.

(राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, १९६२)

(4) The Rajasthan Panchayat Samities & Zila Parishads (Amendment) Bill, 1962.

(राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६२)

(5) The Rajasthan Agricultural University Bill, 1962.

(राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय विधेयक, १९६२)

(6) The Rajasthan Superimposed Stamps Validating Bill, 1962.

(राजस्थान अध्यारोपित (सुपर इम्पोज्ड) स्टाम्प्स वैधकरण विधेयक, १९६२)

(7) The Jodhpur University Bill, 1962.

(जोधपुर विश्वविद्यालय विधेयक, १९६२)

(8) The Rajasthan Sales of Motor Spirit Taxation (Amendment) Bill, 1962.

(राजस्थान सेल्स ऑफ मोटर स्प्रिट टैक्सेशन (संशोधन) विधेयक, १९६२)

स्तम्भ

(ख) नियम ९६

(१) होम 'बी' विभाग की अधिसूचना संख्या एफ १ (४), (५) एच० बी० जो० आर० १।५९, दिनांक ५ मई, १९६१ जिसके द्वारा राजस्थान मोटर विहिकल्स नियम, १९५१ के नियम १४० में संशोधन किये गये हैं।

(२) आबकारी तथा कर विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें, जिनके द्वारा राजस्थान बिक्री कर नियम, १९५५ में संशोधन किये गये हैं:--

(i) अधिसूचना संख्या एफ़ ५ (१०५) ई० एण्ड० टी।६०, दिनांक २८ जून, १९६२

(ii) अधिसूचना संख्या एफ ५ (६) ई०एण्ड०टी।५७, दिनांक २३ दिसम्बर, १९६१ (ये अधिसूचनायें गत सत्र में सदन की मेज पर रखी गई थी; किन्तु विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम १९९ (२) के अन्तर्गत इन्हें पुनः सदन की मेज पर रखा गया)।

विधायी कार्य

(क) पुरः स्थापित किये गये विधेयक: ९६

निम्नांकित विधेयक पुरःस्थापित किये गये :—

(१) राजस्थान होम गार्ड्स विधेयक, १९६२

(२) राजस्थान कोलाहल तथा संगीत नियन्त्रण विधेयक, १९६२

(३) राजस्थान पशु चिकित्सक विधेयक, १९६२

(ख) विचारार्थ लिया जाने वाला विधेयक

राजस्थान होम गार्ड्स विधेयक, १९६२ ९७

उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत होने से पूर्व सदस्यों ने प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन संबंधी नियमों के नियम ६१ के अन्तर्गत औचित्य प्रश्न द्वारा मांग की कि उक्त विधेयक के संलग्न वित्तीय ज्ञापन अपर्याप्त हैं। अतः इस पर विचार स्थगित रखा जाय।

वाद-विवाद के पश्चात् अध्यक्ष महोदय ने विधेयक पर विचार स्थगित कर औचित्य प्रश्न पर अपना निर्णय सुरक्षित रखा।

(ग) प्रवर समिति के सुपुर्द किया गया विधेयक

राजस्थान कोलाहल तथा संगीत नियन्त्रण विधेयक, १९६२ १२३

श्री मथुरादास माथुर, गृह मंत्री के इस प्रस्ताव पर कि उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :

(१) श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने विधेयक को जनमत जानने हेतु प्रसारित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया, तथा

(२) श्री नत्थीसिंह (१२५) ने विधेयक को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

इन प्रस्तावों पर की गई बहस में निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया :—

(१) श्री मुकुटबिहारीलाल
(२) श्री कुमारानन्द
(३) श्री बृजसुन्दर शर्मा
(४) श्री मोतीलाल चौधरी
(५) श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा
(६) श्री मुरलीधर व्यास
(७) श्री गोकुलप्रसाद शर्मा
(८) श्री हरिप्रसाद शर्मा (जनसंघ)
(९) श्री हीराभाई
(१०) श्री रामकिशन
(११) श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत
(१२) श्री मानसिंह महार
(१३) श्री रामानन्द अग्रवाल
(१४) श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा

गृह मंत्री के उत्तर के पश्चात् श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने अपना संशोधन प्रस्ताव वापस ले लिया तथा श्री नत्थीसिंह (१२५) का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर विधेयक एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया गया, जो अपना प्रतिवेदन सत्र के अन्त तक प्रस्तुत करेगी। समिति के सदस्यों के नाम दिनांक ११ अक्टूबर, १९६२ को घोषित किये जायेंगे।

सदन की बैठक ५ बज कर १२ मिनट पर दिनांक ११ अक्टूबर, १९६२ को प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित की गई।

गुरुवार दिनांक ११ अक्टूबर, १९६२ की कार्य-सूची

(१) पुरः स्थापित विधेयक :

(क) राजस्थान हकशफा विधेयक, १९६२

(ख) राजस्थान माध्यमिक शिक्षा (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६२

(ग) राजस्थान बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, १९६२

(२) विधेयक प्रवर समिति को :

(क) राजस्थान कोलाहल तथा संगीत नियन्त्रण विधेयक, १९६२

(ख) राजस्थान पशु-चिकित्सक विधेयक, १९६२

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २८ का उत्तर देखिये)

Construction of Sarkawas Bund Technical Report

Introduction :—

Run off from an area of 2 sq. miles of villages Junis, Dhakrawas, Saroli, in Tehsil Deoli gets accumulated in an area of 300 acres marked in Index Plan, and it gets dried up in due course of time. Most of the area does not get exposed-timely, and it is not, therefore, possible to put it under cultivation.

There is a keen demand from the onwers of this land for construction of bund at the sitemarked in the Index Plan, so that water received may be stored and later on utilised for irrigation of land outside. All these persons have surrendered their khatedari rights to the society and want to do joint farming. Society have already purchased one fordson Major Tractor with necessary implements for cultivation of the areas. It is, therefore, proposed to construct a Bund at the site shown in the Index Plan. Necessary surveys and investigations have been carriedout.

Catchment Area :—

The total catchment area at the site of the proposed Bund is 2 sq. miles.

Rain Fall :—

The nearest raingauge station is at Deoli which is about 18 miles from the proposed bund site. Its average annual rainfall is 28 inches.

Run off :—

As per stranges table of rainfall and run off, the run off from one sq. mile of bad catchment with an average rainfall of 28 inches is 7.8 MCFT. As half of the C. A. is sandy the run off expected is 5·2 MCFT. per sq. mile i.e. 8% of the total rain fall. The capacity of this bund is, therefore, proposed to be kept as 10.40 MCFT. which is available at R. L. 97.

Maximum Flood Discharge :—

Maximum flood discharge by assuming C-825 in Dickens' Formula $825 \times 2 \times \frac{3}{4} = 1400$ cusecs.

Surplusing arrangements :—

Length of waste weir required to pass the maximum flood discharge Q =

$$L \frac{Q}{3.33-3\times3/2} \text{assuming H}$$

(Flood soft) as 3 ft.

$$= \frac{1400}{3.33\times52} = 82 \text{ ft.}$$

nearly.

It is proposed to provide a waste weir in a length of 85 ft. from Ch. 80.0 and the weir has been designed as regular free fall.

Commanded Area :—

The gross commanded area of this proposed bund ascertained from Revenue record is 160 acres. Out of which 160 acres is C. C. A. taking intensity as 60% of the C. C. A. irrigation of 96 acres will be done annually.

Outlet Sluice :—

A 12″ Dia. pipe sluice has been proposed to pass the discharge of 2.00 cusecs for irrigating the above area.

Canals :—

A Minor is required to be constructed for irrigating the above area. The society is, however, proposed to excavate the water courses required at the their cost.

Compensation of land and Properties :—

No properties come under submergence. The owners of the land coming under submergence have given in writing to the Collector that no compensation may be paid to them for this land, and Sawai Chak land situated near may be given to them in exchange, to which the Collector, Tonk is agreeable.

Data of Bund :—

1.	Catchment area	2 Sq. Miles.
2.	Rain fall (Average)	28 Inches.
3.	Length of Bund	3,450 feet.
4.	T. B. L.	103.00
5.	H. F. L.	100.00
6.	F. T. L.	97.00
7.	Top width of bund	8 ft. (6 ft. ch. 0 to 10 with side Slopes 2:1)
8.	Inner slopes	3.1
9.	Outer slopes	2.1
10.	Sluice cill level	92.00

Financial Return :—

Income from Irrigation of 90 Acres @ 8.75 per acre.	840/—
Income from bad cultivation of 9 acres @ 4/—per acre	36/—
	876/—
Deduct maintenance charges of 96 acres @ 3/8/—per acre.	336/—
Net Income	Rs. 540/—
Total Cost of the work	Rs. 39,510/—

Percentage Return :—

$$\frac{540 \times 100}{39,510} = 1.37\ \%$$

The bund when constructed will provide irrigation facilities to an area of 96 acres and will also raise the subsoil water level of the walls resulting in additional well irrigation.

शुद्धि-पत्र

(बुधवार, दिनांक १० अक्टूबर, १९६२)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
	२	३	४
६	७	श्री भीमसिह	श्री भीमसिंह
२८	३	(श्री मथरादास माथुर)	(श्री मथुरादास माथुर)
३५	अंतिम से ३	डॉक्टर्स	डॉक्टर्स
३८	१५	वात	वक्त
४१	शीर्षक	तारांकित प्रश्नोतर	तारांकित प्रश्नोत्तर
४७	अंतिम	श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चंडावत	श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत
६९	११	मृकुट बिहारी लाल	मुकुटबिहारीलाल
७५	शीर्ष	(सर्व श्री रामकिशन रामानन्द	सर्व श्री रामकिशन, रामानन्द
७५	१३	Order please ?	Order please !
७९	२२	श्री मानिकचद सुराणा	श्री मानिकचन्द सुराणा
८१	अंतिम	गवर्वमेन्ट	गवर्नमेन्ट
८२	अंतिम से ४	गवर्नमेंन्ट	गवर्नमेन्ट
८६	अंतिम से ९	इम्पोटन्ट	इम्पोर्टेन्ट
९२	१२	Superim-posed	Super-imposed
९६	अंतिम से १०	पुन: स्थापित	पुर: स्थापित
९७,९८	शीर्षक	विधेयकों का पुर: स्थापन	वित्तीय ज्ञापन
९९,१०० से ११८ तक	शीर्षक	विधेयकों का पुर: स्थापन– १० अक्टूबर, १९६२ विधेयकों का पुर: स्थापन	विधेयक के साथ–१० अक्टूबर,१९६२–वित्तीय ज्ञापन पत्र की आवश्यकता
१२०	अंतिम	menorandum	memorandum
१४५	१२	ह	है
१४८	१७	(आसपुरा)	(आसपुर)
१५१	५	सारी चीजें वर्ग	सारी चीजें वर्गो
१५७	अंतिम २	ऐसा िल	ऐसा बिल
१७४	६	नाथ	नाथ
१७४	९	बह्माजी	ब्रह्माजी
१७७	अंतिम	प्रचण्ड	प्रखण्ड

१	२	३	४
१७८	अंतिम से ३	श्री हींराजीभाई	श्री हीराजी भाई
१८३	१७	किनता	कितना
१८८	१३	चलात	चलाते
२०१	१८	विरोंध	विरोध
२०२	शीर्षक	नियन्त्रण विषयक	नियन्त्रण विधेयक
२०३	अंतिम से ५	miniutes.	minutes.
२०४	२	कर	करें
२१४	१०	श्री भंरोंसिह :	श्री भैरोंसिह :
२१४	१५	(किशनपोल जयपुर)	(किशनपोल, जयपुर)
२१४	१६	इसम	इसमें
२१७	शीर्ष	(श्रीमथुरादास माथ्र)	(श्री मथुरादास माथुर)
२१६	७	श्री हरिराम चंहान (तिजारा)	श्री हरिराम चोहान (तिजारा):
२२०	१८	सिलक्ट	सिलेक्ट
२३१	२	श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल	श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
२३४	१५	Its laver	Its aver-
२३६	अंतिम से ३	Iuner slopes 3·1	Inner slopes 3:1
२३६	अंतिम से २	Outer slopes 2·1	Outer slopes 2:1